सत्यमेव जयते

अंतर-राज्यीय व्यापार में घोषणा प्रपत्रों का उपयोग

एक अध्ययन प्रतिवेदन

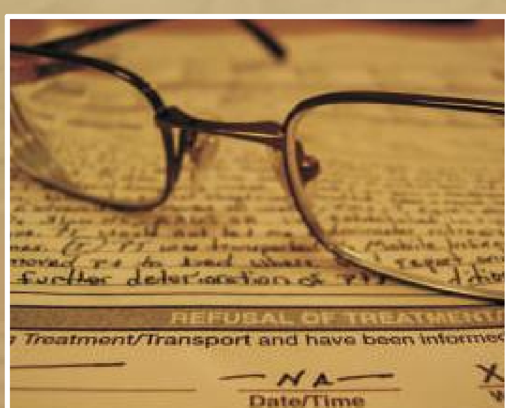

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

अक्टूबर 2012

अंतर-राज्यीय व्यापार में घोषणा प्रपत्रों का उपयोग

एक अध्ययन प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

अक्टूबर 2012

विषय सूची

पैरा संख्या	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
	कार्यकारी सार	i
	अध्याय I प्रस्तावना	
1.1	सीएसटी अधिनियम	1
1.2	प्रपत्र सी	2
1.3	प्रपत्र एफ	2
1.4	नई कर पद्धति की ओर प्रस्थानः सीएसटी को चरणबद्ध तरीके से हटाना	3
1.5	हमने यह अध्ययन क्यों किया	4
1.6	लेखापरीक्षा के उद्देश्य	5
1.7	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली	5
1.8	लेखापरीक्षा द्वारा बाधाओं का सामना करना	6
1.9	निष्कर्ष	7
	अध्याय II आंतरिक नियंत्रण तंत्र	
2.1	प्रस्तावना	9
2.2	सीएसटी अधिनियम और राज्य नियमावली के बीच असंगतता	10
2.3	वैट और सीएसटी नियमावली के बीच असंगतता	10
2.4	सीएसटी निर्धारणों को पूर्ण न करना	11
2.5	सीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों के लिए पृथक बजट प्राक्कलनों का अभाव	12
2.6	कर के लिए दी गई छूट/रियायत के डाटाबेस का अभाव	12
2.7	संदिग्ध व्यापारियों को काली सूची में डालना और ऐसे व्यापारियों का एक डाटाबेस बनाना	13
2.8	अन्य राज्यों के प्रपत्रों के नमूनों का गैर-रखरखाव	14
2.9	प्रपत्रों का मुद्रण और अभिरक्षा	15
2.10	प्रपत्रों का मुद्रण	15
2.11	प्रपत्रों की अभिरक्षा	20
2.12	प्रपत्रों का निर्गम और लेखांकन	22
2.13	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के बावजूद प्रपत्र जारी किया जाना	25
2.14	घोषणा प्रपत्रों का कालवार जारी न किया जाना	26
2.15	पंजीकरण प्रमाण-पत्र के रद्दीकरण के बाद अप्रयुक्त घोषणा-प्रपत्रों को वापस न लेना	27
2.16	पंजीकरण प्रमाण-पत्र के रद्दीकरण के बाद प्रपत्रों का निर्गम	29

2.17	प्रपत्रों के ऑन-लाइन जारी करने के पश्चात् पूर्व में जारी मुद्रित प्रपत्रों को वापस न माँगना	30
2.18	पंजीकरण प्रमाणपत्र में शामिल नहीं किये गये माल हेतु घोषणा प्रपत्र जारी किया जाना	30
2.19	अवैध और अप्रचलित घोषणा प्रपत्रों के नमूने परिचालित करना	32
2.20	दोषपूर्ण प्रपत्रों के संबंध में अधिसूचना जारी न करना	32
2.21	गुम/चोरी हुए प्रपत्रों के संबंध में अधिसूचना जारी न करना	32
2.22	अवैध प्रपत्र जारी करना	33
2.23	व्यापारियों की शाखाओं के डाटाबेस का अभाव	34
2.24	घोषणा प्रपत्रों का प्रति सत्यापन	34
2.25	टिनएक्सिस	35
2.26	टिनएक्सिस पर उपलब्ध आंकड़े	36
2.27	रद्द व्यापारियों की जानकारी	37
2.28	टिनएक्सिस से सूचना सत्यापन	38
2.29	विभागीय वेबसाईट का उपयोग न होना	39
2.30	प्रति सत्यापन के अन्य तंत्र	40
2.31	एक प्रवर्तन विंग का निर्माण	41
2.32	सत्यापन न करने के परिणाम	45
2.33	विक्रेता व्यापारी और क्रेता व्यापारी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में भिन्नता	48
	अध्याय III विक्रेता व्यापारियों का निर्धारण	
3.1	सीएसटी निर्धारण	55
3.2	जाली प्रपत्रों के प्रति दी गई रियायतें	56
3.3	अन्य व्यापारियों को जारी प्रपत्रों का उपयोग	58
3.4	प्रपत्रों के उपयोग में धोखाबाजी/कपट	59
3.5	अप्रचलित प्रपत्रों की स्वीकृति के कारण राजस्व की हानि	61
3.6	दोषपूर्ण प्रपत्रों के प्रति स्वीकृत रियायतें/छूटें	62
3.7	प्रपत्रों की प्रतिलिपि के प्रति अनुमोदित रियायतें/छूट	65
3.8	निर्धारित अवधि से परे हुए संव्यवहार को कवर करने वाले प्रपत्र	66
3.9	प्रपत्रों की विलम्ब से प्रस्तुति पर अनुमोदित रियायतें	67
3.10	प्रपत्रों के बिना अनुमोदित रियायतें/छूट	68
3.11	माल वितरण के सबूत के बिना छूट की मंजूरी	72
3.12	कर का अपवंचन	73
3.13	अंतर-राज्यीय बिक्री का कम लेखांकन	75
3.14	कर की गलत दर का लगाया जाना	75
3.15	ब्याज/शास्ति नहीं लगाया जाना	76

अध्याय IV क्रेता व्यापारियों का निर्धारण		
4.1	क्रेता व्यापारियों का निर्धारण	79
4.2	जाली प्रपत्र	79
4.3	घोषणा प्रपत्रों के दुरूपयोग के कारण कर की चोरी	81
4.4	पंजीकरण प्रमाण में शामिल न किए गए माल की खरीद	84
4.5	रिटर्नों की त्रुटिपूर्ण जाँच	84
4.6	घोषणा प्रपत्रजारी करके खरीदे हुए माल का लेखाकरण नहीं/कम किया जाना	87
अध्याय V निष्कर्ष और सिफारिशें		
5.1	निष्कर्ष	89
5.2	सिफारिशें	91
5.3	राज्य सरकारों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई	92
अनुबंध		
क	वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक राज्यवार सीएसटी संग्रहण	95
ख	राज्य सीटीडी मुख्यालय के साथ टिनएक्सिस की संबद्धता	97
ग	टिनएक्सिस पर व्यापारियों और सांविधिक प्रपत्रों के आँकड़ों का अन्तिम अपडेट	99
घ	राज्य सीटीडी अधिकारियों द्वारा टिनएक्सिस का उपयोग	101
ङ	दोतरफा जाँच से पता चले जाली प्रपत्र	103
च	प्रपत्रों का दुरूपयोग	105
छ	प्रपत्रों में फेरबदल	107

प्राक्कथन

हमारी नियमित लेखापरीक्षा के दौरान, हमने व्यापार विपथन और अन्य कुप्रथाओं का आश्रय लेने वाले बेईमान व्यापारियों के बहुत से मामलों का पता लगाया क्योंकि कर अपवंचन को रोकने के लिए स्थापित किए गए जाँच एवं संतुलन को राज्यों में वाणिज्यिक कर विभागों द्वारा प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जाता है। प्रणाली में अन्तर्निहित कमजोरियों का लाभ उठाते हुए कुछ व्यापारियों ने माल की बिक्री पर 12.5 *प्रतिशत* मूल्य वर्द्धित कर (वैट) का भुगतान करने के बजाए ने माल की अन्तर-राज्यीय बिक्री का दावा किया और मात्र दो *प्रतिशत* केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) का भुगतान करते हुए बच निकले। इस प्रकार, वैट का अपवंचन हुआ जिसके कारण राज्यों को राजस्व की हानि हुई।

माल और सेवा कर (जीएसटी) को शुरू करके सीएसटी को समाप्त करने का इरादा था। जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए मूल रोडमैप 1 अप्रैल 2011 था जिसे बाद में बदलकर 1 अप्रैल 2012 कर दिया गया था। 2012-13 के लिए संघ का बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि संविधान संशोधन बिल, जो जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए पूर्व अपेक्षित था, संसदीय स्थायी समिति के पास था और जीएसटी के लिए मॉडल विधान की ड्राफ्टिंग की जा रही थी। जीएसटी नेटवर्क को राष्ट्रीय सूचना उपयोग के रूप में स्थापित किया जाएगा और वह अगस्त 2012 तक चालू हो जाएगा। इसलिए, सीएसटी कुछ और समय के लिए जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त, यदि 2013 में भी जीएसटी शुरू होता है तो भी राज्य सरकारों को पूर्व बिक्री कर शासन प्रणाली, वर्तमान वैट प्रणाली और सीएसटी के अन्तर्गत लम्बित निर्धारणों को तो पूरा करना ही होगा। इस प्रकार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्यों को राजस्व की कोई हानि न हो, यह तो सुनिश्चित करना ही होगा कि अन्तर-राज्यीय लेन-देन के दावे सही हैं और समुचित तथा सत्यापन-योग्य दस्तावेजों द्वारा समर्थित हैं।

अतएव, हमने यह देखने के लिए कि क्या स्थापित तन्त्र यह सुनिश्चित करने में सहायक थे कि छूटों/रियायतों को सही रूप से और सही मामलों में ही अनुमत किया गया था एवं राजस्व की कोई हानि नहीं हुई थी, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा विभिन्न घोषणा प्रपत्र जारी करने और उनके लेखांकन तथा सीएसटी के अन्तर्गत कर की छूट/रियायती दर का दावा करने के उद्देश्य से व्यापारियों द्वारा उसके उपयोग की प्रक्रिया की निष्पादन लेखापरीक्षा करने का निर्णय लिया।

यह अध्ययन रिपोर्ट नवम्बर 2010 से अगस्त 2011 तक की अवधि के दौरान 29 राज्यों और तीन संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गई निष्पादन लेखापरीक्षा का संकलन है।

कार्यकारी सार

सन्दर्भ

केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) बिक्री पर कर का उद्ग्रहण है जो अन्तर-राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान प्रभावित होता है। यद्यपि, सीएसटी एक केन्द्रीय उद्ग्रहण है फिर भी इसका प्रबन्ध संबंधित राज्य द्वारा किया जाता है जिसमें बिक्री उद्भूत होती है और राजस्व राज्य सरकार को जाता है। एक राज्य में माल के विक्रेता अथवा व्यापारी को राज्य के अन्दर होने वाली माल की बिक्री पर राज्य बिक्री कर के साथ-साथ अन्तर-राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान होने वाली बिक्री पर केन्द्रीय बिक्री कर का संग्रहण करना होता है।

सीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारी प्रपत्र 'सी', 'ई-I'/'ई-II' और 'एफ' में निर्धारित घोषणाओं के प्रस्तुतीकरण पर अन्तर-राज्यीय संव्यवहारों पर कर की कतिपय रियायतों एवं छूटों के पात्र हैं। राज्य सरकारें ये घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करने पर व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों को ये प्रोत्साहन प्रदान करती है। प्रत्येक राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग की यह जिम्मेवारी है कि वह घोषणा प्रपत्रों का उचित लेखाकरण सुनिश्चित करें और घोषणा प्रपत्र/प्रमाण-पत्र जिन पर कर राहत अनुमत की गई है जिनमें राज्य राजकोष के राजस्व की बड़ी राशि शामिल है, के दुरूपयोग के प्रति पर्याप्त रक्षोपाय करे।

मूल्य वर्द्धित कर (वैट) के कार्यान्वयन के भाग और देश में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रारम्भ करने के रूप में केन्द्र और राज्य 1 अप्रैल 2007 से प्रारम्भ करते हुए चार वर्षों की अवधि में एक *प्रतिशत* वार्षिक दर से कम करते हुए सीएसटी को समाप्त करने के लिए सहमत हुए थे और 2010-11 तक इसे पूर्णतः समाप्त करने की योजना थी। तदनुसार, वैट प्रारम्भ करने के पश्चात् सीएसटी को 2007-08 में चार *प्रतिशत* से कम करके तीन *प्रतिशत* और 2008-09 में पुनः कम करके दो *प्रतिशत* कर दिया गया था। इसे 1 अप्रैल 2009 से प्रारम्भ करते हुए दोबारा एक *प्रतिशत* तक कम किया जाना निर्धारित था। मूल योजनाओं से काफी हटकर केन्द्र और राज्यों ने 2009-10 में सीएसटी दर को कम न करने का निर्णय लिया। इसके बजाए, एक बार प्रस्तावित जीएसटी प्रारम्भ होने पर कर को पूर्णतः वापिस ले लिया जाएगा। केन्द्र सीएसटी दरों में कमी के कारण राज्यों को होने वाले राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति करेगा।

हमने यह अध्ययन क्यों किया

जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए मूल रोडमेप 1 अप्रैल 2011 था जिसे बाद में बदलकर 1 अप्रैल 2012 कर दिया गया था। 2012-13 के लिए संघ बजट को प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि 115वां संविधान संशोधन बिल जो जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए पूर्व-अपेक्षित था वह संसदीय स्थायी समिति के समक्ष था और जीएसटी के लिए मॉडल विधान की ड्राफ्टिंग की जा रही थी। इसलिए सीएसटी के

कुछ और समय के लिए जारी रहने की संभावना है। इसके अतिरिक्त यदि जीएसटी प्रारम्भ हो भी जाता है तो भी राज्य सरकारों को पूर्व बिक्री कर काल और वर्तमान वैट शासन प्रणाली के अन्तर्गत लम्बित निर्धारणों के साथ-साथ लम्बित सीएसटी निर्धारण तो पूरे करने ही होंगे। इस प्रकार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्यों को राजस्व की कोई हानि न हो, यह तो सुनिश्चित करना ही होगा कि अन्तर-राज्यीय लेन-देन के दावे सही हैं और समुचित तथा सत्यापन-योग्य दस्तावेजों द्वारा समर्थित हैं।

हमारी लेखापरीक्षा के दौरान व्यापार विपथन और अन्य कुप्रथाओं के बहुत से मामले हमारे ध्यान में आए क्योंकि कर अपवंचन को रोकने के लिए स्थापित किए गए जाँच एवं संतुलन को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। प्रणाली में अन्तर्निहित कमजोरियों का लाभ उठाते हुए कुछ बेईमान व्यापारियों ने माल की बिक्री पर 12.5 *प्रतिशत* वैट का भुगतान करने के बजाए माल की अन्तर-राज्यीय बिक्री का दावा किया और मात्र दो *प्रतिशत* सीएसटी का भुगतान करते हुए बच निकले। इस प्रकार, वैट का अपवंचन हुआ जिसके कारण राज्यों को राजस्व की हानि हुई।

इसलिए, हमने यह देखने के लिए कि क्या स्थापित तन्त्र यह सुनिश्चित करने में सहायक थे कि छूटों/रियायतों को सही रूप से और मात्र असली मामलों में अनुमत किया गया था और राजस्व की कोई हानि नहीं हुई थी, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा इन घोषणा प्रपत्रों को मुद्रित करने, जारी करने एवं उनके लेखांकन तथा सीएसटी के अन्तर्गत कर की छूट/रियायती दर का दावा करने के उद्देश्य से व्यापारियों द्वारा उसके उपयोग की प्रक्रिया की निष्पादन लेखापरीक्षा करने का निर्णय लिया।

हमने विशेष रूप से निम्नलिखित पहलुओं का अध्ययन करने का प्रयास कियाः

- सांविधिक प्रपत्रों की प्राप्ति, निर्गम और उपयोग की प्रणाली की पर्याप्तता, विश्वसनीयता और प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना;
- यह अभिनिश्चित करना कि क्या निर्धारण अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई छूटें/रियायतें वैध घोषणा प्रपत्रों द्वारा समर्थित थीं;
- यह जांच करना कि क्या कर के अपवंचन को रोकने के लिए प्रपत्रों की यथार्थता अभिनिश्चित करने की कोई प्रणाली विद्यमान है तथा जाली, अवैध और त्रुटिपूर्ण (उचित और अपर्याप्त ब्यौरे के बिना) प्रपत्रों का पता लगने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है;
- यह विश्लेषण करना कि क्या टिनएक्सीस वेबसाइट ने अन्तर-राज्यीय संव्यवहारों के प्रति-सत्यापन के लिए एक प्रभावी तंत्र के रूप में कार्य किया है; और
- यह निर्धारण करना कि क्या अन्तर-राज्यीय संव्यवहारों के कारण राजस्व की हानि को रोकने के लिए एक पर्याप्त और प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र विद्यमान है।

हमने लेखापरीक्षा कैसे की

निष्पादन लेखापरीक्षा पूरे देश में की गई थी और नवम्बर 2010 से अगस्त 2011 तक की अवधि के दौरान 29 राज्यों एवं तीन संघ-राज्य क्षेत्रों में स्थित सभी 33 क्षेत्रीय कार्यालयों[1] द्वारा की गई थी। हमारा कार्यक्षेत्र मात्र 'सी' और 'एफ' घोषणा पत्रों की जांच करने तक ही सीमित था। लेखापरीक्षा तीन चरणों में की गई थी।

- ≈ प्रथम चरण में क्षेत्रीय कार्यालयों ने यादृच्छिक रूप से वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान पूरे किए गए सीएसटी निर्धारणों से संबंधित विक्रेता व्यापारियों के निर्धारण फोल्डर्स से तीन माह की अवधि में 'सी' एवं 'एफ' प्रपत्रों का डॉटा एकत्रित किया। इस ढंग से कुल 1,35,537 प्रपत्रों से संबंधित डॉटा (1,11,059 'सी' प्रपत्र और 24,478 'एफ' प्रपत्र) एक संगठित डॉटाबेस में संग्रहीत था। हमने इस डॉटा को समेकित किया और इसके पश्चात राज्य जहाँ से घोषणा पत्र जारी किए गए थे (अर्थात जहाँ क्रेता व्यापारी स्थित थे), के अनुसार राज्य-वार डॉटाबेस को छांटा।
- ≈ दूसरे चरण में डॉटाबेस को वाणिज्यिक कर विभाग के साथ इन प्रपत्रों की प्रमाणिकता और व्यापारियों की यथार्थता की जाँच करने के लिए उन्हें संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजा गया था और तंदन्तर, ऐसे ब्यौरों कि क्या खरीदा गया माल व्यापारी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र में कवर हुआ था, माल के मूल्य, क्या खरीदारियों को लेखांकित किया गया था, और निर्धारण, यदि उसे अन्तिम रूप दिया गया तो वह सही रूप से किया गया था, का सत्यापन करने के लिए खरीद करने वाले व्यापारियों के निर्धारण अभिलेखों की जाँच करने के लिए यूनिट कार्यालयों का दौरा किया गया।
- ≈ तीसरे चरण में नकली प्रपत्र, अपंजीकृत व्यापारी, व्यापारी के पंजीकरण प्रमाण पत्र में कवर न किए गए माल, माल के स्वरूप और मूल्य में अन्तर आदि जैसी ध्यान में आई गलतियों को उन राज्यों को सूचित किया गया था जहाँ विक्रेता व्यापारी स्थित थे ताकि अनियमितताओं को विभाग को बताया जा सके ताकि वे निर्धारण को संशोधित करने और छूट/रियायत को वापिस लेने में समर्थ हो सकें।

हमारे निष्कर्ष

हमने पाया कि राज्य सरकारों के पास विक्रेता व्यापारियों द्वारा ली गई रियायतों/छूटों और उसके परिणामस्वरूप राज्य को राजस्व की हानि से संबंधित डॉटा को एकत्रित करने के लिए कोई तन्त्र नहीं था। इन घोषणा प्रपत्रों के मुद्रण और अभिरक्षा के लिए तन्त्र या तो निर्धारित ही नहीं किया गया था अथवा जहाँ निर्धारित किया गया था वहाँ वह सशक्त नहीं था। बहुत से राज्यों में इन प्रपत्रों की आवश्यकता का उचित रूप से निर्धारण नहीं किया गया था जिसके कारण स्टॉक का भारी संचयन हुआ। जीएसटी के विचाराधीन होने और सीएसटी के परिणामी उन्मूलन से इन प्रपत्रों

[1] महाराष्ट्र में दो क्षेत्रीय कार्यालय हैं- एक मुम्बई में स्थित है और दूसरा नागपुर में।

के उपयोग की संभावना बहुत कम है। स्टॉक का भौतिक सत्यापन या तो निर्धारित नहीं था अथवा नहीं किया गया था जिससे प्रणाली का दुरूपयोग हो सकता था और प्रपत्र बेईमान व्यापारियों के हाथ में जा सकते थे। हमने ऐसे मामले पाए जहाँ चोरी किए गए प्रपत्रों का उपयोग छूटों/रियायतों का दावा करने के लिए किया गया था। अप्रचलित प्रपत्रों के स्टॉक को नष्ट नहीं किया गया था और न ही इन प्रपत्रों के ब्यौरे को अन्य राज्यों को सूचित किया गया था ताकि विक्रेता व्यापारियों द्वारा उनका दुरूपयोग न किया जा सके।

हमने यह भी नोट किया कि हाल में गुजरात, केरल और महाराष्ट्र जैसे बहुत से राज्यों ने इन सांविधिक प्रपत्रों को ऑनलाइन जारी करना प्रारम्भ कर दिया जिसका हितकारी प्रभाव होगा क्योंकि इससे राजस्व की हानि की संभावना न्यूनतम होगी और अन्य राज्यों के निर्धारण अधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग (सीटीडी) की वेबसाइट से व्यापारी और प्रपत्रों की यथार्थता भी जाँच कर सकेंगे।

सीटीडीज ने व्यापारी जो विगत में अवैध/नकली घोषणा प्रपत्रों का उपयोग करते हुए पाए गए थे, का डॉटाबेस नहीं रखा। ऐसे व्यापारियों को न तो कालीसूची में डाला गया था और न हीं उनके ब्यौरों को अन्य निर्धारण यूनिटों के मध्य और अन्य राज्यों को परिचालित किया गया था। हमने पाया कि व्यापारी जो विगत में नकली/जाली प्रपत्रों का उपयोग करते हुए पाए गए थे उनकी सीटीडी द्वारा निगरानी नहीं की जा रही थी और परिणामतः वे निरन्तर इस प्रकार का बर्ताव प्रदर्शित करते रहे जैसाकि उन मामलों से स्पष्ट होता है जिनका पता हमें हमारे वर्तमान अध्ययन के दौरान लगा। बनावटी अथवा गैर विद्यमान व्यापारी अथवा वे जिनके पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कर दिए गए थे के ब्यौरों को अन्य राज्य सरकारों को भी सूचित नहीं किया गया था। सीटीडीज ने नकली अथवा जाली घोषणा प्रपत्रों की पहचान करने हेतु तुलना के लिए विभिन्न राज्यों में प्रचलित प्रपत्रों के रंग, डिजाइन एवं फॉर्मेट का नमूना नहीं रखा। बहुत से राज्यों में अन्य राज्यों के साथ संव्यवहारों के प्रति-सत्यापन के लिए एक आसूचना स्कन्द अथवा समान तन्त्र का सृजन नहीं किया गया था। जहाँ कहीं भी ऐसा तंत्र विद्यमान था वहाँ कपटपूर्ण संव्यवहारों का पता लगाने में इसकी भूमिका बहुत सीमित थी।

अन्तर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान की गई बिक्री/खरीद को मॉनीटर करने में विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के सीटीडीज की सहायता करने के लिए राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा गठित वेबसाइट जो कर सूचना विनिमय प्रणाली (टिनएक्सीस) के नाम से भी जानी जाती है से वांछित उद्देश्य पूरा हुआ प्रतीत नहीं होता क्योंकि बहुत से राज्यों के संबंध में डॉटा प्रविष्टि में भारी बेकलॉग हो गया था। परिणामतः, इसका पंजीकृत व्यापारियों के केन्द्रीय गोदाम के रूप में उपयोग नहीं किया जा सका और वह ऐसा साधन उपलब्ध नहीं करा सकी जहाँ अन्तर-राज्यीय संव्यवहारों में व्यापारियों को जारी किए गए और उनके द्वारा उपयोग किए गए प्रपत्रों के ब्यौरों के निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारियों द्वारा आसानी से सत्यापन किया जा सके। निर्धारण अधिकारियों द्वारा वेबसाइट का उपयोग बहुत से राज्यों में अत्यधिक कम पाया गया था। हमने देखा कि एक राज्य में प्रपत्र ऑनलाइन जारी करने

की एप्लिकेशन प्रणाली में आवश्यक नियंत्रण का अभाव था क्योंकि एकल अन्तर-राज्यीय क्रय के प्रति एक से अधिक घोषणा प्रपत्र जारी किए जा सकते थे।

हमने पाया कि कुछ राज्यों में नए प्रपत्रों को जारी किया गया था यद्यपि विक्रेता ने उसे पहले जारी किए गए प्रपत्रों के उपयोग विवरण प्रस्तुत नहीं किए थे। कुछ मामलों में प्रपत्रों को कालानुक्रमिक रूप से जारी नहीं किया गया था जिससे विभाग प्रपत्रों का ट्रैक रखने में समर्थ हो सके। व्यापारियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्रों (आरसी) को उनके अधिकार में पड़े हुए तथा उपयोग न किए प्रपत्रों को वापिस लिए बिना रद्द किया गया था और कुछ मामलों में प्रपत्रों को उन व्यापारियों को जारी किया गया था जिनके पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) पहले ही रद्द हो चुके थे। इस परिदृश्य में, ऐसे प्रपत्रों के दुरूपयोग की संभावना को नज़रअन्दाज़ नहीं किया जा सकता।

विक्रेता और क्रेता दोनों के पास संव्यवहारों के हमारे प्रति-सत्यापन से नकली प्रपत्रों के उपयोग के बहुत से दृष्टांतों का पता चला क्योंकि सीटीडी द्वारा इनकी पुष्टि जारी न किए गए प्रपत्रों के रूप में की गई थी। हमें ऐसे मामलों का भी पता चला जहाँ उपयुक्त प्रपत्रों को सीटीडी द्वारा अन्य व्यापारियों को जारी किया गया था अथवा व्यापारी जिसे प्रपत्र जारी किया गया था वह एक अपंजीकृत व्यापारी था। कर से अधिक छूट/कर की रियायती दर का दावा करने के लिए अतिरिक्त आँकड़ों को समाविष्ट करते हुए विक्रेता व्यापारी द्वारा प्रपत्रों में हेराफेरी की गई पाई गई थी। यद्यपि, कुछ प्रपत्रों में, कांट-छांट/कटिंग्स/ओवरराइटिंग थी जो सम्भव हेर-फेर को दर्शाती थीं, इन्हें प्रति सत्यापन के बिना सीटीडी द्वारा स्वीकार किया गया था। कई मामलों में मूल प्रपत्रों के प्रस्तुत करने पर जोर दिए बिना डुप्लीकेट प्रपत्र स्वीकार किए गए थे।

हमने ऐसे दृष्टांत भी पाए जहाँ शाखा, जिसके लिए माल हस्तान्तरित किया गया बताया गया था, विद्यमान नहीं थे। कुछ मामलों में ऐसे माल की खरीद की गई थी जो व्यापारी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र में कवर नहीं होता था। बहुत से मामले ऐसे थे जहाँ खरीदार व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों की काउन्टर फाइल/उपयोग प्रमाण-पत्रों में दर्शाए गए माल का मूल्य विक्रेता व्यापारी के पास उपलब्ध प्रपत्रों की मूल प्रतियों के अनुरूप नहीं था, जो यह दर्शाता था कि या तो बिक्री को छुपाया गया था/या उसको अधिक बताया गया था अथवा खरीद या स्थानीय बिक्री के छिपाव को कर छूट/रियायतों का दावा करने के लिए अन्तर-राज्यीय बिक्री के रूप में दिखाया गया था। इसलिए सीटीडी को ऐसे सभी मामलों की जाँच-पड़ताल करने की आवश्यकता थी। हमने यह भी पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया। उपयोग प्रमाण-पत्रों में दिखाई गई राशि व्यापारियों द्वारा दायर की गई विवरणियों में दिखाई गई राशि के साथ मेल नहीं खाती थी जिसके परिणामस्वरूप बिक्री/खरीद निर्धारण से बच गई। निर्धारण अधिकारियों ने मामलों को अन्तिम रूप देने के लिए सीटीडी के अनुदेशों के बावजूद सीएसटी निर्धारणों को भी पूरा नहीं किया। बहुत से मामलों में कुप्रथाओं में संलिप्त व्यापारियों पर दण्ड को कठोरता से लागू नहीं किया गया था।

अध्याय I

प्रस्तावना

अध्याय-I
प्रस्तावना

1.1 सीएसटी अधिनियम

केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) उन बिक्रियों पर कर का उद्ग्रहण है जो अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुई हैं। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी राज्य किसी भी माल की बिक्री अथवा खरीद पर बिक्री कर का उद्ग्रहण नहीं कर सकता है जो अंतर-राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान होती है। केवल संसद ऐसे संव्यवहारों पर कर का उद्ग्रहण कर सकती है। यह अवधारण करने हेतु कि क्या माल की एक विशिष्ट बिक्री अथवा खरीद को अंतर-राज्यीय बिक्री माना जा सकता है, के सिद्धान्तों के प्रतिपादन हेतु केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 पारित किया गया। अधिनियम अंतर-राज्यीय व्यापार/वाणिज्य के दौरान माल की बिक्री पर कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण और अंतर-राज्यीय वाणिज्य अथवा व्यापार की विशेष महत्ता वाले कतिपय माल को घोषित करने का प्रावधान करता है। अधिनियम उन प्रतिबंधों एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करता हैं जिनके अधीन ऐसे माल की बिक्री अथवा खरीद पर कर आरोपित करने वाले राज्य कानून होंगी।

केन्द्रीय बिक्री कर उपभोक्ताओं पर एक अप्रत्यक्ष कर है। यद्यपि सीएसटी एक केन्द्रीय उद्ग्रहण है, तथापि, यह जिस राज्य में बिक्री उद्भूत होती है उसी राज्य द्वारा प्रशासित होता है और राजस्व राज्य सरकार को जाता है। एक राज्य में माल के विक्रेता अथवा व्यापारी को बिक्री जो अंतर-राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान होती है पर केन्द्रीय बिक्री कर सहित राज्य के भीतर माल की बिक्री पर राज्य बिक्री कर का संग्रहण करना होता है। राज्य जहाँ से माल के संचलन की शुरूआत होती है, राजस्व उसे ही प्राप्त होता है।

सीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारी प्रपत्र" सी""ई-I/ईII" और 'एफ' में निर्धारित घोषणाओं की प्रस्तुति पर अंतर राज्यीय संव्यवहारों पर कतिपय रियायतों और छूटों के लिए हकदार होते हैं। राज्य सरकारें इन घोषणा प्रपत्रों की प्रस्तुति पर व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों को ये प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। घोषणा प्रपत्रों के उचित लेखांकन सुनिश्चित करने और उन घोषणा प्रपत्रों के दुरूपयोग के प्रति उपयुक्त रक्षोपाय करने का उत्तरदायित्व वाणिज्यिक कर विभाग (सीटीडी) का है जिन पर कर राहत अनुमत की जाती है जिसमें राज्य कोष पर राजस्व की बड़ी राशि अन्तर्ग्रस्त है।

इस प्रकार एक पंजीकृत व्यापारी को क्रेताओं/विक्रेताओं से निर्धारित प्रपत्रों में कतिपय घोषणाओं को जारी करने/प्राप्त करने की आवश्यकता है।"सी" एवं "एफ" प्रपत्रों के स्वरूप और उनके उपयोग अगले पैराग्राफों में वर्णित हैं।

1.2 प्रपत्र "सी"

1.2.1 सीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक व्यापारी जो अंतर-राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान क्रेता व्यापारी के पंजीयन प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट वर्गों के माल को एक पंजीकृत व्यापारी को बेचता है ऐसी कुल बिक्री के चार *प्रतिशत* (1.4.2007 से तीन *प्रतिशत* और 1.6. 2008 से दो *प्रतिशत*) की रियायती दर पर कर के भुगतान के लिए दायी होंगे बशर्ते ऐसी बिक्रियाँ प्रपत्र "सी" में घोषणाओं से समर्थित हैं। सभी पंजीकृत व्यापारी अन्य पंजीकृत व्यापारी से माल की खरीद करते समय प्रपत्र "सी" जारी करेंगे। प्रपत्र "सी" के आधार पर विक्रेता व्यापारी दो *प्रतिशत* की दर पर सीएसटी प्रभारित करता है और उसे सीएसटी के निम्नतर संग्रहण के लिए साक्ष्य अथवा कारण के रूप में अपने निर्धारण अधिकारी (नि.अ.) को प्रस्तुत करता है।

1.2.2 प्रक्रिया में अन्तर्ग्रस्त उपायों को नीचे उल्लिखित किया जाता है:

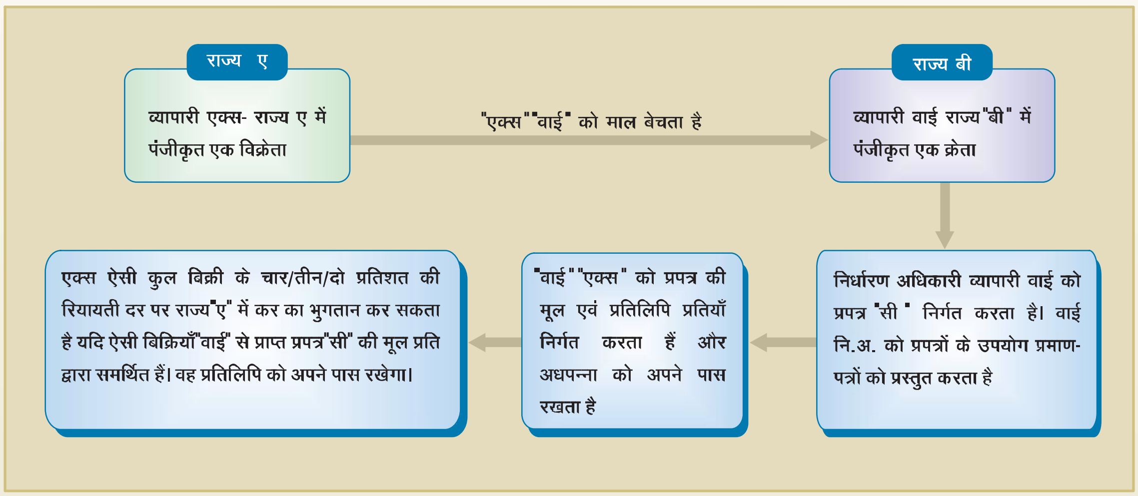

1.3 प्रपत्र "एफ"

1.3.1 प्रपत्र "एफ" स्टाक /शाखा अंतरण के रूप में माल के अंतर-राज्यीय संचलन पर छूटों का दावा करने के लिए प्रयुक्त होता है। सीएसटी (संशोधन) अधिनियम 1972 की धारा 6ए के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा से राज्य के बाहर उसके कारोबार स्थल को अथवा अन्य राज्यों में उसके एजेंट अथवा मालिक को बिक्री के पृथक मामलों में माल के हस्तांतरण को प्रपत्र "एफ" में घोषणा देने पर कर से छूट प्राप्त है जो कारोबार के अन्य स्थान के प्रधान अधिकारी अथवा उसके एजेंट अथवा मालिक जैसा भी मामला हो, द्वारा विधिवत भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित हो एवं उसके साथ ऐसे माल के प्रेषण का साक्ष्य हो। शाखा अथवा एजेंट, जो अन्य राज्य से माल प्राप्त कर रहा है, द्वारा प्रपत्र "एफ" माल के अंतरितक को जारी किया जाता है। माल अंतरितक, विभाग को प्रपत्र प्रस्तुत कर सीएसटी से छूट का दावा कर सकता है।

1.3.2 प्रपत्र "एफ" में घोषणाओं को भरना मई 2002 तक अनिवार्य नहीं था। तथापि, अधिनियम में निर्धारण अधिकारी के लिए ऐसी पूछताछ करने का प्रावधान था जैसाकि वह बिक्री *पाट्टिज,* प्रेषण ब्यौरे, वे-बिल इत्यादि जैसे हस्तांतरण की प्रमाणिकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट होने हेतु आवश्यक समझे। जून 2002 से प्रपत्र "एफ" उस स्टाक/शाखा अंतरण के रूप में हस्तांतरण का दावा करने हेतु अनिवार्य है जिसके लिए कोई सीएसटी का भुगतान नहीं किया जाना है। प्रपत्र "एफ" के अभाव में ऐसे सभी अंतरण सामान्य अंतर-राज्यीय बिक्री के रूप में माने जाने है और सीएसटी का उद्ग्रहण किया जाना है। व्यापारी के पास अपेक्षित समर्थक अनुबंधों के साथ एक महीने के लिए सभी अंतर-राज्यीय स्टाक/शाखा अंतरण के लिए एक प्रपत्र "एफ" प्रस्तुत करने का विकल्प है।

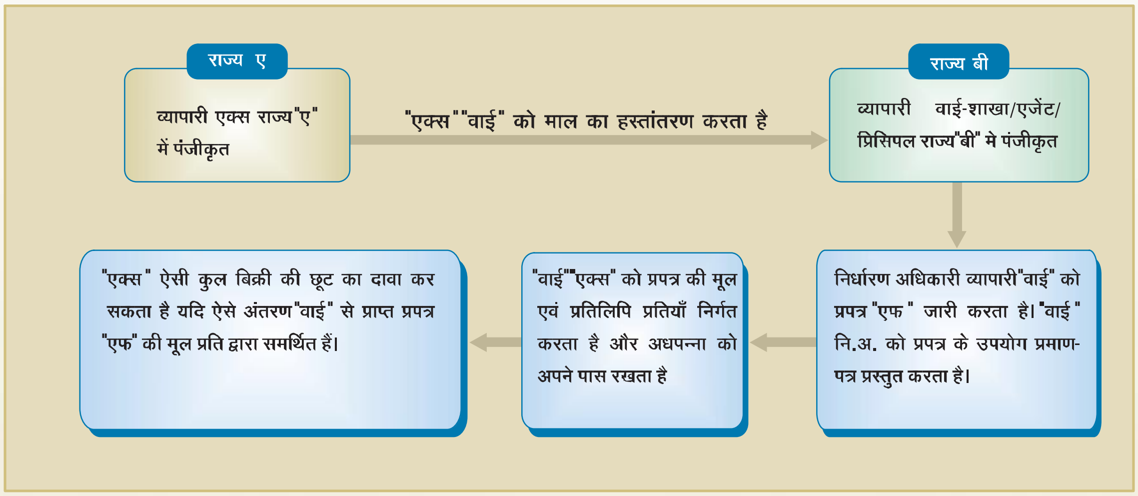

1.4 नयी कर पद्धति की ओर प्रस्थानः सीएसटी को चरणबद्ध तरीके से हटाना

1.4.1 सीएसटी सामान्य बाजार की संकल्पना में एक बाधा के रूप में उभरा था, केन्द्र एवं राज्य सहमत हुए थे कि मूल्य वर्द्धित कर (वैट) के कार्यान्वयन और माल एवं सेवाकर (जीएसटी), की प्रस्तावित शुरूआत से सीएसटी चार वर्षों की अवधि में 1 अप्रैल 2007 की शुरूआत से एक प्रतिशत वार्षिक दर कमी से समाप्त हो जाएगा। यह 2010-11 तक पूर्णतः समाप्त होने के लिए निर्धारित था। तद्नुसार वैट की शुरूआत के बाद 2007-08 में सीएसटी दर चार *प्रतिशत* से घटकर तीन *प्रतिशत,* 2008-09 में घटकर दो प्रतिशत निर्धारित हुई थी। यह 1 अप्रैल 2009 से अन्य एक *प्रतिशत* तक कम होने के लिए निर्धारित थी। मूल योजना से अत्यधिक विचलन करते हुए केन्द्र एवं राज्यों ने 2009-10 में सीएसटी दर को कम नहीं करने का निर्णय लिया। इसके बजाए प्रस्तावित जीएसटी की शुरूआत होने के साथ ही कर को पूर्णतः वापस लिया जाना है। केन्द्र सीएसटी दरों में कमी के कारण राज्यों को होने वाले राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति करेगा।

1.4.2 वर्तमान में सीएसटी की दर दो *प्रतिशत* है।

1.5 हमने यह अध्ययन क्यों किया

1.5.1 सीएसटी, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत के साथ ही समाप्त होना था। जीएसटी के कार्यान्वयन का मूल रोड मैप 1 अप्रैल 2011 था जिसे बाद में 1 अप्रैल 2012 तक बढ़ा दिया गया था। 2012-13 के लिए केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि 115वाँ संविधान संशोधन बिल जो जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए पूर्वापेक्षित था, वह संसदीय स्थायी समिति के समक्ष था और जीएसटी के लिए मॉडल विधान प्रगति पर था। अतएव, सीएसटी कम से कम कुछ अतिरिक्त समय के लिए लागू रहेगा।

1.5.2 इसके अतिरिक्त जबकि जीएसटी 2012 के अंत में/2013 में लागू किया जाना है फिर भी राज्य सरकारों से पूर्ववर्ती बिक्री कर पद्धति, वर्तमान वैट गठन और सीएसटी के अन्तर्गत लम्बित निर्धारणों को पूरा करना अभी अपेक्षित होगा। इस प्रकार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंतर-राज्यीय संव्यवहारों के दावे यथार्थ है और उचित एवं सत्यापनीय प्रलेखन द्वारा समर्थित हैं, की महत्ता रहती है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि राज्यों का कोई राजस्व निःसरण न हो।

1.5.3 हमारी लेखापरीक्षा के दौरान व्यापार विपथन और अन्य कदाचारों के कई उदाहरण ध्यान में आये हैं क्योंकि कर अपवंचन को रोकने हेतु विद्यमान जाँच एवं संतुलन को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। प्रणाली में अन्तर्ग्रस्त कमियों का लाभ उठाकर बेईमान व्यापारी माल की बिक्री पर 12.5 *प्रतिशत* वैट का भुगतान करने के बजाय माल की अंतर-राज्यीय बिक्री का दावा करते हैं और मात्र दो *प्रतिशत* सीएसटी का भुगतान कर अतिरिक्त देय कर दायित्व से छुटकारा पा लेते हैं। इस प्रकार वैट का अपवंचन हुआ है जिससे राज्यों को राजस्व की हानि हुई।

1.5.4 2006-07 से 2010-11 तक की अवधि के लिए विभिन्न राज्यों में सीएसटी संग्रहण अनुबंध "क" में दर्शाये गये हैं।

1.5.5 यह ध्यान देने योग्य है कि 2007-08 में सीएसटी दर में कमी के बावजूद आन्ध्र-प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, केरल, पंजाब, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में पूर्व वर्ष की तुलना में सीएसटी के संग्रहण में वृद्धि दर्ज हुई थी। केरल में वृद्धि 199.2 *प्रतिशत* तक हुई थी जबकि उत्तर प्रदेश में यह 101 *प्रतिशत* थी। इसके अतिरिक्त जून 2008 में सीएसटी में एक प्रतिशत की कमी और उसके तुरंत बाद वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद वर्ष 2008-09 में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मिजोरम, मणिपुर और राजस्थान राज्यों में कर संग्रहण में वृद्धि हुई थी। 2009-10 में 18 राज्यों में सीएसटी संग्रहण में पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई जबकि 2010-11 में 22 राज्यों में संग्रहण में वृद्धि दर्ज हुई थी, जिसमें मेघालय (270 *प्रतिशत*) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी।

1.5.6 हमने वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा इन घोषणा प्रपत्रों के मुद्रण, निर्गम और लेखांकन की प्रक्रिया और सीएसटी के अन्तर्गत कर की छूट/रियायती दर के दावा करने के प्रयोजन के लिए व्यापारियों द्वारा इसके उपयोग की निष्पादन की लेखापरीक्षा यह देखने के लिए की कि क्या विद्यमान तंत्र यह सुनिश्चित करने में सहायक था कि केवल यथार्थ मामलों में छूटें/रियायतें सही रूप में अनुमत की गई थीं और राजस्व का निःसरण नहीं हुआ था।

1.6 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

1.6.1 हमारे उद्देश्य थेः

≈ सांविधिक प्रपत्रों की प्राप्ति, निर्गम और उपयोग की प्रणाली की पर्याप्तता, विश्वसनीयता और प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना;

≈ क्या कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा प्रदत्त छूटें/रियायतें वैध घोषणा प्रपत्रों द्वारा समर्थित थीं; को अभिनिश्चित करना;

≈ यह जाँच-पड़ताल करना कि क्या कर के अपवंचन को रोकने हेतु प्रपत्रों की यर्थाथता अभिनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली विद्यमान है तथा जाली, अवैध और दोषपूर्ण (उचित एवं अपर्याप्त ब्यौरों के बिना) प्रपत्रों की प्राप्ति पर उपयुक्त उपाय किए जाते हैं;

≈ टिनएक्सीस वेबसाइट में ब्यौरों और प्रपत्रों की शुद्धता के सत्यापन हेतु उपलब्ध डाटा के अपलोडिंग की प्रणाली का विश्लेषण करना; और

≈ क्या अंतर-राज्यीय संव्यवहारों के कारण राजस्व के निःसरण को रोकने के लिए पर्याप्त और प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र विद्यमान है, को अभिनिश्चित करना।

1.7 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

1.7.1 नवम्बर 2010 से अगस्त 2011 तक की अवधि के दौरान 29 राज्यों एवं तीन संघ राज्य क्षेत्रों में अवस्थित 33 क्षेत्रीय कार्यालयों[2] द्वारा पूरे देश में निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। हमारा कार्यक्षेत्र मात्र "सी" और "एफ" घोषणा-प्रपत्रों की जाँच पड़ताल तक सीमित था। लेखापरीक्षा तीन चरणों में की गई थी।

≈ प्रथम चरण में क्षेत्रीय कार्यालयों ने वित्त वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान पूर्ण हुए विक्रेता व्यापारियों के सीएसटी निर्धारणों के निर्धारण फोल्डरों से तीन महीनों की अवधि के लिए इन प्रपत्रों के संबंध में यादृच्छिक रूप में डाटा का संग्रहण किया। इस पद्धति में कुल 1,35,537 प्रपत्र (1,11,059 "सी" प्रपत्र और 24,478 "एफ" प्रपत्र) के संबंध में संगठित डाटाबेस में डाटा का संग्रहण किया गया था। हमने इस डाटा को समेकित किया और उसके बाद राज्य जहाँ

[2] महाराष्ट्र में दो क्षेत्रीय कार्यालय एक मुम्बई में और अन्य नागपुर में स्थित

घोषणा-प्रपत्र जारी किए गए थे (अर्थात जहाँ क्रेता व्यापारी अवस्थित था), के अनुसार राज्य-वार डाटाबेस बनाया।

- ≈ दूसरे चरण में डॉटाबेस को वाणिज्यिक कर विभाग के साथ इन प्रपत्रों की प्रमाणिकता और व्यापारियों की यथार्थता की जाँच करने के लिए उन्हें संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजा गया था और तदनन्तर, ऐसे ब्यौरों कि क्या खरीदा गया माल व्यापारी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र में कवर हुआ था, माल के मूल्य, क्या खरीदारियों को लेखांकित किया गया था, और निर्धारण, यदि उसे अन्तिम रूप दिया गया तो वह सही रूप से किया गया था, का सत्यापन करने के लिए खरीद करने वाले व्यापारियों के निर्धारण अभिलेखों की जाँच करने के लिए यूनिट कार्यालयों का दौरा किया गया।
- ≈ तीसरे चरण में ध्यान में आयी गलतियाँ जैसे जाली प्रपत्र, अपंजीकृत व्यापारी, व्यापारी के पंजीयन प्रमाण-पत्र में कवर न किए गए माल, माल के स्वरूप और मूल्य में अंतर इत्यादि उस राज्य को सूचित किया गया था जहाँ विक्रेता व्यापारी अवस्थित था ताकि अनियमितताएँ विभाग को बतायी जा सके जिससे निर्धारण का संशोधन हो और छूट/रियायत वापस ली जा सके।

1.8 लेखापरीक्षा द्वारा बाधाओं का सामना करना

1.8.1 जैसाकि पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित है, हमने वित्त वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान पूर्ण किए गए विक्रेता व्यापारियों के सीएसटी निर्धारणों के अभिलेखों के मामलों से 1,35,537 प्रपत्रों के संबंध में यादृच्छिक रूप में डाटा का संग्रहण किया। यह डाटा इस अवधि के दौरान प्रयुक्त "सी" एवं "एफ" प्रपत्रों की कुल संख्या का अत्यंत मिनिस्क्यूल सैंपल था जैसाकि हमने उन मामलों का चयन किया जहाँ सीएसटी निर्धारण तीन महीनों की अवधि के लिए उपलब्ध कराये गए निर्धारण फोल्डरों से पूरे हुए थे। अतएव इस अध्ययन रिपोर्ट में प्रस्तुत निष्कर्ष मात्र निदर्शी हैं क्योंकि वे लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए यादृच्छिक रूप में संग्रहीत प्रपत्रों के छोटे नूमनों से उभरे थे। यह डाटा उन राज्यों को प्रति सत्यापन के लिए अग्रेषित किया गया था जहाँ क्रेता व्यापारी, जिन्होंने सी/एफ प्रपत्र जारी किया था, अवस्थित थे।

तथापि, हमने प्रति सत्यापन करते हुए कतिपय बाधाओं का सामना किया था जैसाकि नीचे उल्लिखित हैः

- ≈ प्रपत्रों के अधपन्ने क्रेता व्यापारियों के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे;
- ≈ व्यापारियों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे और निर्धारण अधिकारियों ने उनकी प्रस्तुति हेतु दबाव नहीं डाला था;
- ≈ क्रेता व्यापारियों की ओर से निर्धारणों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था;
- ≈ लेखापरीक्षा को कतिपय मामलों में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जा सके; और

≈ विभाग के उत्तर जो यह पुष्टि करते कि क्या हमारे द्वारा संदेह किए गए कतिपय प्रपत्र जाली/नकली हैं, कुछ मामलों में प्रतीक्षित थे।

1.9 निष्कर्ष

1.9.1 निष्पादन लेखापरीक्षा जो प्रत्येक महालेखाकर कार्यालय द्वारा की गई थी के परिणाम नियंत्रक एवं महालेखपरीक्षक की सम्बन्धित राज्य राजस्व प्राप्ति रिपोर्टों में दर्शाये गए थे। हमारी आपत्तियों का संचयी धन मूल्य ₹1304.52 करोड़ था।

1.9.2 इस अध्ययन रिपोर्ट में हम प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं जिन्हें विभिन्न राज्य सरकारों के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किया गया था। अध्याय II से IV घोषणा प्रपत्रों के मुद्रण, अभिरक्षा एवं निर्गम के लिए विभिन्न राज्यों के वाणिज्यिक कर विभागों में आंतरिक नियंत्रण तंत्र और उनका सही उपयोग सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित प्रणालियों पर निष्कर्षों, विक्रेता व्यापारियों द्वारा किए गए अनियमित दावों और क्रेता व्यापारियों के निर्धारण में पायी गई गलतियों का उल्लेख करते हैं ।

1.9.3 अध्याय V में हमने कतिपय सिफारिश की है और हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर कुछ राज्यों द्वारा की गई सकारात्मक कार्रवाई भी सूचित की है।

अध्याय II
आंतरिक नियंत्रण तंत्र

अध्याय-II
आंतरिक नियंत्रण तंत्र

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 यह सुनिश्चित करने के लिए कि घोषणा प्रपत्रों का अभिप्रेत प्रयोजन के लिए उपयोग हो और कर अपवंचन का सहारा लेने के लिए एक माध्यम के रूप में उपयोग नहीं हो, के लिए प्राथमिक अपेक्षा वाणिज्यिक कर विभाग (सीटीडी) में सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण तंत्र का सृजन है। ऐसे तंत्रों को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रपत्रों का मुद्रण सुरक्षित परिवेश में हो, उनका सही-सही लेखा रखा जाए और उनके उपयोग को उचित रूप से मानीटर किया जाए। इसके साथ ही ऐसा तंत्र होना चाहिए जिसके माध्यम से अपंजीकृत/बेईमान व्यापारियों को चिह्नित किया जा सके, जाली प्रपत्रों को जब्त किया जा सके और उसके ब्यौरे अन्य राज्यों को शीघ्रता से सूचित किए जा सके। घोषणा प्रपत्रों की उचित अभिरक्षा, प्राप्ति और निर्गम सुनिश्चित करना विभाग पर निर्भर है ताकि दुरूपयोग जिससे राजस्व का निःसरण होता है, की सम्भावना का निराकरण हो।

2.1.2 अधिकांश राज्यों में प्रपत्रों के मुद्रण, अभिरक्षा और निर्गम के सम्बन्ध में निर्धारित नियंत्रण है- विभिन्न रजिस्टर, जिनसे मुख्यालय एवं यूनिट दोनों स्तर पर प्रपत्रों की प्राप्ति और निर्गम की निगरानी हो; प्रपत्रों का आवधिक रूप से भौतिक सत्यापन, जिससे यह सुनिश्चित हो कि उनका उचित रूप से लेखा रखा जाता है; व्यापारी जिन्हें प्रपत्र जारी किए जाते हैं से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करना, ताकि उनका उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके; व्यापारियों तथा प्रपत्रों की सत्यता टिनएक्सीस के माध्यम से जाँच करना, गुम हुए/अप्रचलित प्रपत्रों के संबंध में अन्य राज्यों की अन्य यूनिटों/सीटीडी को अधिसूचित करना और संव्यवहारों की यथार्थतता को अभिनिश्चित करने के लिए अन्य राज्यों के साथ प्रपत्रों के नमूनों की प्रति जाँच के लिए अन्वेषण विंग अथवा अन्य तंत्र।

2.1.3 शीर्षस्थ स्तर पर आयुक्त वाणिज्यिक कर (सीसीटी) प्रत्येक डिवीजन को घोषणा प्रपत्रों के मुद्रण, प्राप्ति एवं वितरण और उनके सही उपयोग की मानीटरिंग सहित सीटीडी में सीएसटी अधिनियम और नियमावली के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।

2.2 सीएसटी अधिनियम और राज्य नियमावली के बीच असंगतता

2.2.1 राज्य अधिनियम और नियमावली से सीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होने की प्रत्याशा है। हमने पाया कि कुछ राज्यों में सीएसटी नियमों में समाविष्ट प्रावधान सीएसटी अधिनियम और नियमावली के प्रावधानों के विपरीत है। उदाहरणार्थ, सीएसटी (पंजीयन एवं कुल बिक्री) नियमावली 1957 के नियम 12 के उपनियम (1) के द्वितीय उपबंध में प्रावधान है कि प्रपत्र "सी" में एकल घोषणा दो व्यापारियों के बीच वित्त वर्ष की तिमाही में हुई बिक्री के सभी संव्यवहारों को कवर करती है। नियम 12 के उप नियम (7) में आगे प्रावधान है कि प्रपत्र "सी" अथवा प्रपत्र "एफ" में घोषणाएँ उस अवधि की समाप्ति के बाद तीन महीनों के भीतर निर्धारित अधिकारी को प्रस्तुत की जायेंगी जिस अवधि से संबंधित घोषणा अथवा-प्रमाण-पत्र हों। तथापि, झारखंड में झारखंड मूल्य वर्द्धित कर नियमावली अगले वित्त वर्ष के दिसम्बर की समाप्ति तक सभी सीएसटी घोषणा-प्रपत्रों का प्रस्तुतिकरण अनुबद्ध करती है।

2.2.2 पंजाब में पंजाब वैट नियमावली 2005 के नियम 40 के उपनियम (1) और (2) में प्रावधान हैं कि प्रत्येक कर योग्य व्यक्ति केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निर्धारित घोषणाओं के साथ प्रत्येक वर्ष 20 नवम्बर तक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

2.2.3 असम में परिपत्र संख्या 11/2008 दिनांक 24 अप्रैल 2008 द्वारा आयुक्त कर, असम ने निर्धारण अधिकारियों (नि.अ.) को अनुदेश दिया कि सीएसटी विवरणियों के संबंध में व्यापारियों से संवीक्षा के समय सांविधिक प्रपत्रों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए। इस प्रकार, सीटी असम के परिपत्र ने सीएसटी (आरएंडटी) नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित तीन महीनों की अवधि के बाद भी समय विस्तार का लाभ दिया। ऐसे लाभ को सीटी के परिपत्र के माध्यम से नहीं दिया जा सकता है क्योंकि समय सीमा केन्द्रीय नियमावली के अन्तर्गत संवैधानिक रूप से दी गई है।

2.3 वैट और सीएसटी नियमावली के बीच असंगतता

2.3.1 जैसाकि पूववर्ती पैरा में उल्लिखित है झारखंड सीएसटी नियमावली सीएसटी नियमों के असंगत है। हमने यह भी पाया कि झारखंड मूल्य वर्द्धित कर नियमावली और झारखंड सीएसटी नियमावली एक दूसरे के विपरीत है क्योंकि झारखंड वैट नियमावली में अगले वित्त वर्ष के दिसम्बर की समाप्ति तक सभी सीएसटी प्रपत्र की प्रस्तुति अनुबद्ध है जबकि झारखंड सीएसटी नियमावली निर्धारण के समय तक (जेवैट अधिनियम के अन्तर्गत दो वर्षों के भीतर अंतिम रूप दिया जाना) और निर्धारण के बाद एक विशेष अवधि तक जैसाकि नि.अ. द्वारा अनुमत हो, घोषणा प्रपत्रों की प्रस्तुति का प्रावधान करती है। विवरणियों के साथ घोषणा प्रपत्रों की अनिवार्य प्रस्तुति के प्रावधान के अभाव से विवरणियों में संव्यवहारों के गलत ब्यौरों की प्रस्तुति के कारण कर का कम भुगतान हुआ।

2.3.2 संवीक्षा के दौरान हमने कई मामले देखे जहाँ व्यापारियों ने अपनी विवरणियों में कर की रियायती दर का भुगतान स्वीकार किया किन्तु निर्धारण के समय घोषणा-प्रपत्रों को प्रस्तुत नहीं किया।

2.3.4 झारखंड सरकार ने बताया कि लेखापरीक्षा आपत्ति के फलस्वरूप सीएसटी (झारखंड) नियमावली में एक नया नियम 4ए जुलाई 2011 में समाविष्ट किया गया जिसके अनुसार प्रत्येक तिमाही से संबंधित सीएसटी प्रपत्रों को आगामी तिमाही के बाद आने वाले माह के 20 वीं तारीख तक जमा किया जाना है।

2.4 सीएसटी निर्धारणों को पूर्ण न करना

2.4.1 सीएसटी अधिनियम की धारा 9(2) में प्रावधान है कि अधिकारियों को सम्बन्धित राज्य की सामान्य बिक्री कानून के अन्तर्गत किसी कर के निर्धारण, पुनर्निर्धारण, संग्रहण और भुगतान लागू करने के लिए शक्ति प्राप्त है एवं वे सीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा देय किसी ब्याज अथवा शास्ति सहित कर के निर्धारण, पुनर्निर्धारण, संग्रहण और भुगतान लागू कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए वे राज्य के सामान्य बिक्री कानून और ऐसी विधि के प्रावधान एवं निर्धारण सम्बन्धित प्रावधानों के अन्तर्गत उपलब्ध सभी या किसी एक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।

2.4.2 अरूणाचल प्रदेश में कोई सीएसटी निर्धारण सितम्बर 2011 तक नहीं किया गया था जैसाकि सितम्बर 2011 में सीटीडी द्वारा बताया गया था।

2.4.3 **असम** में एक परिपत्र के द्वारा सीटी असम ने सभी नि.अ. को निर्देश दिया (अप्रैल 2007) कि पूर्व -वैट अवधियों (मई 2005 तक) से संबंधित निर्धारण 31 मई 2007 के भीतर पूरे किये जाएँ। सीटी असम द्वारा सभी नि.अ. को 2005-06 और 2006-07 वर्षों के लिए सीएसटी निर्धारणों के सम्बन्ध में 30 सितम्बर 2009 तक निर्धारण पूरे करने के लिए निर्देश दिये गये (अप्रैल 2009)। तीन यूनिट कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी नमूना जाँच से पता चला कि सीटी के आदेशों के बावजूद, 10 व्यापारियों के संबंध में, जिनका सीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत ₹ 496.89 करोड़ का टर्नओवर था, निर्धारण वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए निर्धारण लेखापरीक्षा की तारीख तक पूरे नहीं किये थे।

2.4.4 **सिक्किम** में हमने देखा कि अधिकांश व्यापारियों ने या तो सीएसटी रिटर्न प्रस्तुत नहीं किये थे या सीएसटी रिटर्न अनियमित रूप से प्रस्तुत किये थे। सीटीडी ने किसी व्यापारी का कोई सीएसटी रिटर्न प्रथमदृष्टया शुद्धता के लिए सत्यापित नहीं किया और तथ्यतः 2007-08 से 2009-10 की अवधि के दौरान 75 सीएसटी व्यापारियों में से केवल 14 व्यापारियों (तीन औद्योगिक व्यापारियों, आठ इलायची व्यापारियों और तीन स्क्रैप व्यापारियों) के निर्धारणों को अन्तिम रूप दिया।

2.4.5 शीघ्र ही जीएसटी शुरू होना अपेक्षित है, सीएसटी निर्धारणों को अन्तिम रूप देना लम्बित रहने से टनओवर न केवल कराधान से बचने का जोखिम वहन करेगा अपितु सीएसडी पर लम्बित मामलों को अन्तिम रूप देने का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा जबकि वे नई कराधान व्यवस्था की चुनौतियों का सामना कर रहे होंगे।

2.5 सीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों के लिए पृथक बजट प्राक्कलनों का अभाव

2.5.1 हमारे ध्यान में आया कि **अरूणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पुदुचेरी** और **त्रिपुरा में** सीएसटी अधिनियम के अधीन राजस्व संग्रहण के लिए अलग से बजट प्राक्कलन नहीं बनाए जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप विभाग के पास सीएसटी राजस्व संग्रहण के पूर्वानुमान/अनुमान के लिए कोई पद्धति नहीं है। यह स्वस्थ वित्तीय प्रबन्धन के लिए सहायक नहीं था और अच्छी बजटिंग प्रथाओं के अनुरूप नहीं था।

2.5.2 **अरूणाचल प्रदेश** में सीटीडी 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान सीएसटी से वास्तविक प्राप्तियां लेखापरीक्षा को नहीं बता सके।

2.5.3 **कर्नाटक** में हमने सात निर्धारण सर्कल में पूरे किये गये निर्धारणों में घोषणा/ संवैधानिक प्रपत्रों के कम/नान फाइलिंग के 2,462 मामले देखे। इन मामलों के सम्बन्ध में कुल ₹ 147.40 करोड़ का ब्याज सहित विभेदी कर लगाया गया और सम्बन्धित व्यापारियों को मांग नोटिस जारी किये गये। तथापि, ये राशियां सीएसटी के अधीन बुक नहीं की गई और कर के बकाया के रूप में नहीं ली गई। इसमें मै. हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को निर्धारण वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए सीएसटी के अधीन जारी किये गये ₹ 52.19 करोड़ के मांग नोटिस शामिल थे।

2.5.4 यद्यपि इन मामलों में मांग नोटिस जनवरी 2009 और मार्च 2010 के बीच जारी किये गये थे, इन मांगों पर वसूली के लिए की गई अनुवर्ती कार्यवाही के साक्ष्य अभिलेखों में नहीं थे। परिणाम स्वरूप् सीटीडी द्वारा रिपोर्ट किये गये राजस्व बकाया की स्थिति केवल अशुद्ध ही नहीं थी अपितु सम्बन्धित व्यापारियों से इन राशियों की वसूली के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई थी, जो चिन्ता का विषय है।

2.6 कर के लिए दी गई छूट/रियायत के डाटाबेस का अभाव

2.6.1 सीएसटी अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गये नियमों के तहत कुछ शर्तों और निबन्धनों के पूरा होने पर सीटीडी द्वारा कर की छूट/रियायती दर अनुमत की जाती है।

2.6.2 सीएसटी के अन्तर्गत प्रदान की गई छूट/रियायत ने कर व्यय का रूप लिया क्योंकि सरकार द्वारा इस प्रक्रिया में राजस्व का त्याग किया गया। रियायत और छूट के माध्यम के द्वारा त्याग किये राजस्व का डाटाबेस अनिवार्य है ताकि दोनों, निर्धारण यूनिटों जहाँ व्यापारी वृहत संख्या में रियायत और छूट के दावे पेश करते हैं और वे वस्तुएं जिनके संबंध में छूट/रियायत मांगी जाती है, को मॉनीटर किया जा सके। इसके अतिरिक्त, ऐसे डाटाबेस के अभाव का अर्थ है कि औद्योगिक यूनिटों को प्रदान की गई छूट से सम्बन्धित नीतियाँ बनाते समय विभाग/सरकार व्यापार के लागत लाभों के मुद्दों का उचित रूप से विश्लेषण की स्थिति में नहीं होंगे। अतः ऐसी जानकारी अनुप्राणित निर्णय लेने के लिए पूर्वापेक्षा है।

2.6.3 हमने पाया कि किसी भी राज्य में सीटीडी द्वारा कर की छूट/रियायत के संबंध में डाटा का रख रखाव नहीं किया जाता था। ऐसे डाटाबेस के अभाव में विभाग समय-समय पर अनुमत रियायत और छूट के कारण त्याग किये गये राजस्व की राशि की मात्रा नहीं निकाल सके, न ही सीटीडी या लेखापरीक्षा के लिए यह संभव था कि प्रदान की गई रियायत और छूट का व्यवस्थित अध्ययन कर सके।

2.6.4 निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि कई सैक्टरों जैसे आन्ध्र प्रदेश में वनस्पति तेल व्यापारी, गोवा में रसायनों के व्यापारी, तमिलनाडु में इलायची व्यापारी और पुदुचेरी के पैट्रोलियम व्यापारी कर छूट/रियायत के दुरूपयोग के लिए प्रवृत थे।

2.7 संदिग्ध व्यापारियों को काली सूची में डालना और ऐसे व्यापारियों का एक डाटाबेस बनाना

2.7.1 कर के अपवंचन से बचने के लिए यह अपेक्षित है कि पूर्व इतिवृत के आधार पर इन व्यापारियों द्वारा धोखा-धड़ी के मामले, प्रपत्रों का दुरूपयोग, जाली प्रपत्रों का उपयोग, बिक्री/क्रय आदि को छिपाने के मामले जो उन्होंने अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य.में कर की छूट या रियायत का लाभ उठाने के लिए प्रयोग किये थे, को सूचीबद्ध करके संदिग्ध व्यापारियों का एक डाटाबेस बनाया जाये। यदि यह डाटाबेस सीटीडी की वेबसाइट पर रखा जाये तो यह न केवल विभाग को संदिग्ध ट्रैक रिकार्ड वाले व्यापारियों पर निगरानी रखने में सुविधा प्रदान करेगा अपितु अन्य राज्यों को भी ऐसे व्यापारियों के बारे में सचेत करेगा और ऐसे मामलों की प्रभावी मानीटरिंग सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा ऐसी पद्धति की मौजूदगी ऐसे कदाचार में लिप्त व्यापारियों के लिए निवारक के रूप में काम करेगा।

2.7.2 हमने पाया कि राज्यों में सीटीडीज़ ने अवैध/नकली घोषणा प्रपत्र उपयोग करने वाले और उनके नाम और अन्य ब्यौरे अधिकारिक वेबसाइट पर डालने के लिए उन व्यापारियों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रणाली को सन्निविष्ट नहीं किया था। संदिग्ध व्यापारियों का डाटाबेस नहीं बनाया गया है जो इन व्यापारियों के क्रय/बिक्री से सम्बन्धित रिटर्नों/निर्धारणों की संवीक्षा करते समय निर्धारण अधिकारियों को सचेत कर सकता था।

2.7.3 संदिग्ध व्यापारियों के प्रोफाइल का डाटाबेस न होने का नुकसान यह है कि जिन व्यापारियों ने पहले गलत छूट/रियायत का दावा करने के लिए नकली प्रपत्रों का उपयोग किया था वे बराबर ऐसा गलत काम करते है और सीटीडी को उनका पता नहीं चलता है।

एक उदाहरण नीचे दिया गया है;

2.7.4 पहले के लेखा-परीक्षणों में हमने **आन्ध्र प्रदेश** में देखा कि विशेष वस्तुओं के सर्कल हैदराबाद के क्षेत्राधिकार में आने वाले कई व्यापारी वर्ष 2000-01 और उस से आगे जाली घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत कर रहे थे। इस संबन्ध में सरकार ने जुलाई 2004 में 12 वनस्पति तेल व्यापारियों, जिन्होंने जाली "एफ" प्रपत्र प्रस्तुत किये थे, के लेनदेनों को एपी सामान्य बिक्री कर अधिनियम के अधीन स्थानीय बिक्री के रूप में कर-निर्धारण के लिए आदेश जारी किये। लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-

07 के दौरान अभिलेखों का सत्यापन करते हुए इंगित किया था कि कुछ व्यापारी बार-बार जाली "एफ" प्रपत्र फाइल कर रहे थे और वर्ष 2009-10 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में भी जाली "एफ" प्रपत्रों के सम्बन्ध में आपत्ति शामिल थी। आपत्ति में जो चार व्यापारी शामिल थे, जिन्होंने जाली "एफ" प्रपत्र प्रस्तुत किये थे वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान दोबारा उनमें से दो व्यापारी ऐसे कार्यकलापों में लिप्त पाये गये थे। इससे यह सिद्ध होता है कि उनका घटिया ट्रैक रिकार्ड होने के बावजूद ऐसे व्यापारियों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रथा नहीं थी।

2.7.5 हमने तैयार किये गये डाटाबेस से यह भी पाया कि इन दो व्यापारियों ने 2004-05 से 2006-07 की अवधि के लिए ₹ 3.10 करोड़ की रियायत का दावा किया था। अतः सीटीडी आन्ध्र प्रदेश को ऐसे सभी लेनदेनों की जाँच करने की आवश्यकता है।

2.7.6 उन व्यापारियों, जिन्होंने कर -अपवंचन का पैटर्न दर्शाया है, का प्रोफाइल बनाने से सीटीडी उन पर निगरानी रखने में सक्षम होगा। ऐसा डाटाबेस विभाग के ऐसे व्यापारियों को मानीटर करने में तब भी सहायता करेगा जब जीएसटी प्रणाली लागू होगा।

2.8 अन्य राज्यों के प्रपत्रों के नमूनों का गैर-रखरखाव

2.8.1 हमने देखा कि फर्जी या जाली घोषणा प्रपत्रों की पहचान व तुलना करने के लिए विभिन्न राज्यों में प्रचलित प्रपत्रों के रंग, डिजाइन और फॉरमेट का नमूना सीटीडी ने नहीं रखा है। चूंकि सभी राज्यों में घोषणा प्रपत्रों का ऑन लाइन जारी करना शुरू नहीं किया गया है , जब तक सभी राज्य पूरी तरह से ऑन लाइन प्रपत्र जारी करना शुरू करेंगे तब तक ऐसे नमूने रखने से फर्जी घोषणा प्रपत्रों का पता लगाने में सहायता मिलेगी। अन्य राज्यों के प्रपत्रों के नमूनों की अनुपलब्धता से अमान्य, अप्रचलित और जाली प्रपत्रों की स्वीकृति के कारण राजस्व की हानि का जोखिम बना रहता है।

हम नीचे एक उदाहरण देते हैः

2.8.2 **ओडिशा** में कटक-I पूर्व सर्कल में एक व्यापारी के निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारी द्वारा मार्च 2009 में स्वीकार किये गये कुछ "सी" प्रपत्रों का सत्यापन करते हुए हमने देखा कि आन्ध्र प्रदेश में क्रेता व्यापारियों द्वारा जारी 20 "सी" प्रपत्र जो वर्ष 2005-06 से सम्बन्धित थे और ₹ 2.01 करोड़ के बिक्री मूल्य के सम्बन्ध में उस व्यापारी ने प्रस्तुत किये थे, प्रथम दृष्टया वास्तविक नहीं थे। इन "सी" प्रपत्रों में चिन्हित में पाठ लिखा था (टिप्पणी- विक्रेता व्यापारी द्वारा रखा जाएगा) बजाय इस पाठ के (टिप्पणीः उपयुक्त राज्य सरकार द्वारा धारा 13(4) (ई) के अधीन बनाए गये नियमों के अनुसार निर्धारित अधिकारी द्वारा प्रेषित किया जाना)" जो कि सीएसटी अधिनियम के अनुसार प्रपत्र मूल भाग में छपा होना निर्धारित है। इसके अतिरिक्त प्रपत्रों में आन्ध्र प्रदेश सरकार का सामान्य वाटरमार्क बैक ग्राउन्ड और लोगो नहीं था और उसमें टंकण की गलतियां भी थी। हमारे द्वारा किये गये प्रति सत्यापन के दौरान इन प्रपत्रों का विवरण टिनएक्सिस से पता नहीं लगाया जा सका।

2.8.3 इस प्रकार इन घोषणा प्रपत्रों को उचित संवीक्षा के बिना स्वीकार करने के कारण ₹ 7.74 लाख का कर कम लगाया गया, यदि सीटीडी आन्ध्र प्रदेश द्वारा जारी प्रपत्रों के नमूने ओडिशा में निर्धारण अधिकारियों के पास उपलब्ध होते तो फर्जी प्रपत्रों की पहचान हो गई होती।

2.9 प्रपत्रों का मुद्रण और अभिरक्षा

2.9.1 चूंकि पंजीकृत व्यापारी अंतर- राज्यीय व्यापार के दौरान सीएसटी प्रपत्रों का प्रयोग करके कर की रियायत/छूट का लाभ उठाते हैं, यह विभाग के लिए आवश्यक है कि सीएसटी प्रपत्रों के उच्च सुरक्षा मानकों के साथ छापे और प्रपत्रों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखे। अधीनस्थ कार्यालयों की आकस्मिक जाँच और निर्धारित रजिस्टरों के रख-रखाव सहित घोषणा प्रपत्रों की प्राप्ति, निर्गम और उपयोग से सम्बन्धित आवधिक रिटर्नों के प्रस्तुतीकरण सहित प्रपत्रों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन आंतरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है।

2.10 प्रपत्रों का मुद्रण

2.10.1 मुद्रण के लिए निर्धारित प्रक्रिया यह है कि सीटीडी समय-समय पर विभिन्न घोषणा प्रपत्रों की संभावित आवश्यकता के प्रति मौजूदा स्टॉक की समीक्षा करके मौजूदा स्टॉक समाप्त होने से पहले चरणबद्ध तरीके से प्रेस में मुद्रण के लिए इंडेन्ट करते हैं और उनमें एक विशिष्ट श्रृंखला और क्रम संख्या देते हैं।

2.10.2 हमने देखा कि अधिकांश राज्यों में प्रपत्र सरकारी प्रेस में मुद्रित किये जाते हैं जबकि आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंण्ड में ये निजी प्रिन्टरों द्वारा मुद्रित किये जाते हैं।

2.10.3 13.10.1998 के सरकारी आदेशों के अनुसरण में सीटीडी ने **आन्ध्र प्रदेश** में सांविधिक प्रपत्रों के मुद्रण का काम निजी प्रिन्टरों को दिया। प्रिन्टर से सांवैधानिक प्रपत्र प्राप्त करने पर उनको सीसीटी के परिसर में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाता है।

2.10.4 सांविधिक प्रपत्रों से संबंधित अभिलेखों से हमने पाया कि प्रिन्टर के साथ समझौते में प्रवेश करने से पहले विभाग सरकारी प्रिन्टिंग प्रेस चंचलगुडा हैदराबाद के तकनीकी अधिकारी को प्रपत्र की एक नमूना प्रति भेजता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी निर्धारित सुरक्षा विशेषताओं को प्रपत्रों में शामिल करने के लिए निविदा अधिसूचना में विधिवत रूप से दर्शाया जाए। तथापि हमारे ध्यान में यह आया कि निविदा अधिसूचना में निर्धारित मानदंडों का पालन पूर्तिकारों द्वारा सुनिश्चित करने के लिए विभाग के पास आवधिक अंतराल पर तकनीकी अधिकारी को मुद्रित प्रपत्र भेजने की कोई प्रणाली नहीं थी। इसके परिदृश्य में पूर्तिकार द्वारा निर्धारित मानदंडों से विचलन का जोखिम था।

2.10.5 **उत्तर प्रदेश** में हमने पाया कि प्रपत्र निजी सुरक्षा प्रेस में मुद्रित किये गये थे क्योंकि आवश्यक सुरक्षा विशेषताएं जैसे अल्ट्रा वायलेट सुरक्षा, अदृश्य फाइबर, सात अंको की संख्या, निर्दिष्ट स्याही, नकल रोधी स्याही तथा तापमान के अनुसार रंग परिवर्तन का प्रयोग सरकारी प्रेस, इलाहाबाद में उपलब्ध नहीं थे। तथापि विभाग में कोई तकनीकी रूप से अर्हताप्राप्त टीम नहीं थी जो यह पता लगा सकते कि प्रपत्र आवश्यक सुरक्षा विशेषताओं के साथ मुद्रित किये गये है, जो निजी प्रेस को मुद्रण का कार्य सौपने का आधार था। मुद्रित प्रपत्रों का भण्डारण भी प्रेस द्वारा अपने खर्चे पर किया जा रहा था।

2.10.6 हमने पाया कि कुछ राज्यों में वास्तविक आवश्यकता का आकलन किये बिना भारी मात्रा में प्रपत्र मुद्रित किये। परिणामतः विभाग पर मुद्रित प्रपत्रों की भारी संख्या और उनके उचित भण्डारण और लेखांकन की जिम्मेदारी आ गई। हम निम्नलिखित पैराग्राफों में कुछ उदाहरणों का हवाला देते हैं।

2.10.7 **सिक्किम** में घोषणा प्रपत्र भारत सरकार की प्रेस, नासिक में 1983 में किसी समय मुद्रित किये गये थे, जिसके अभिलेख विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे। 1983 के दौरान मुद्रित स्टॉक अभी बिना प्रयोग के पड़े थे। सीटीडी में 1983 में मुद्रित घोषणा प्रपत्रों, मार्च 2010 तक प्रयोग में लाये गये प्रपत्रों और बिना प्रयोग के पड़े प्रपत्रों का डाटा नहीं था। इन तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि ऐसे प्रपत्रों की आवश्यकता का आकलन किये बिना 1983 के दौरान घोषणा प्रपत्र मुद्रित किये गये थे। घोषणा प्रपत्र इतनी भारी मात्रा में मुद्रित किये गये थे कि पिछले 28 वर्षों के दौरान ऐसे प्रपत्रों को जारी करने के बाद भी स्टॉक को पूरी तरह उपयोग में नहीं लाया जा सका। तथापि, अप्रैल 2011 में पुराने अप्रयुक्त घोषणा प्रपत्रों को नष्ट करने के बाद विभाग ने नये प्रपत्र मुद्रित करवाये।

2.10.8 **मेघालय** में हमने देखा कि कर आयुक्त (सीओटी) द्वारा जारी "सी" प्रपत्रों की 875 पुस्तकों (प्रत्येक पुस्तक में 100 प्रपत्र समाविष्ट) के प्रति क्षेत्रीय कार्यालय अभिलेख 886.55 पुस्तकों की प्राप्ति दर्शाते थे, जिसके परिणामस्वरूप 11.55 पुस्तकों की विसंगति हुई जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

वर्ष	अथशेष	जारी की गई पुस्तकें	अन्तशेष	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्राप्त की गई पुस्तकें	अन्तर
2007-08	7850	350	7500	376.28	(-) 26.28
2008-09	7500	350	7150	326.76	(+) 23.24
2009-10	7150	175	6975	183.51	(-) 31.75
कुल		875		886.55	(-) 11.55

गुम हुए प्रपत्र "सी" के दुरूपयोग होने का जोखिम है।

2.10.9 "एफ" प्रपत्र पुस्तकों का अथशेष जारी की गई पुस्तकों और उनके अन्तशेष की स्थिति थी:-

वर्ष	अथशेष	जारी की गई पुस्तकें	अन्त शेष
2007-08	8750	25	8725
2008-09	8725	25	8700
2009-10	8700	--	8700

(स्रोतः सीओटी और एसटी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दी गई सूचना)

2.10.10 पूर्वगामी तालिका से यह देखा जा सकता है कि "सी" और "एफ" प्रपत्रों की औसत खपत क्रमशः 300 और 25 पुस्तकें थी। इस प्रवृति के आधार पर स्टॉक क्रमशः अगले 24 और 348 वर्षों के लिए चलेगा। इस प्रकार आवश्यकता से अधिक प्रपत्रों का मुद्रण, उनके अप्रचलित/क्षतिग्रस्त/दुरूपयोग होने के जोखिम से भरा है।

2.10.11 31 मार्च 2010 को **असम** में प्रपत्रों का मुद्रित, जारी किये गये और अन्त स्टाक की स्थिति निम्नानुसार थी जैसा कि सीटीडी ने बताया:-

वर्ष	घोषणा प्रपत्रों का प्रकार	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	निर्गम	अन्त शेष
		(पुस्तकों की संख्या में[3])			
2007-08	प्रपत्र "सी"	3,291	1,000	4,085	206
2008-09		206	9,000	4,790	4,416
2009-10		4,416	5,000	4,405	5,011
2007-08	प्रपत्र "एफ"	4,890	शून्य	211	4,679
2008-09		4,679	शून्य	210	4,469
2009-10		4,469	शून्य	210	4,259

2.10.12 जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, 2007-08 से 2009-10 की अवधि के दौरान "एफ" प्रपत्रों की 4,890 प्रस्तकों के प्रारम्भिक शेष में से केवल 631 पुस्तकें जारी की गई थी जबकि 4,259 पुस्तकों का अन्तशेष था। मूल्य वर्धित कर (वैट) के शुरू करने के बाद अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर की दर को चार से तीन प्रतिशत (अप्रैल 2007) और तीन से दो प्रतिशत (जून 2008) के साथ 1 अप्रैल 2007 से सीएसटी को समाप्त करना शुरू किया। चूंकि "एफ" प्रपत्रों का औसत वार्षिक निर्गम पिछले तीन वर्षों के दौरान 210 पुस्तकें था, अतः "एफ" प्रपत्र, जो स्टॉक में पड़े थे, को खत्म करने में बहुत लम्बा समय लगेगा।

[3] "सी" और "एफ" प्रपत्रों की प्रत्येक पुस्तक में क्रमशः 25 और 100 प्रपत्र थे।

2.10.13 **जम्मू एव कश्मीर** में विभाग द्वारा आदेश देने से पहले प्रपत्रों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए कोई प्रणाली मौजूद नहीं थी। उपायुक्त (स्टांम्पस) जम्मू से प्राप्त जानकारी के आधार पर हमारे द्वारा किये गये विश्लेषण ने दर्शाया कि प्रपत्रों का मुद्रण आवश्यकता से अधिक था। घोषणा प्रपत्र "सी" और "एफ" के मुद्रण/प्राप्ति और निर्गम की 2006-07 से 2009-10 तक की वर्ष-वार स्थिति निम्न तालिका में दी गई है;

वर्ष	प्रपत्रों का स्वरूप	प्रपत्रों का प्रारंभिकशेष	मुद्रित प्रपत्र प्राप्त	कुल	जारी किये गये प्रपत्र	जारी किये गये प्रपत्रों की प्रतिशतता	प्रपत्रों (75 क्षतिग्रस्त प्रपत्रों सहित) का अन्तशेष
2006-07	सी	43075	700000	743075	288000	39	455075
	एफ	73213	200000	273213	44000	16	229213
2007-08	सी	455075	145000	600075	115000	19	485075
	एफ	229213	शून्य	229213	20000	9	209213
2008-09	सी	485075	शून्य	485075	150000	31	335075
	एफ	209213	शून्य	209213	शून्य	0	209213
2009-10	सी	335075	शून्य	335075	125000	37	210075
	एफ	209213	शून्य	209213	20000	10	189213

2.10.14 पूर्वगामी तथ्य दर्शाते हैं कि घोषणा प्रपत्रों का मुद्रण आवश्यकता से बहुत अधिक था, जो यथार्थवादी आधार पर नहीं किया गया था और इसलिए लम्बे समय तक भण्डारण के कारण नुकसान के दोष से युक्त थे। हमने आगे देखा कि उक्त ब्यौरे में 75 प्रपत्र शामिल थे जो विभाग द्वारा बट्टे खाते में डाले दर्शाये गये थे परन्तु उनको नष्ट नहीं किया गया था और अन्त शेष का हिस्सा बने हुए थे। इन प्रपत्रों का बेईमान व्यापारियों के हाथ लगने और दुरूपयोग होने का जोखिम है।

2.10.15 अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से आगे पता चला कि उपायुक्त बिक्री कर (प्रशासन), जम्मू ने ₹ 85000 की लागत पर सरकारी प्रेस, जम्मू से 1.40 लाख प्रपत्र (सी,एफ एच, ई-I और ई - II) मुद्रित करवाये। इण्डिया सीक्यूरिटी प्रेस नासिक से प्रपत्र मुद्रित करवाने के बजाय सरकारी प्रेस, जम्मू से मुद्रित करवाने की वास्तविक तारीख और कारण का न तो कोई अभिलेख में पाया गया और न ही विभाग ने बताया। 1.40 लाख मुद्रित प्रपत्रों में से 30,000 "एच" प्रपत्र मार्च 2011 तक विभाग द्वारा नहीं उठाये गये थे। महाप्रबन्धक, सरकारी प्रेस, जम्मू ने विभाग से इन प्रपत्रों को उठाने के लिए अनुरोध किया था (जनवरी 2002 और फरवरी 2003) ताकि इनको और खराबी से बचाया जा सके । फरवरी 2004 में प्रेस ने विभाग को सूचित किया कि 12 वर्ष से अधिक समय तक प्रपत्र न उठाने से क्षतिग्रस्त हो गये।

2.10.16 उपयुक्त तथ्य दर्शाते है कि सीटीडी ने अपनी जिम्मेवारी सही ढंग से नहीं निभाई क्योंकि न केवल आवश्यकता से अधिक घोषणा प्रपत्रों के मुद्रण के लिए आदेश दिये गये थे अपितु मुद्रित घोषणा प्रपत्र उठाये नहीं गये थे और नुकसान से बचाने के लिए सुरक्षित अभिरक्षा में नहीं रखे गये थे। इस प्रकार इन प्रपत्रों के दुरूपयोग का जोखिम है।

2.10.17 **नागालैण्ड** में सांविधिक प्रपत्र राज्य सरकार प्रेस से कर आयुक्त द्वारा मुद्रित करवाये जाते हैं और अपने क्षेत्राधिकार के अधीन मण्डलीय कार्यालयों को वितरित करने के लिए सर्कल कार्यालयों को आपूर्त किये जाते हैं। 1973-93 की अवधि के दौरान उपनियंत्रक, केन्द्रीय स्टाम्प स्टोर, सिक्योरिटी प्रेस, नासिक रोड से 5,58,500 "सी" प्रपत्र मुद्रित करवाये थे। मुद्रित "सी" प्रपत्रों में से विभाग ने 11 जून 2001 तक 3,95,783 प्रपत्र जारी किये थे। दिनांक 16 जून 2001 की एक अधिसूचना के माध्यम से विभाग ने 11 जून 2001 तक जारी सभी 3,95,783 "सी" प्रपत्रों को "दुरूपयोग से बचाव" का कारण बताते हुए अप्रचलित और अवैध घोषित किया।

2.10.18 इसी प्रकार विभाग ने अप्रैल 1973 से अप्रैल 1988 के दौरान उप नियंत्रक, स्टाम्प, नासिक से 82,500 "एफ" प्रपत्र मुद्रित करवाये, जिसमें से 11 जून 2001 तक 19,195 प्रपत्र जारी किये गये थे। जारी किये गये ये सभी प्रपत्र भी एक अधिसूचना द्वारा अप्रचलित और अवैध घोषित किये गये थे।

2.10.19 हमने विभागीय अभिलेखों की संवीक्षा की और पाया कि प्रपत्र अवैध घोषित करने के लिए विशिष्ट कारण प्रलेखित नहीं थे और अधिसूचना यह बताते हुए कि कार्यवाही सरकारी राजस्व के हित में थी, सीओटी के मौखिक अनुदेशों पर जारी की गयी थी।

2.10.20 अधिसूचना की तारीख से पहले सभी प्रपत्रों को अप्रचलित और अवैध घोषित करने की विभाग कार्यवाही औचित्यपूर्ण नहीं थी क्योंकि वे प्रपत्र व्यापारियों से वापस नहीं लिए गए थे। हमने पाया कि इन प्रपत्रों का दुरूपयोग हो रहा था जिसे हमने इस प्रतिवेदन के अध्याय-III और IV में विशेष रूप से दर्शाया है।

2.10.21 केरल में दिसम्बर 2009 तक अन्तर-राज्यीय लेनदेनों के लिए व्यापारियों को मुद्रित घोषणा प्रपत्र जारी किये गये थे और उसके बाद इलैक्ट्रानिक प्रपत्र जारी किये जाते हैं। दिसम्बर 2009 के बाद भी पूर्वावधियों से सम्बन्धित लेनदेनों के लिए मुद्रित प्रपत्र जारी किये जा रहे थे। आयुक्त वाणिज्यिक कर के पर्यवेक्षण के अधीन संयुक्त आयुक्त हस्तचालित प्रपत्रों, जो सीटीडी द्वारा दिये गये आदेशानुसार केरल बुक्स एण्ड पब्लिकेशन सोसाइटी (केबीपीएस) (एक सरकारी स्वायत निकाय) से मुद्रित करवाया गया था, के वितरण के लिए जिम्मेवार था और उन्हें उनकी अभिरक्षा में रखा गया था। जिला स्तर पर उपायुक्तों को प्रपत्रों की आवश्यक संख्या उनकी मांग के आधार पर आबंटित की गई थी, जिनसे अपेक्षित था कि वे केबीपीएस से इन्हें प्राप्त करें और उनकी मांग के अनुसार सहायक आयुक्तों को वितरित करें।

2.10.22 अप्रैल 2005 से जून 2011 की अवधि के कमिशनरी और केबीपीएस पर उपलब्ध घोषणा प्रपत्रों के मुद्रण और निर्गम से संबंधित अभिलेखों के तुलनात्मक जाँच से पता चला कि केबीपीएस में रखी गई स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 18 जून 2011 को "सी" प्रपत्र पुस्तकों का अन्तशेष 6870 था।

जबकि कमिशनरी में रखे गये रजिस्टर के अनुसार उस तारीख के अन्तशेष 13,950 थे। कमिशनरी में 7080 पुस्तकों का आधिक्य अगस्त 2007 और जून 2011 के बीच 21 संस्वीकृतियों के प्रदान करने पर 11,130 सी प्रपत्रों के जारी होने और कमिशनरी में रखे गये स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करने के कारण थी। दो अवसरों पर, कमिशनरी और केबीपीएस में रजिस्टरों में प्रविष्टियों में 200 और 100 पुस्तकों का अन्तर था। अक्टूबर 2008 और फरवरी 2011 के बीच तीन डीसी ने केबीपीएस से कुल 2,100 के आबंटित "सी" प्रपत्र पुस्तकें नहीं उठाई जबकि चार डीसी ने आबंटन से कम संख्या में पुस्तकें (कुल 2,250) उठाई। यह तथ्य दर्शाते हैं कि घोषणा प्रपत्रों मुद्रण और निर्गम कमिशनरी के स्तर पर उचित ढंग से मानीटर नहीं किया जाता है। कोई मिलान/प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था जिसके माध्यम से इन कमियों को ढूंढ निकाला जा सकता था। इस प्रकार हिसाब में न लिये गये प्रपत्रों का दुरूपयोग करने का जोखिम है।

2.10.23 **अरूणाचल प्रदेश** में सीटीडी 2007-08 से 2009-10 की अवधि के दौरान मुद्रित किये गये घोषणा प्रपत्रों की स्थिति यह बताते हुए असमर्थ रहे कि "सी"/"एफ" प्रपत्रों के मुद्रण के सम्बन्ध में विभाग के पास कोई अभिलेख नहीं थे। सीटीडी 1 अप्रैल 2007 को प्रपत्रों के प्रारंभिक शेष की स्थिति भी नहीं दे पाये।

2.11 प्रपत्रों की अभिरक्षा

2.11.1 अधिकांश राज्यों में प्रपत्र मुद्रित होने के बाद कमिशनरी का प्राधिकृत व्यक्ति भौतिक सत्यापन के बाद प्रेस से इन्हें प्राप्त कर लेता है और इन्हे स्टॉक में ले लिया जाता हैं और सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाता है। उसके बाद प्रपत्र सर्कलों को उचित अनुमोदन और पावती के बाद जारी किये जाते हैं। साल में एक बार किसी जिम्मेदार अधिकारी, जो प्रपत्रों के प्रभारी अधिकारी से स्वतन्त्र हो, द्वारा प्रपत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना है।

2.11.2 हमने कई राज्यों में नियंत्रण की कमी देखी और आगे के पैराग्राफों में कुछ उदाहरण दिये हैं। पर्याप्त नियंत्रण के अभाव के कारण प्रपत्र बेईमान व्यापारियों के हाथ में जा सकता है और वे कर का अपवंचन कर सकते हैं। उदाहरणतया **नागालैण्ड** में पूर्वोत्तर प्रभार सर्कल सिक्किम में एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा सिक्किम के निर्धारण अधिकारियों को प्रस्तुत घोषणा प्रपत्रों की हमारी दोतरफा जाँच से पता चला कि नागालैण्ड के दो व्यापारियों, एसटी वोखा के अधीन पंजीकृत मै. कियोंग हार्डवेयर और एसीटी, दीमापुर के अधीन पंजीकृत मैं. जिमोमी इन्टरप्राइज़, ने 2007-09 के दौरान 25 अप्रचलित "एफ" प्रपत्रों का उपयोग करते हुए ₹ 2.62 करोड़ मूल्य का माल आयात किया। दोतरफा जाँच से पता चला कि प्रयोग किये गये प्रपत्र विभाग द्वारा जून 2001 में अप्रचलित घोषित किये गए। विभाग ने यह भी बताया (नवम्बर 2011) कि प्रपत्र इन व्यापारियों को जारी नहीं किये गये थे। इस प्रकार अप्रचलित प्रपत्रों के प्रयोग का परिणाम दो व्यापारियों द्वारा ₹ 2.62 करोड़ के मूल्य के माल का अनियमित आयात हुआ। व्यापारियों ने अपने अभिलेखों में इन आयातों का लेखांकन नहीं किया था, अतः ₹ 32.81 लाख की राशि के वैट का भी अपवंचन हुआ।

2.11.3 **मेघालय** में हमने देखा कि निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्रपत्रों का भौतिक सत्यापन कभी भी न तो कर आयुक्त (सीओटी) के कार्यालय में और न ही क्षेत्रीय कार्यालयों में किया गया था।

2.11.4 **पश्चिम बंगाल** में हमने पाया कि चार प्रपत्र निर्गम अनुभाग और सैन्ट्रल प्रपत्र निर्गम अनुभाग (सीएफआईएस) में घोषणा प्रपत्र स्टील अलमारी में रखे गये थे। इनमें से तीन अनुभागों में अलमारियों में डबल लॉकिंग सिस्टम नहीं था जबकि दो अनुभागों में अलमारियों में डबल लॉकिंग सिस्टम था परन्तु दोनों चाबियां एक ही व्यक्ति या तो अनुभाग प्रभारी या अनुभाग प्रभारी द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी के पास रहती थी। सीएफआईएस में घोषणा प्रपत्रों के लिए चिन्हित अलमारियों को अन्य स्टेशनरी की वस्तुओं को रखने के प्रयोजन के लिए भी प्रयोग किया जा रहा था और सभी कर्मचारियों द्वारा जरूरत पड़ने पर प्रयोग की जाती थी। इस प्रकार घोषणा प्रपत्रों के दुरूपयोग या खराब करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

2.11.5 राजस्थान में हमने पाया कि प्रपत्रों का उचित ढंग से भण्डारण नहीं किया गया था। हमने स्टॉक रजिस्टर से देखा कि सैन्द्रल स्टोर जयपुर में 406 "एफ" प्रपत्र, चितौड़गढ़ में 25 "सी" प्रपत्र और स्पेशल सर्किल -I जोधपुर में 175 "सी" प्रपत्र दीमक ने तबाह किये थे। घोषणा प्रपत्रों के लिए सैन्ट्रल स्टोर जयपुर में प्राइवेट बिल्डिंग में था और फरवरी 2004 से स्टोर का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

2.11.6 **हिमाचल प्रदेश** में कमिशनरी में रखे अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से पता चला कि "सी" और "एफ" घोषणा प्रपत्रों के स्टॉक और निर्गम रजिस्टर का रख रखाव सही ढंग से नहीं किया गया था। हमारे ध्यान में आया कि प्रिंटिग एण्ड स्टेशनरी विभाग से प्राप्त घोषणा प्रपत्र का लेखांकन स्टॉक और निर्गम रजिस्टर में नहीं किया गया था और दिन की समाप्ति पर शेषों की गणना नहीं की जाती थी। घोषणा प्रपत्र क्रम में जारी नहीं किये जाते थे और रजिस्टर उच्चतर अधिकारियों को कभी प्रस्तुत नहीं किये जाते थे, जिसके अभाव में घोषणा प्रपत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा और सही लेखांकन सुनिश्चित नहीं की जा सकी। इस प्रकार "सी" और "एफ" घोषणा प्रपत्रों जैसे रोकड़ मूल्य के दस्तावेजों के दुरूपयोग का जोखिम कम करने के लिए महत्वपूर्ण आन्तरिक नियंत्रण लागू नहीं किया जा रहा था।

2.11.7 सीएसटी की समाप्ति के परिणामतः जीएसटी के प्रत्याशित प्रवेश से इन घोषणा प्रपत्रों की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन घोषणा प्रपत्रों के निर्गम शुरू होने के साथ कागज आधारित प्रपत्र समाप्त किये जा रहें हैं। अतः और प्रपत्र मुद्रित करने के निर्णय से पहले सीटीडी को इन तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है। प्रपत्रों का भारी संचय और उनके साथ उचित भण्डारण और अभिरक्षा की उलझनों में प्रपत्रों के बेईमान व्यापारियों के हाथ लगने का अन्तर्निहित जोखिम है।

2.12 प्रपत्रों का निर्गम और लेखांकन

2.12.1 घोषणा प्रपत्रों की प्राप्ति और निर्गम का लेखांकन यूनिट कार्यालयों द्वारा अलग स्टॉक रजिस्टरों में विभिन्न घोषणा प्रपत्रों की प्राप्ति और निर्गम दर्शाते हुए किया जाता है। जब प्रपत्र व्यापारी को जारी किये जाते हैं, प्राप्ति के बदले में व्यापारी के हस्ताक्षर रजिस्टर में लिए जाते हैं।

2.12.2 प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी जिसे उचित प्राधिकरण द्वारा कोई भी घोषणा प्रपत्र जारी किया गया हो, को ऐसे प्रत्येक प्रपत्र का सम्पूर्ण लेखा रखना चाहिए। व्यापारी जिसे प्रपत्र जारी किया गया हो को सक्षम अधिकारी को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है जिसमें उस व्यापारी का नाम, बिल संख्या और तिथि, माल और मूल्य सहित माल का विवरण होना चाहिए। जब तक व्यापारी निर्धारित अधिकारी द्वारा जारी पुराने प्रपत्रों का संतोषजनक लेखा न दे दे, व्यापारी को नए प्रपत्र जारी नहीं किए जाने चाहिए।

2.12.3 **सिक्किम** में यह पाया गया कि नि.अ. ने बाद के घोषणा प्रपत्रों को जारी करते समय पूर्व में जारी घोषणा प्रपत्रों की पूर्ण उपयोगिता सुनिश्चित नहीं की थी। 50 व्यापारियों के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता लगा कि मार्च 2010 तक इन व्यापारियों को 11,385 घोषणा प्रपत्र जारी किए गए थे जिनमें से दिसम्बर 2010 तक विभाग को केवल 5,140 घोषणा प्रपत्रों के उपयोगिता विवरण प्रस्तुत किए गए थे और 6,245 घोषणा प्रपत्रों के उपयोगिता विवरण वांछित थे। आगे यह देखा गया कि घोषणा प्रपत्रों को जारी करने हेतु आवेदन के समय 33 व्यापारियों ने पहले जारी घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता का विवरण प्रस्तुत नहीं किया था, किन्तु इसके बावजूद नि.अ.ने इन व्यापारियों को घोषणा प्रपत्र जारी करना कायम रखा। इसके कारण घोषणा प्रपत्रों के दुरूपयोग से इंकार नहीं किया जा सकता।

2.12.4 **बिहार** में हमने पाया कि विभाग ने घोषणा प्रपत्र जारी करने के लिए कोई प्रणाली निर्धारित नहीं की थी क्योंकि प्रपत्र कमिशनरियों से सर्कलों के साथ साथ डिविजनों और एक सर्कल से दूसरे सर्कल में भी जारी किए जाते थे। प्रपत्र जारी करने के लिए कोई सर्कल-वार या डिविजन-वार बही का रखरखाव नहीं किया गया था। यह पाया गया कि प्रपत्र स्टॉक रजिस्टर से ही जारी किए जाते थे और एक सर्कल से दूसरे को जारी प्रपत्र के लिए प्रविष्टियों का मिलान नहीं पाया गया था।

2.12.5 जनवरी 2006 में जारी निर्देशों के अन्तर्गत सर्कल कार्यालयों को व्यापारियों द्वारा वांछित विवरण भरने के बाद प्रपत्र "सी" जारी करना अपेक्षित था। उन मामलों में जहाँ व्यापारियों द्वारा एडवांस प्रपत्र "सी" की मांग की जाती थी, व्यापारी को लाल स्याही में प्रपत्र के ऊपर अनुमानित मूल्य दर्ज कर प्रपत्र जारी किया जा सकता था। तथापि, नवम्बर 2007 में, विभाग द्वारा जनवरी 2006 के निर्देश वापिस ले लिए गए थे और खाली प्रपत्र "सी" जारी करने के लिए नए निर्देश जारी किए गए थे। यह प्रपत्रों के दुरूपयोग के जोखिम से युक्त है।

2.12.6 इसके अतिरिक्त, हमने पाया कि चार वाणिज्यिक कर सर्कल उचित रूप से घोषणा प्रपत्रों के लेखों का रखरखाव नहीं कर रहे थे क्योंकि घोषणा प्रपत्रों के अथशेष और अन्तशेष के बीच विसंगतियां थी, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

सर्कल का नाम	वर्ष	अथशेष स्टॉक	प्राप्ति	कुल	जारी	अन्तिम स्टॉक	टिप्पणी
भागलपुर (प्रपत्र एफ)	2006-07	4,596	---	4,596	3,793	798	पांच प्रपत्र अन्तशेष में कम दर्शाये गये थे
जमुई (प्रपत्र एफ)	2006-07	1,667	---	1,667	1,325	367	25 प्रपत्र अन्त शेष में अधिक दर्शाये गये थे
पटना दक्षिण (प्रपत्र सी)	2006-07	2,165	12,000	14,165	4,916	9,249	पूर्व वर्ष का अन्त शेष अगले वर्ष में प्रारंभ शेष के रूप में नहीं लिया गया था
	2007-08	7,257	---	7,257	4,827	2,430	
	2008-09	2,426	4,000	6,426	4,067	2,359	
	2009-10	1,738	14,000	15,738	4,632	1,106	
समस्तीपुर (प्रपत्र एफ)	2006-07	17	500	517	127	392	अन्त शेष में दो प्रपत्र अधिक दर्शाये गये थे

2.12.7 उपरोक्त तथ्यों से विभाग के आन्तरिक नियंत्रण में कमियों का पता चलता है। घोषणा प्रपत्रों का अनुचित लेखांकन उसके दुरूपयोग के जोखिम से युक्त है जिसके कारण राजकोष को राजस्व की हानि हो सकती है।

2.12.8 **पश्चिम बंगाल** में हमनें पाया कि, डीएफ (मुख्यालय) में तीन मोफुसिल प्रभारों (आसनसोल, सिलिगुड़ी और दुर्गापुर) तथा बलियाघाट हावड़ा सॉल्ट लेक में चार घोषणा प्रपत्र निर्गम अनुभागों और केन्द्रीय प्रपत्र निर्गम अनुभाग, कोलकाता में सभी प्रकार के घोषणा प्रपत्रों के स्टॉक को एक ही रजिस्टर में (पृष्ठवार) एक साथ रखा गया था। हमने देखा किः

- स्टॉक रजिस्टर खेलते समय पृष्ठ गणना करने वाला कोई भी सत्यापन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंकित नहीं था;
- स्टॉक रजिस्टर में, " हस्तगत शेष " कॉलम नहीं भरा गया था;
- मांग करने वाली विभिन्न इकाईयों को जारी करते समय प्रपत्रों का स्टॉक, स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाता था। परिणामतः डीएफ (मुख्यालय) के अधीन प्रपत्रों का स्टॉक समय विशेष पर सुनिश्चित नहीं किया जा सका;
- घोषणा प्रपत्रों का मौजूदा स्टॉक सत्यापित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्टॉक रजिस्टर का आवधिक भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था; और
- डीएफ (मुख्यालय) से जारी स्टॉक और निर्गम कार्यालय द्वारा उसकी प्राप्ति का समाधान नहीं किया गया था।

2.12.9 स्टॉक के समाधान की प्रणाली के अभाव में, पारगमन में प्रपत्रों की हानि की संभावना और इसके परिणामी दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमनें पाया कि डीएफ (मुख्यालय) द्वारा अलीपुर प्रभार को जारी किए गए 2,700 "सी" प्रपत्रों और

1,000 "एफ " प्रपत्रों को अलीपुर प्रभार के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था जैसा कि निम्नांकित तालिका में विस्तृत रूप में दर्शाया गया है:

प्रपत्र का प्रकार	डीएफ (मुख्यालय) से जारी होने की तारीख	क्रमांक	प्रपत्रों की संख्या
सी	22.08.2007	95 सी 1022001 से 1023000	1000
सी	15.09.2009	95 सी 1630301 से 1632000	1700
एफ	15.09.2009	95 पी 726001 से 727000	1000

2.12.10 **हिमाचल प्रदेश** में दो जिलों (मंडी और सिरमौर) के स्टॉक तथा निर्गम रजिस्टरों की संवीक्षा से निम्नलिखित कमियों का पता चला:

"सी" प्रपत्रों को जारी करने की तारीख	जारी किए जाने वाले व्यापारियों के नाम	"सी" प्रपत्रों का क्रमांक	प्रपत्रों की संख्या	पाई गई कमियाँ
10.05.2007	मै. त्रिलोक एण्ड सन्स ब्रेवेरी एण्ड डिस्टेलरी, काला अम्ब	1091601 से 1091630	30	11 मई 2007 को प्रपत्र "सी " सं. 1091601 से 1091605 तक दोबारा मै. सांईटेक फार्मास्युटिकल्स, काला अम्ब को जारी कर दिया गया।
27.08.2007	उत्पाद शुल्क एवं कराधान अधिकारी, पौंटा साहिब	1001351 से 101650	300	इसमें से, अगस्त 2007 में 182 "सी " प्रपत्रो को विभिन्न फर्मों को दोबारा जारी कर दिये गए।

2.12.11 आगे, एईटीसी मंडी में हमनें देखा कि 689 "सी " प्रपत्रों में से जो शुरू में निर्गम रजिस्टर में नहीं मिले थे, इस तथ्य के बावजूद कि ये सभी प्रपत्र दीमक द्वारा नष्ट कर दिए गए थे और व्यापारियों को जारी करने योग्य नहीं थे, 1 फरवरी और 8 फरवरी 2011 के बीच 688 प्रपत्र व्यापारियों को जारी किए गए।

2.12.12 यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है प्रपत्रों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने हेतु कार्यालय में समुचित व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा, उच्च अधिकारियों द्वारा इन प्रपत्रों को रद्द किए जाने के बावजूद भी विभाग ने इन प्रपत्रों को व्यापारियों को जारी कर दिया ।

2.12.13 **तमिलनाडु** में, तमिलनाडु वाणिज्यिक कर नियमावली भाग II के स्थायी आदेश 86 के अनुसार प्रत्येक निर्धारण अधिकारी प्रादेशिक उप आयुक्तों से घोषणा पत्रों की प्राप्ति और व्यापारियों का जारी प्रपत्रों की गणना करने के लिए प्रपत्र 89 में एक स्टॉक रजिस्टर बनाएगा। डीलरवार जारी प्रपत्रों को विवरण रिकार्ड करने के लिए निर्धारण अधिकारियों द्वारा प्रपत्र 90 में भी एक निर्गम रजिस्टर बनाया जाएगा। निर्गम रजिस्टर का प्रारूप ऐसा है कि व्यापारियों द्वारा जब भी घोषणा प्रपत्र माँगे जाएं उनको

नए प्रपत्र जारी करने से पहले निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारियों से पूर्व में प्राप्त घोषणा पत्रों के उपयोग संबंधी जाँच की जानी चाहिए।

2.12.14 17 निर्धारण सर्कलों की नमूना जाँच के दौरान हमने देखा कि स्टॉक और घोषणा प्रपत्रों के निर्गम दोनों का लेखांकन करने के लिए नि.अ. ने केवल एक ही रजिस्टर बनाया था। रजिस्टर का प्रारूप भी एकरूप नहीं था और विभिन्न सर्कलों में विभिन्न प्रारूप अपनाए गए थे। चूँकि रजिस्टरों को निर्धारित प्रारूप में नहीं बनाया गया था, अतः हम यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि व्यापारियों को घोषणा प्रपत्र जारी करने से पूर्व नि.अ. ने आवश्यक जाँच की थी अथवा नहीं।

2.12.15 **नागालैण्ड** में आयुक्त कार्यालय के साथ "सी" प्रपत्रों के स्टॉक रजिस्टर की जिलों में बनाए गए स्टॉक रजिस्टर की प्रति जाँच से 2007-08 से 2009-10 के दौरान सहायक कर आयुक्त, दीमापुर में 1375 "सी" प्रपत्रों की कम प्राप्ति का पता चला।

2.12.16 सितम्बर 2011 में हमारे निष्कर्षों के पश्चात् नवम्बर 2011 में विभाग ने बताया कि चूँकि वे खो गए थे इसलिए अक्टूबर 2011 में "सी" प्रपत्र अप्रचलित और अमान्य घोषित कर दिये गए थे। विभाग ने यह भी बताया कि भौतिक सत्यापन समय-समय पर आयोजित किए जाएंगे।

2.13 उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के बावजूद प्रपत्र जारी किया जाना

2.13.1 सीएसटी (उड़ीसा) नियम, 1957 के अधीन, एक पंजीकृत व्यापारी जो अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए अन्य किसी राज्य के पंजीकृत व्यापारी से माल खरीदना चाहे तो उसे सीएसटी नियमों के अधीन निर्धारित रिक्त घोषणा पत्र आवेदन देकर प्राप्त करना होगा तथा उसे विक्रेता व्यापारी को प्रस्तुत करेगा। जब तक कि वे व्यापारी उनको आपूर्त पिछले प्रपत्रों की लेखा की एक प्रति प्रस्तुत नहीं करते, उन्हें घोषणा प्रपत्रों की दोबारा या अनुवर्ती आपूर्ति नहीं की जाएगी।

2.13.2 **ओडिशा** में कटक-I पूर्व क्षेत्र में हमने देखा कि नियमों में दिए गए प्रावधानों के विपरीत दूसरा और अनुवर्ती घोषणा प्रपत्र तीन व्यापारियों को जारी किये गए थे जबकि जारी पूर्ववर्ती प्रपत्रों के संबंध में उपयोगिता लेखा उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। निम्नलिखित तालिका में विवरण दिये गए हैं:

व्यापारी का नाम	पूर्व में जारी प्रपत्रों की तारीख	जारी किए गए प्रपत्रों की संख्या	अनुवर्ती प्रपत्रों को जारी करने की तारीख	जारी किए गए प्रपत्रों की संख्या
अर्जुन ट्रेडर्स	24 अक्टूबर 2008	2	7 मई 2009	2
मोतीवाला ट्रेडस	6 जून 2006	8	16 अक्टूबर 2008	13
संजय एण्ड कम्पनी	9 जून 2006	1	24 अक्टूबर 2008	1

हमने यह भी देखा (दिसम्बर 2010) कि हमारी लेखापरीक्षा तारीख तक भी पूर्व में जारी प्रपत्रों के संबंध में इन व्यापारियों ने उपयोगिता लेखे नहीं प्रस्तुत किए थे।

2.13.3 **मेघालय** में 2 दिसम्बर 1996 को कर आयुक्त (सीओटी) द्वारा सभी कर अधीक्षकों (एसटीज़) को जारी निर्देशों के अनुसार, नए घोषणा प्रपत्रों को केवल माँगकर्ता व्यापारियों द्वारा एसटी को निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता विवरण प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् ही जारी करना होता है।

2.13.4 नौ चयनित एसटी क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि टूरा और जोवाई के पंजीकृत व्यापारियों द्वारा उपयोगिता विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए थे और शिलांग तथा नांगपो के व्यापारियों द्वारा आंशिक रूप में प्रस्तुत किए गए थे। हमें ऐसा कोई रिकार्ड या दृष्टांत नहीं मिला जहाँ एसटीज़ ने प्रपत्रों के जारी करने से पूर्व इन्हें प्रस्तुत करने पर जोर दिया हो। उपयोगिता विवरण के प्रस्तुतीकरण के बिना घोषणा प्रपत्रों को जारी करना गलत था और इंगित करता था कि कर चोरी, प्रपत्रों के दुरूपयोग द्वारा टर्नओवर के छिपाव आदि को रोकने के लिए एसटीज़ विभागीय निर्देशों का अनुसरण नहीं कर रहे थे। यह इसके निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने में सीओटी द्वारा मॉनीटरिंग की कमी को भी दर्शाता था।

2.13.5 **केरल** में यद्यपि घोषणा प्रपत्रों के गैर-प्रस्तुतीकरण के मामले में टर्नओवर का निर्धारण करने के लिए निर्धारण अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, तथापि, अधिकतर मामलों में एक से तीन वर्ष पश्चात् भी निर्धारण वर्ष और उनके प्रस्तुतीकरण के बिना छूट/रियायत अनुमत करने के मामले देखे गये। घोषणा प्रपत्रों के उपयोगिता विवरण हमें दी गई फाइलों में नहीं पाए गए, जबकि निर्धारण वर्ष के एक से दो वर्षों के बाद लेखापरीक्षा की गयी थी। यह दर्शाता है कि कर प्राप्ति की जांच/लेखापरीक्षा आयोजित करने के समय उपयोगिता प्रमाणपत्र की शीघ्रता से सत्यापन करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।

2.14 घोषणा प्रपत्रों का कालवार जारी न किया जाना

2.14.1 **सिक्किम** में, घोषणा प्रपत्र न तो केन्द्रीय भण्डार और न ही किसी इकाई कार्यालयों से कालवार जारी किए जा रहे थे।

2.14.2 **उत्तराखण्ड** में, मुख्यालय के प्रपत्र "सी" निर्गम रजिस्टर की संवीक्षा के दौरान हमने देखा कि वैट यूए/डीटी-06 श्रृखंला से संबंधित क्रमांक संख्या 140001 से 145000 तक के 5000 प्रपत्र 23 अप्रैल 2007 को संयुक्त आयुक्त, काशीपुर को जारी किए गए और तत्पश्चात् उसी श्रृखंला के प्रपत्र "सी" जारी करने के बजाय भिन्न श्रृखंला यूके वैट/सी 2007 (क्रमांक संख्या 00001 से 20000) के 20,000 प्रपत्र 9 मई 2007 को जारी कर दिए गए थे। क्रम सं. 1,45,001 से 150000 (5000प्रपत्र) तक पुरानी श्रृखंला के प्रपत्र मुख्यालय द्वारा तीन वर्षों से अधिक समय में अर्थात लेखापरीक्षा की तारीख तक जारी नहीं किए गए।

2.14.3 **मिजोरम** में रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि प्रपत्रों का कालवार क्रम बनाए रखे बिना ही समय-समय पर घोषणा पत्र जारी किए गए। हमने देखा कि कर कमिश्नर ने एसीटी उत्तर मंडल, आइजोल को क्रम संख्या डीडी 025676 से डीडी026675 तक घोषणा प्रपत्र जारी किए (नवम्बर 2010); जबकि पिछली श्रृखंला की डीडी 019926 से डीडी 020000 तक 75 प्रपत्र अभी भी जुलाई 2011 तक स्टॉक में पड़े थे।

2.14.4 हमने आगे देखा कि केन्द्रीय मंडल ने सी-प्रपत्र संख्या 01 एफएफ 103890 से 01 एफएफ 103902 एक व्यापारी (मै. खैया एण्ड संस) को जारी किया और तत्पश्चात् नवम्बर 2007 में उसी व्यापारी को पिछली श्रृखंला के सात प्रपत्र, संख्या 01 एफएफ 094804 से 01 एफएफ 094810 जारी किए गए।

2.14.5 प्रपत्रों को क्रमानुसार जारी न करके नियंत्रण तंत्र को नजर-अंदाज करने से प्रपत्रों के दुरूपयोग और कर चोरी को बढ़ावा मिलेगा।

2.15 पंजीकरण प्रमाण पत्र के रद्दीकरण के बाद अप्रयुक्त घोषणा-पत्रों को वापस न लेना

2.15.1 सीएसटी नियमों के अनुसार, घोषणा प्रपत्र केवल पंजीकृत व्यापारियों को ही जारी किए जा सकते हैं। एक बार यदि पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) रद्द कर दिया जाता है तो व्यापारी एक अपंजीकृत व्यापारी हो जाता है। सीएसटी (पंजीकरण तथा टर्नओवर) नियम 1957 के नियम 9 के प्रावधानों के अधीन यदि कोई व्यापारी अपना व्यापार रोक देता है तो उसे अपने निर्धारण अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में तथ्यों से अवगत कराना होगा और उसे अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र और उसकी प्रति अधिसूचित प्राधिकारी को सौंप देनी चाहिए। एक पंजीकृत व्यापारी के पास उसका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद स्टॉक में बचे अप्रयुक्त घोषणा पत्र वापस विभाग को लौटा दिए जाने चाहिए ताकि प्रपत्रों का दुरूपयोग न हो।

2.15.2 **जम्मू और कश्मीर** में वाणिज्यिक कर सर्कल बी, श्रीनगर के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने देखा कि अप्रैल 1990 में निर्धारण अधिकारी द्वारा एक व्यापारी (मै. हरदेव ट्रेडर्स) को 150 "सी" प्रपत्र जारी किए गए। वर्ष 1993-94 से 2002-03 के दौरान 1989-90 से 2000-01 की अवधि तक व्यापारी की कर देयता "शून्य" निर्धारित की गई थी। प्रपत्रों का दुरूपयोग रोकने हेतु अप्रयुक्त प्रपत्र "सी" के उपयोगिता विवरण/समर्पण के प्रस्तुतीकरण पर जोर दिए बिना निर्धारण अधिकारी द्वारा जनवरी 2001 में व्यापारियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया। प्रपत्र "सी" के प्रतिसत्यापन के दौरान हमने देखा कि मेघालय के दो व्यापारियों (मै. के.एम.एण्ड.क. एवं मै. मेघालय कोल) ने 2009-10 के दौरान व्यापारी को ₹ 7.51 करोड़ मूल्य के कोयले की बिक्री दर्शायी थी। व्यापारियों का पंजीकरण रद्द करते समय उपयोगिता विवरण/अप्रयुक्त "सी" प्रपत्रों को प्राप्त करने में नि.अ. की विफलता के कारण उनके दुरूपयोग के परिणामस्वरूप ब्याज और जुर्माना सहित ₹ 1.1 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। शेष 148 "सी" प्रपत्रों की स्थिति का पता नहीं चल सका और उनके दुरूपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

2.15.3 सीएसटी **मेघालय** नियमों के तहत किसी भी व्यापारी के पास उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्दीकरण की तिथि पर स्टॉक में शेष अप्रयुक्त प्रपत्रों को इस रद्दीकरण के 15 दिनों के भीतर निर्धारण अधिकारी को सौंप दिया जाना चाहिए। यदि व्यापारी अपनी आरसी रद्दीकरण के समय अप्रयुक्त प्रपत्रों को नहीं सौंपता है तो ऐसे प्रपत्रों का दुरूपयोग रोकने के लिए सीओटी प्रपत्र को अप्रचलित और अवैध घोषित करते हुए सरकारी राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करेगा । राज्यों के सीटीडीज़ को भी तद्नुसार सूचित किया जाएगा।

2.15.4 एसटी, विलियमनगर में एक व्यापारी का आरसी रद्द कर दिया गया (दिसम्बर 2009) लेकिन व्यापारी ने तीन अप्रयुक्त प्रपत्र नहीं सौंपे। निर्धारण अधिकारी ने न तो व्यापारी को प्रपत्र वापस करने के लिए कहा और न ही उनका दुरूपयोग रोकने हेतु प्रपत्रों को अवैध और अप्रचलित घोषित करने के लिए सीओटी को मामले की जानकारी दी।

2.15.5 हमने यह भी देखा कि मेघालय के दो व्यापारियों ने 2009-10 के दौरान जम्मू-कश्मीर के व्यापारी को ₹ 7.51 करोड़ मूल्य का कर योग्य माल बेच दिया और दो "सी" प्रपत्र दिए। नि.अ. ने प्रपत्रों को स्वीकार कर लिया और व्यापारी का रियायती दर पर निर्धारण किया। हालांकि प्रपत्रों के प्रति सत्यापन से पता चला कि जम्मू-कश्मीर के क्रेता व्यापारी ने पहले ही अपना व्यापार बन्द कर दिया था और माल खरीदने के समय पर व्यापारी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया था परन्तु व्यापारी ने रद्दीकरण के समय प्रपत्र वापिस नहीं किए थे। अतः घोषणा प्रपत्रों के प्रति सत्यापन की एक प्रणाली के अभाव के कारण निर्धारण तय करते समय विभाग द्वारा अवैध प्रपत्रों को प्रस्तुतीकरण का पता नहीं लगाया गया।

2.15.6 **पश्चिम बंगाल** में चार प्रभारों में छः व्यापारियों के मामले में हमने पाया कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना ही आरसीज़ रद्द कर दिए गए और 36 अप्रयुक्त प्रपत्र इन व्यापारियों के कब्जे में रहे।

2.15.7 **ओडिशा** में, हमने देखा कि कटक- पूर्व सर्कल में हालांकि 10 व्यापारियों के आरसीज़ 11 मई 2009 और 30 दिसम्बर 2009 के बीच रद्द कर दिए गए थे फिर भी 6 जून 2006 से 6 सितम्बर 2006 के बीच उन व्यापारियों को जारी 76 अप्रयुक्त रिक्त "सी" प्रपत्र न तो व्यापारियों द्वारा वापिस लौटाये गए थे न ही सर्कल के पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र के रद्दीकरण से पूर्व व्यापारियों से उन प्रपत्रों को वापस लेने पर जोर दिया गया।

2.15.8 सीएसटी (**दिल्ली**) नियम, 2005 के नियम 5(9) में उल्लेख है कि व्यापारियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किए जाने के पश्चात् पंजीकृत व्यापारी के पास स्टॉक में बचे किसी भी अप्रयुक्त घोषणा प्रपत्र को आयुक्त को सौंपा जाँए। हालांकि सात निर्धारण अधिकारियों और एक अपर आयुक्त (जोन-VI) ने बताया कि विभाग पंजीकृत व्यापारियों से उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने पर उनके स्टॉक में बचे अप्रयुक्त प्रपत्रों को वापस नहीं लेता है।

2.15.9 **मध्य प्रदेश** में हमने देखा कि व्यापारी के पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द किए जाने के पश्चात् उनको जारी घोषणा प्रपत्रों के दुरूपयोग को रोकने के लिए कोई तंत्र नहीं है। तीन सर्कल कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने देखा कि 18 में से 11 मामलों में व्यापारियों के पंजीकरण प्रमाणपत्रों के रद्दीकरण के पश्चात् इन व्यापारियों द्वारा इनको जारी किए गए घोषणा पत्रों को न तो वापिस लौटाया गया और न ही इनके द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। हमने आगे देखा कि उनका पंजीकरण प्रमापत्र रद्द किए जाने के पश्चात् भी 11 व्यापारियों के पास 181 "सी" और "एफ" प्रपत्र शेष थे।

2.15.10 व्यापारियों द्वारा उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र के रद्दीकरण के बाद भी "सी" प्रपत्रों का शेष रहना कथित घोषणा प्रपत्रों के दुरूपयोग के जोखिम से भरा था।

2.16 पंजीकरण प्रमाणपत्र के रद्दीकरण के बाद प्रपत्रों का निर्गम

2.16.1 सीएसटी (**तमिलनाडु**) नियम, 1957 के नियम 10(1) के अनुसार, केवल पंजीकृत व्यापारियों को ही घोषणा पत्र जारी किए जा सकते हैं। यदि एक बार पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) रद्द कर दिया जाए तो व्यापारी अपंजीकृत व्यापारी हो जाता है। इसी नियम के नियम 10(6) में यह प्रावधान है कि व्यापारी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिए जाने पर अथवा अपना व्यापार बन्द कर देने पर उन्हें चाहिए कि वे रद्दीकरण के आदेश की प्राप्ति या व्यापार की समाप्ति की तारीख के सात दिनों के भीतर अपने पास बचे अप्रयुक्त प्रपत्रों को पंजीकरण प्राधिकारी को सौंप दें।

2.16.2 घोषणा प्रपत्रों के जारी करने तथा विभाग में रद्द पंजीकरण प्रमाण पत्र/बंद व्यापार मामले से जुड़े आकड़ों से संबद्ध विवरणों की हमारी समीक्षा द्वारा पता चला कि 226 निर्धारण सर्कलों में उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द किये जाने की तारीख के बाद नियम प्रावधानों के विरूद्ध 8,322 "सी" प्रपत्र और 1,060 "एफ" घोषणा प्रपत्र 792 व्यापारियों को जारी किए गए थे।

2.16.3 **ओडिशा** में कटक-I (पूर्व) सर्कल में हमने देखा कि एक व्यापारी की नवम्बर 2009 में मृत्यु के पश्चात् जनवरी 2010 में उसका आरसी रद्द कर दिया गया। जबकि, उपरोक्त नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में 1 अप्रैल 2006 से 31 जनवरी 2009 की अवधि में नि.अ. ने मृत व्यापारी को ₹ 14.16 करोड़ मूल्य के अन्तर राज्यीय क्रय हेतु 137 "सी" प्रपत्र जारी किया (30 जून 2010) और इसे व्यापारी की मृत्यु के पश्चात् उसके संबंधी को सौंप दिया जिसे एक अलग करदाता पहचान संख्या (टिन) दिया गया था। इससे पता चलता है कि व्यापारी की मृत्यु से पूर्व उसके द्वारा किए गए अन्तर-राज्यीय लेन-देन और इसी प्रकार नि.अ. द्वारा व्यापारी की कर देयता का उसकी आरसी रद्द करने से पहले सत्यापन नहीं किया गया था। चूँकि लेनदेन की अवधि के पश्चात् तीन महीनों के भीतर उनके नि.अ. को उसके प्रस्तुतीकरण के लिए राज्य के बाहर से माल खरीदते समय विक्रेता व्यापारियों को व्यापारी द्वारा उन प्रपत्रों को जारी किया जाना था, अतः ऐसे व्यापारी जिनका आरसी रद्द कर दिया गया था उनको तीन वर्षों से अधिक की अवधि से पूर्व संबंधित अंतरणों के लिए घोषणा प्रपत्रों को जारी करना अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।

2.17 प्रपत्रों के ऑन-लाइन जारी करने के पश्चात् पूर्व में जारी मुद्रित प्रपत्रों को वापस न माँगना

2.17.1 **गुजरात** में संयुक्त आयुक्त के अधीन इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एक सेल के माध्यम से व्यापारियों को 1 जुलाई 2008 से सीधे ऑन-लाइन घोषणा प्रपत्र जारी किए जा रहे थे। विभागीय सर्वर से टिनएक्सिस सर्वर को 1 जुलाई 2008 से सूचनाएँ अपलोड की जा रही थी। अक्टूबर 2005 से 1 जुलाई 2008 तक जारी प्रपत्रों के संबंध में सूचनाएँ मैनुअली अपलोड की जा रही थी।

2.17.2 घोषणा प्रपत्रों के जारी करने की ऑन-लाइन प्रणाली आने के बाद भी व्यापारियों के पास पड़े अप्रयुक्त घोषणापत्रों की वापसी के लिए विभाग ने कोई दिशानिर्देश/निर्देश जारी नहीं किये। अतः ऐसे अप्रयुक्त प्रपत्रों की वापसी से संबंधित निर्देशों के अभाव में उनके दुरूपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

2.17.3 इसी प्रकार **पुदुचेरी** सरकार ने 23 जुलाई 2010 से "सी" तथा "एफ" घोषणा प्रपत्र को ऑन-लाइन जारी करने की एक नई प्रणाली शुरू की। प्रारम्भ में यह अप्रैल 2010 से प्रभावी लेन-देन को कवर करने के लिए शुरू की गई थी और तत्पश्चात् यह सुविधा जुलाई 2007 से प्रभावी लेन-देन के लिए बढ़ा दी गई। तथापि, यह देखा गया कि भौतिक रूप में घोषणाएँ जारी करने की पुरानी प्रणाली भी जारी थी जबकि प्रपत्रों की ऑन-लाइन शुरूआत हो गयी थी। यद्यपि, प्रधान सचिव, वित्त, पुदुचेरी सरकार ने सभी राज्यों के सचिवों/वाणिज्यिक कर आयुक्तों को कम्प्यूटर जनित घोषणा प्रपत्रों को स्वीकार करने के लिए कहा, तथापि इस तथ्य के बारे में कि जुलाई 2007 से किए गए संव्यवहारों के लिए भौतिक रूप में जारी घोषणा प्रपत्र अवैध थे, कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।

2.18 पंजीकरण प्रमाणपत्र में शामिल नहीं किये गये माल हेतु घोषणा प्रपत्र जारी किया जाना

2.18.1 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 10-ए के साथ पठित धारा 10 (बी) के अनुसार यदि एक पंजीकृत व्यापारी ऐसे माल खरीदता है जिनका प्रपत्र "सी" के प्रति उसके पंजीकरण प्रमाणपत्र में उल्लेख नहीं है तो, कर निर्धारण अधिकारी निर्धारिती पर देय कर के डेढ़ गुना कर के समतुल्य जुर्माना लगा सकता है । तमिलनाडु राज्य बनाम अख्तर (1998) 108 एसटीसी 510 (मद्रास उच्च न्यायालय) के मामले में न्यायिक रूप से यह भी बरकरार रखा गया कि पंजीकरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित न किए गए माल की प्रपत्र "सी" के प्रति खरीद एक अपराध है और जुर्माना लगाया गया जा सकता है।

2.18.2 **असम** में जारीकर्ता राज्यों के सीटीडीज़ के साथ "सी" प्रपत्रों के प्रतिसत्यापन में 24 मामलों में हमने देखा कि तीन राज्यों (अरूणाचल प्रदेश, बिहार और मेघालय) के 14 व्यापारी, जिनको असम के 6 व्यापारियों द्वारा ₹ 4.88 करोड़ का माल बेच दिया गया, वे या तो संबंधित राज्य में अपंजीकृत पाए गए या खरीदा गया माल पंजीकरण प्रमाणपत्र में कवर नहीं था। इस प्रकार गैर पंजीकृत व्यापारियों को बिक्री

या पंजीकरण प्रमाणपत्र में गैर-शामिल माल की बिक्री पर कर की रियायती दर की गलत अनुमति के कारण ₹ 74.23 लाख के कर तथा ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ।

2.18.3 **आन्ध्र प्रदेश** में दो सर्कलों में हमने देखा कि तीन व्यापारी जो अंतर्राज्यीय व्यापार के क्रम में विस्फोटकों, खनन मशीनरी, सीमेंट, ताँबा तार, एल्युमीनियम तार और इन्सुलेसन सामग्री खरीदने के लिए पात्र थे, जैसा कि सीएएटी पंजीकरण प्रमाणपत्र में उल्लेख था, उन्होंने इसके विपरीत डीजल तेल, प्रेसबोर्ड, पीतल की छड़ें, एमएस रॉड, एमएस एंग्लिस इत्यादि खरीद लिए जिसका उनके सीएसटी प्रमाणपत्र और अन्य राज्यों में बेचने के लिए व्यापारियों को जारी किए गए प्रपत्र "सी" में उल्लेख नहीं था। इस प्रकार उपयोगी वस्तुओं जो पंजीकरण प्रमाणपत्र में शामिल नहीं थी, की खरीद के लिए प्रपत्र "सी" जारी करने के कारण "सी" प्रपत्र का दुरूपयोग हुआ। सीएसटी पंजीकरण प्रमाण-पत्र में माल के उल्लेख सहित व्यापारी द्वारा प्रस्तुत "प्रपत्र उपयोगिता विवरण" में शामिल अन्तर-राज्यीय बिक्री में खरीदी गई उपयोगी वस्तुओं का विभाग द्वारा प्रति संयोजन और सत्यापन किया जाना चाहिए था। इन मामलों में ₹ 31.82 लाख का जुर्माना बनता है।

2.18.4 आगे हमने सीटीओ, सूर्यबाग, विशाखापट्टनम में देखा कि वर्ष 2008-09 के दौरान एक व्यापारी ने "सी" प्रपत्र जारी होने पर रियायती दर पर राज्यों के बाहर से "ग्रेनाईट" और "ट्रांसफार्मर" खरीदे। उपरोक्त सीएसटी प्रमाणपत्र की संवीक्षा से पता चला कि व्यापारी को "रेडीमेड कपड़ों" और "आभूषण" के लिए प्रपत्र जारी करने हेतु पंजीकृत किया गया था। इससे यह भी पता चलता है कि विभाग ने बिना उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र में पण्य पदार्थों का सत्यापन किए व्यापारियों को प्रपत्र "सी" जारी कर दिए। इस प्रकार ऐसे पण्य पदार्थों जो व्यापारी के पंजीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट नहीं थे, के लिए प्रपत्र "सी" जारी करना अनियमित था जिस पर ₹ 3.63 लाख जुर्माना देय था जिसे विभाग ने उद्ग्रहित नहीं किया।

2.18.5 **अरूणाचल प्रदेश** में कर अधीक्षक, शिलांग, मेघालय सहित कर अधीक्षक, जोन-I नाहरलागुन और जोन-II, ईटानगर के अभिलेखों के प्रति सत्यापन पर हमने देखा कि अप्रैल 2006 तथा मार्च 2009 के मध्य दो व्यापारियों ने जो हार्डवेयर, शीशा, प्लाईवुड और बिजली के सामानों के व्यापार हेतु पंजीकृत थे, ₹ 2.94 करोड़ मूल्य के सीमेंट जो उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र में शामिल नहीं था, का आयात आठ प्रपत्र "सी" के प्रति किया। व्यापारी ने न तो 2006-07 से 2008-09 तक के वर्षों हेतु भुगतान योग्य कर अदा किया और न ही कोई विवरण प्रस्तुत किया। इस प्रकार व्यापारियों ने कम से कम ₹ 2.94 करोड़ का टर्नओवर छुपाया और ₹ 36.71 लाख की कर चोरी की। इसके अतिरिक्त, व्यापारी सीमेंट के आयात जो व्यापारियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट नहीं थे, हेतु घोषणा प्रपत्रों का प्रयोग करने के लिए ₹ 55.06 लाख का अधिकतम जुर्माना अदा करने के लिए भी उत्तरदायी थे। इस संबंध में नि.अ. द्वारा व्यापारियों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया।

2.19 अवैध और अप्रचलित घोषणा प्रपत्रों के नमूने परिचालित करना

2.19.1 कई राज्यों में सीएसटी नियम बताते हैं कि सीसीटी अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकता है कि एक विशेष श्रृंखला, डिज़ाइन अथवा रंग का घोषणा प्रपत्र अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई किसी तिथि से अप्रचलित और अवैध माना जाएगा। ऐसी अधिसूचना की एक प्रति अन्य राज्य सरकारों को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए भेजी जाएगी।

2.19.2 **हिमाचल प्रदेश, केरल, नागालैण्ड और राजस्थान** जैसे राज्यों में हमने देखा कि वाणिज्यिक कर विभाग ने नकली अथवा जाली घोषणा प्रपत्रों की पहचान करने हेतु तुलना करने के लिए विभिन्न राज्यों में प्रचलित प्रपत्रों के प्रारूप, डिजाइन, रगों के नमूने नहीं रखते थे। इसलिए अवैध अप्रचलित और जाली घोषणा प्रपत्रों की स्वीकार्यता तथा परिणामतः कर की कम उगाही, जैसे कि उपरोक्त पैरा 2.8.2 में बताया गया है, का जोखिम था।

2.20 दोषपूर्ण प्रपत्रों के संबंध में अधिसूचना जारी न करना

2.20.1 सीएसटी नियम में प्रावधान है कि आयुक्त, अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी तारीख से एक विशेष श्रेणी के घोषणा प्रपत्रों को अप्रचलित और अवैध घोषित कर सकता है।

2.20.2 **मेघालय** में दो एसटी शाखा कार्यालयों (विलियमनगर और टूरा) में हमने देखा कि 111 प्रपत्र क्षतिग्रस्त हो गये थे और प्रयोग हेतु उपयुक्त नहीं थे। एसटीज़ ने अधिसूचना जारी करने हेतु सीओटी को सूचित नहीं किया जिससे व्यापारियों द्वारा माल की खरीददारी हेतु प्रपत्रों के दुरूपयोग की संभावना बनी रही।

2.21 गुम/चोरी हुए प्रपत्रों के संबंध में अधिसूचना जारी न करना

2.21.1 सीएसटी **मेघालय** नियमों के अन्तर्गत यदि व्यापारी द्वारा प्राप्त प्रपत्र गुम होने, नष्ट होने अथवा चोरी होने की सूचना दी जाए तो व्यापारी, एसटी को तथ्य से अवगत कराएगा और सीओटी गुम होने या चोरी की जन सूचना जारी करेगा।

2.21.2 एसटी, सर्कल III, शिलांग में हमने देखा कि एक व्यापारी ने एसटी को जुलाई 2009 में चार एँफ" प्रपत्रों के गुम होने की सूचना दी। लेकिन हमने पाया कि एसटी द्वारा सीओटी को मामले से अवगत नहीं कराया गया। इसी प्रकार जोवाई में एक "सी" प्रपत्र गुम होने की सूचना दी गई। एसटी ने सीओटी को मामले से अवगत करा दिया लेकिन सीओटी ने कार्रवाई नहीं की। फलस्वरूप, विभाग द्वारा प्रपत्रों को अवैध/अप्रचलित करने की घोषणा हेतु सूचना जारी नहीं की गई थी।

2.21.3 केन्द्रीय बिक्री कर (**जम्मू-कश्मीर**) नियमावली के नियम 6 में उल्लेख है कि यदि कोई घोषणा प्रपत्र गुम, नष्ट या चोरी हो जाए तो व्यापारी नि.अ. को तत्काल तथ्यों से अवगत करायेंगे और

गुम होने, नष्ट होने या चोरी होने की सूचना जारी करने के लिए कदम उठायेंगे जैसा निर्धारण अधिकारी निर्देश दे।

2.21.4 हमने देखा कि नि.अ. सर्कल "ओ" जम्मू द्वारा एक व्यापारी, मै. सेठ कंस्ट्रक्सन को 6 मार्च 2006 को 2 "सी" प्रपत्र (03वी-009169 एवं 03वी-009170) जारी किए गए थे, जिसके व्यापारी द्वारा खोने की सूचना दी गई। बताए गये नियमों के संबंध में इन प्रपत्रों का दुरूपयोग रोकने हेतु विभाग द्वारा "सी" प्रपत्रों के खोने की अधिसूचना के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। "सी" प्रपत्रों के हमारे सत्यापन से पता चला कि दो प्रपत्रों में से एक प्रपत्र (03वी - 009169) को ₹ 1.01 लाख मूल्य के मशीनरी पुर्जों की बिक्री के लिए मै. एन.के. इंजीनियरिंग गुरूदासपुर, पंजाब द्वारा प्रयोग किया गया था। दूसरे प्रपत्र "सी" के दुरूपयोग का पता नहीं लगाया जा सका।

2.21.5 **महाराष्ट्र** में केन्द्रीय बिक्री कर (बाम्बे) नियमावली, 1957, के नियम 4(ए) के साथ पठित "केन्द्रीय भण्डार" की नियमावली के खण्ड 4.10 तथा 4.11 बताते हैं कि मुद्रण त्रुटि या अन्य त्रुटि के कारण जारी नहीं किए गए घोषणा प्रपत्रों को रद्द कर दिया जाएगा और इस संबंध में उपयुक्त प्रविष्टियां "जारी नहीं किए गए और रद्द प्रपत्र" रजिस्टर में दर्ज की जाएंगी तथा उनके दुरूपयोग को रोकने के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के लिए संबंधित अधिकारी से अनुमोदन के पश्चात् रिकार्ड अनुभाग को विवरण भेज दिया जाएगा।

2.21.6 केन्द्रीय भण्डार मुम्बई में निर्गम तथा रद्दीकरण विवरणियों से संबद्ध रजिस्टरों की संवीक्षा के दौरान हमने देखा कि 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान 20,542 घोषणा प्रपत्र रद्द किए गए, तथापि, इन रद्द प्रपत्रों को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए इसे रिकार्ड अनुभाग को नहीं भेजा ताकि इसका दुरूपयोग रोका जा सके।

2.21.7 **नागालैण्ड** में हमने देखा कि अब तक (मार्च 2012) 1375 "सी" प्रपत्रों की कम प्राप्ति जैसा कि उपरोक्त पैरा 2.12.16 में बताया गया है, एसीटी, दीमापुर द्वारा सक्षम प्राधिकारी को नहीं बतायी गयी।

2.22 अवैध प्रपत्र जारी करना

2.22.1 **उत्तराखंड** में सीटीडी ने 31 दिसम्बर, 2006 के बाद प्रपत्र "सी" की एक विशेष श्रेणी को अवैध अधिसूचित किया (नवम्बर 2006) और प्रपत्रों को ऐसी तिथि के पश्चात् व्यापारी अथवा विभाग द्वारा नहीं किया जाना था। तथापि, एसी (ए) कोटद्वारा और एसी(ए)- II, देहरादून के प्रपत्र निर्गम रजिस्टर से पता चला कि अवैध घोषित किए गए 1303 "सी" श्रेणी के प्रपत्रों को विभाग द्वारा 166 व्यापारियों को जनवरी 2007 से मार्च 2007 की अवधि हेतु जारी कर दिया गया था।

2.22.2 इसी प्रकार, एक डीसी(ए) और दो एसीज़ (ए) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने अवैध घोषित किए जाने से पूर्व व्यापारियों को प्रपत्र "सी" जारी किया लेकिन व्यापारियों ने, इस अवैध प्रपत्र को वैध प्रपत्र से बदलने के बजाय, ₹ 34.42 करोड़ धन राशि के 640 प्रपत्रों को अवैध घोषित की गई तिथि के बाद अन्य व्यापारियों को जारी कर दिया।

2.23 व्यापारियों की शाखाओं के डाटाबेस का अभाव

2.23.1 सीएसटी अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि पंजीकरण की माँग करते समय प्रत्येक व्यापारी को अन्य राज्यों में उसके व्यापार का स्थान घोषित करना पड़ेगा। इसके बाद सीएसटी (आर एण्ड टी) के नियम 12 (5) के साथ पठित धारा 6-ए की उप-धारा 1 में उल्लेख है कि माल को व्यापार के दूसरे स्थानों पर या अपने एजेंट को या प्रिंसिपल को स्थानान्तिरित करने के लिए "एफ" प्रपत्र में घोषणा की जानी चाहिए। व्यापारी की शाखाओं की एक सूची पंजीकरण प्रमाण-पत्र में शामिल की जानी चाहिए।

2.23.2 जबकि पंजीकरण प्रमाण-पत्र में व्यापारियों की शाखाओं के विवरण दर्ज किए जाते हैं जिससे छूट के लिए दावों की प्रमाणिकता का सत्यापन किया जा सकता है, फिर भी सीटीडीज़ ने व्यापारियों द्वारा शाखा स्थानान्तरण/माल बिक्री के रूप में स्थानान्तरित माल का मूल्य और स्वरूप; शाखाओं की पंजीकरण संख्या, शाखाओं का नाम, व्यापारियों का नाम और अनुमत कर छूट के लिए कोई डाटाबेस विकसित नहीं किया जिससे निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारियों की सहायता हो सकती थी और वह एक महत्वपूर्ण नियंत्रण टूल के रूप में काम कर सकता था।

2.23.3 **छत्तीसगढ़** में सीटीओज़ मानेंद्रगढ़, राजनन्द गाँव और रायपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, स्प्रिंकलर प्रणाली, एक्जोथर्मिक सामग्री और कीटनाशकों के व्यापार में कार्यरत चार व्यापारियों के पाँच मामलों में व्यापारी ने शाखा स्थानान्तरण पर अप्रैल 2004 से मार्च 2007 की अवधि के दौरान ₹ 2.03 करोड़ की टर्नओवर पर छूट प्राप्त की। व्यापारियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र दर्शाते थे कि स्टॉक का दावा किए गए शाखाओं को स्थानान्तरित करना व्यापारियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र में शामिल नहीं था। पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के अनुसार घोषित शाखाओं के संदर्भ सहित "एफ" प्रपत्रों की संवीक्षा करने में नि.अ. की विफलता के कारण ₹ 20.28 लाख के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ । इसके अतिरिक्त ₹ 60.84 लाख का जुर्माना बनता है।

2.23.4 **हिमाचल प्रदेश** में, एईटीसीज़ बीबीएन और सिरमौर में तीन व्यापारियों को वर्ष 2004-05 से 2008-09 के लिए मार्च 2007 और जुलाई 2010 के बीच निर्धारित किया गया था । हमारी संवीक्षा से पता चला कि नि.अ. ने निर्धारण करते समय शाखाओं/माल एजेंटों को ₹ 80.72 करोड़ के माल स्थानान्तरण पर छूट अनुमत की, हालांकि स्थान जहाँ शाखाओं को स्थानान्तरण किया गया था उसको व्यापारियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र में शामिल नहीं किया गया था। अनियमित छूट से ₹1.46 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 4.73 करोड़ के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

2.24 घोषणा प्रपत्रों का प्रति सत्यापन

2.24.1 व्यापारियों तथा उनके द्वारा किए गए लेन-देन से संबंधित आँकड़े/सूचना का प्रति सत्यापन सीएसटी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक अनिवार्य शर्त है क्योंकि समस्त प्रणाली केवल पंजीकृत व्यापारियों को जारी सांविधिक प्रपत्रों के आधार छूट/रियायत के दावों की शुद्धता पर आधारित

है। इस तंत्र के लिए कर सूचना विनिमय प्रणाली (टिनएक्सिस), अंतर-राज्यीय सत्यापन सैल का प्रयोग तथा निर्धारण अधिकारियों द्वारा चयनित लेन-देन के जाँच शामिल है।

2.25 टिनएक्सिस

2.25.1 अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के क्रम में की गई बिक्रियों/खरीदों की निगरानी में विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वाणिज्यिक कर विभागों की सहायता के एक परिदृश्य में राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने अंतर-राज्यीय अंतरणों के एक भण्डार के रूप में कर सूचना विनियम प्रणाली (टिनएक्सिस) नाम की एक वेबसाइट बनाई। व्यापारियों के सत्यापन के अलावा यह वेबसाइट अन्य राज्यों के सीटीडीज़ द्वारा जारी तथा रियायत/छूट के दावों के समर्थन में व्यापारियों द्वारा उनको प्रस्तुत, केन्द्रीय सांविधिक प्रपत्रों के सत्यापन के लिए सीटीडी के कर्मचारियों द्वारा प्रयोग के लिए है। टिनएक्सिस अन्तर-राष्ट्रीय व्यापार गतिविधियों की निगरानी हेतु सीटीडीज़ को प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा व्यापार अन्वेषण रिपोर्ट भी प्रदान करता है। किसी अन्य राज्य में काउंटर पार्टी व्यापारी का सत्यापन करने के लिए भी किसी व्यापारी द्वारा टिनएक्सिस का प्रयोग किया जा सकता है।

2.25.2 प्रत्येक राज्य को प्रपत्रों के प्रतिसत्यापन की प्रणाली के रूप में वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए वित्त मंत्रालय की घोषणा प्रपत्रों के जारीकरण और उपयोग की सूचना भेजने की आवश्यकता है जो दक्षतापूर्वक तभी कार्य करेगा जब सभी डाटाबेस से संबंधित प्रपत्रों का जारीकरण तथा उपयोगिता सभी राज्यों द्वारा नियमित रूप से टिनएक्सिस पर अपलोड किए जाएं। 18 जनवरी, 2012 को हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, सभी राज्यों के सीटीडी मुख्यालयों में टिनएक्सिस की पहुँच है। स्थिति अनुबंध "ख" में दी गई है ।

2.25.3 **पश्चिम बंगाल** में, सूचना प्रणाली प्रभाग (आईएसडी) टिनएक्सिस पर घोषणा प्रपत्रों पर आंकड़े अपलोड करने के लिए जिम्मेदार है। सीसीटी ने फरवरी 2005 में निदेश जारी किए थे कि प्रपत्र जारी करने वाले अनुभागों और प्रभारी कार्यालयों द्वारा महीने में दो बार "सी" और "एफ" प्रपत्रों के मामलों पर विवरणियां आईएसडी को टिन्एक्सिस पर अपलोड करने के लिए भेजनी चाहिए। किसी महीने के प्रथम पखवाड़े से संबंधित विवरणियां उसी महीने की 25वीं तारीख तक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जबकि द्वितीय पखवाड़े से संबंधित आंकड़ों को अगले महीने की दस तारीख तक सभी प्रभारी कार्यालयों द्वारा, व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत घोषणा प्रपत्रों के उपयोग विवरणों की प्रतियां टिन्एक्सिस पर अपलोड करने के लिए आईएसडी को भेजी जानी अपेक्षित हैं।

2.25.4 हमने पाया कि आईएसडी 2006 से आगे घोषणा प्रपत्रों के वितरण और उपयोग से संबंधित जानकारी अपलोड करना आरंभ कर चुकी है। हालांकि, फरवरी 2005 के निदेशों में "सी" और "एफ" प्रपत्रों की विवरणियों और घोषणा प्रपत्र अनुभागों और प्रभारी कार्यालयों से उपयोग विवरणिका की प्रतियों की प्राप्ति की निगरानी हेतु किसी रिकार्ड/रजिस्टर के अनुरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था और परिणामतः आईएसडी ने उपरोक्त की निगरानी के लिए किसी रिकार्ड/रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया। इसलिए हम घोषणा प्रपत्र अनुभागों और प्रभारी कार्यालयों से ऐसी विवरणिकाओं की समयानुसार प्राप्ति

और टिनएक्सिस में उनका समय पर अपलोड अभिनिश्चित नहीं कर सके। उच्च अधिकारियों के पास उक्त सूचना के प्रेषण/प्राप्तियों/अपलोडिंग से संबंधित घोषणा प्रपत्र अनुभागों/प्रभारी कार्यालयों/आईएसडी द्वारा रिपोर्टे/रिटर्नें प्रस्तुत करने के लिए कोई अनुदेश न होने के कारण वे स्थिति को मॉनीटर करने और उपचारी कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं थे।

2.26 टिनएक्सिस पर उपलब्ध आंकड़ें

2.26.1 हमने पाया कि 18 जनवरी 2012 तक टिनएक्सिस पर उपलब्ध आंकडों की स्थिति निम्नानुसार थीः

- ≈ आंध्र प्रदेश, केरल, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और पुदुचेरी के मामले में व्यापारियों और सी/एफ प्रपत्र के निर्गम और उपयोग की स्थिति से संबंधित आंकड़े अद्यतन (18 जनवरी 2012 तक) थे;
- ≈ जम्मू और कश्मीर और उत्तर प्रदेश के मामलों में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं थे;
- ≈ झारखंड में, व्यापारी आंकड़ों को छोड़कर सी/एफ प्रपत्रों को जारी करने और उनके उपयोग की कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी;
- ≈ सिक्किम के लिए, "एफ" प्रपत्रों जारी करने और उसके उपयोग से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं थे;
- ≈ हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणीपुर और नागालैंड के संदर्भ में "एफ" प्रपत्रों के उपयोग संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं थे;
- ≈ छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और हरियाणा के लिए "सी" और "एफ" प्रपत्रों के उपयोग के आंकड़ें उपलब्ध नहीं थे;
- ≈ उत्तराखंड के मामले में "सी" प्रपत्रों के उपयोग और "एफ" प्रपत्र जारी करने और उसके उपयोग संबंधी आंकडे उपलब्ध नहीं थे, जबकि व्यापारियों संबंधी आंकड़े मई 2008 तक तथा "सी" प्रपत्र जारी करने के आंकड़े अक्टूबर 2008 तक की स्थिति दर्शाते थे;
- ≈ गोवा के मामले में, पश्च-सितंबर 2011 के आंकड़े 18 जनवरी 2012 तक अपलोड नहीं किये गये थे।

2.26.2 इस प्रकार, कुछ राज्यों को छोड़कर टिनएक्सिस ने सीमित उद्देश्य पूरे किए, अपेक्षित आंकड़े या तो वेबसाईट पर उपलब्ध नहीं थे या उपलब्ध आंकड़ों ने वर्तमान स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं किया था। विवरण अनुबंध "ग" में दिया गया है।

2.26.3 **सिक्किम** में, व्यापारियों और व्यापारियों को जारी किए गये प्रपत्रों की कोई जानकारी टिनएक्सिस पर अपलोड नहीं की गई थी। वेबसाइट पर उपलब्ध सिक्किम राज्य से संबंधित आंकड़ों का सत्यापन करते समय, यह देखा गया कि वर्ष 2005 से 2010 तक कोई व्यापारी विवरण वेबसाईट पर अपलोड नहीं किया गया था। वर्ष 2007 से 2010 तक केवल राज्य में उपलब्ध व्यापारियों की संख्या को वेबसाईट पर अपलोड किया गया। विभिन्न सांविधिक प्रपत्रों के जारी करने और उपयोग, आवधिक रिटर्नों, वस्तु मालिक, जिला मास्टर, कार्यालय मास्टर आदि जैसे अन्य विवरण किसी भी वर्ष में अपलोड नहीं किये गये थे। साईट पर सिक्किम के व्यापारियों को जारी किये गये घोषणा प्रपत्रों के आंकड़ों के अपलोड न करने से अन्य राज्य को डाटाबेस तक पहुँचने से वंचित कर दिया जिसने वेबसाईट के निर्माण के उद्देश्य को विफल कर दिया। जबकि, मार्च 2011 के बाद, विभाग ने व्यापारियों को जारी किये गये "सी" प्रपत्रों का विवरण अपलोड करना आरंभ कर दिया था।

2.26.4 26 ईकाईयों में अभिलेखों के परीक्षण के दौरान **मध्य प्रदेश** में, हमने पाया कि टिनएक्सिस से 796 घोषणा प्रपत्रों में से केवल 146 घोषणा प्रपत्रों के विवरणों की पुष्टि हमारे द्वारा की जा सकी। इसी प्रकार, हमारे द्वारा 534 व्यापारियों की नमूना जांच में से 195 की जाँच की पुष्टि वेबवाईट से की जा सकी। इसके अतिरिक्त, 104 मामलों में, या तो टिन संख्या दर्ज़ नहीं की गई थी या पुरानी सीएसटी संख्या का उल्लेख किया गया था। टिनएक्सिस से नमूना जांच के दौरान हमने आगे पाया कि पांच इकाईयों में पांच व्यापारियों के मामले में या तो विक्रेता/क्रेता व्यापारियों के नाम अलग थे या व्यापारी के अभी भी सक्रिय होने के बावजूद वेबसाईट पर उनका पंजीकरण निरस्त दिखाया गया था।

2.26.5 वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत, टिनएक्सिस में "सी" प्रपत्रों में उल्लिखित राशि को दर्ज करने की कोई सुविधा नहीं है। हमने वर्ष 2006 से 2010 तक का मध्य प्रदेश राज्य के टिनएक्सिस में उपलब्ध आंकड़ों की रिपोर्ट की जांच की और पाया कि हालांकि इन वर्षों के दौरान व्यापारियों को जारी किये गये "सी" और "एफ" प्रपत्रों के आंकड़े बढ़ रहे थे, फिर भी "सी और "एफ" प्रपत्रों का उपयोग पिछले चार वर्षों से पहले जैसा ही बना हुआ था। उपरोक्त परिस्थिति यह दर्शाती है कि लाभ प्राप्त करने के लिए टिनएक्सिस में समय पर आंकड़े का अपलोड सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

2.27 रद्द व्यापारियों की जानकारी

2.27.1 टिनएक्सिस पर उपलब्ध जानकारी निर्धारण अधिकारियों को रियायतें/ छूट के लिए किये गये दावों के समर्थन में व्यापारियों द्वारा दिये गये प्रपत्रों की वास्तविकता का पता लगाने में सहायता करती है। इसलिए खो गये/विरूपित घोषणा प्रपत्रों के मामले में, किसी भी दुरूपयोग से बचने के लिए टिनएक्सिस पर तुरंत उनका रद्दीकरण अपलोड किया जाना चाहिए।

2.27.2 **राजस्थान** में, 11 सीटीओज़ द्वारा दिये गये रद्द व्यापारियों के आंकड़ों की नमूना जांच के दौरान, हमने पाया कि टिनएक्सिस पर रद्द व्यापारियों की जानकारी अपलोड नहीं की गई थी। कुल 391 व्यापारी जिनकी आरसीज़ रद्द की गई थी, में से टिनएक्सिस पर 201 व्यापारियों का विवरण नहीं मिला जबकि 87 व्यापारियों को सक्रिय व्यापारी दिखाया गया था। इसलिए, टिनएक्सिस पर 51 प्रतिशत

व्यापारियों का विवरण अपलोड नहीं किया गया था और 22 प्रतिशत व्यापारियों को सक्रिय व्यापारी दिखाया गया था। रद्द व्यापारियों की जानकारी अपलोड न करने के कारण, निर्धारण अधिकारी और दूसरे राज्यों के व्यापारी व्यापारियों की सत्यता की पुष्टि करने के अवसर से वंचित रह गये।

2.27.3 **पश्चिम बंगाल** में सूचना प्रणाली प्रभाग ने वर्ष 2006 में टिनएक्सिस में केंद्रीय सांविधिक घोषणा प्रपत्रों के आंकड़ों को अपलोड करना शुरू किया। हालांकि, उन्होंने अप्रैल 2010 से रद्द प्रपत्रों के रिकार्ड को इकठ्ठा करना आरंभ कर दिया था। हमने टिनएक्सिस पर उपलब्ध जानकारी से आईएसडी द्वारा खो गये और विरूपित घोषणा प्रपत्रों के उपलब्ध कराये गये आंकड़ों (अगस्त 2009 और जनवरी 2011 के बीच) का प्रति सत्यापन किया और पाया कि 27 "सी" और "एफ" खो गये/विरूपित प्रपत्रों में से केवल सात प्रपत्रों को ही टिनएक्सिस पर अपलोड किया गया था। इसके अतिरिक्त, ये सात प्रपत्र लेखापरीक्षण की तिथि (दिसम्बर 2011) तक वैध दिखाये गये थे। हमने यह भी देखा कि किसी दुरूपयोग से बचने के लिए खो गये और विरूपित घोषणा प्रपत्रों की जानकारी अन्य राज्यों को नहीं दी गई थी।

2.27.4 **जम्मू और कश्मीर** में, सीएसटी (जम्मू और कश्मीर) नियमावली 1958 के नियम 3 के अंतर्गत, प्रति वर्ष 30 अप्रैल से पहले कमिश्नर वाणिज्यिक कर द्वारा अधिनियम के प्रासंगिक भाग अंतर्गत के प्रपत्र-1 में पंजीकृत व्यापारियों की सूची सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करवानी अपेक्षित है। उपरोक्त सूची में समय समय पर संशोधन किए गये और संशोधन और परिवर्धन जिस तिमाही से सम्बन्धित है उसके समाप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर ही परिवर्धनों की सूची भी सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हो जानी चाहिए। लेकिन हमने पाया कि विभाग ने अंतर-राज्यीय क्रय/स्टॉक हस्तांतरण करने वाले व्यापारियों का कोई डाटाबेस नहीं रखा। इसलिए अंतर-राज्यीय क्रय करने वाले पंजीकृत व्यापारियों का इलैक्ट्रॉनिक डाटाबेस विभाग द्वारा नहीं बनाया गया था। इन आंकड़ो की अनुपस्थिति में, वेबसाईट पर व्यापारियों संबंधी घोषणा प्रपत्रों के आंकड़े को प्रति-सत्यापन हेतु अपलोड करना संभव नहीं था। इसलिए, सीटीडी को व्यापारियों /प्रपत्रों के प्रतिसत्यापन के लिए टिनएक्सिस वेबसाइट से कोई सहायता नहीं मिली। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं था जिससे यह संकेत मिले कि विभाग ने अपेक्षित जन-शक्ति और सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों को विकसित किया हो, जो टिनएक्सिस में भागीदार होने के लिए अपेक्षित हैं।

2.28 टिनएक्सिस से सूचना का सत्यापन

2.28.1 1.4.2006 से 18.1.2012 की अवधि में टिनएक्सिस सुविधा के उपयोग की समीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि साईट पर विजिट करने वालों और साईट पर अधिकतम घंटे बिताने वालों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के सीटीडीज़ के अधिकारियों की संख्या अधिकतम थी जबकि इसी समय के दौरान सिक्किम, त्रिपुरा और मणीपुर के सीटीडी के अधिकारियों ने एक घंटा भी इस साईट पर नहीं बिताया। नागालैंड, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली के अधिकारियों ने इस समय में 10 घंटे से भी कम समय साईट पर बिताया। विवरण अनुबंध "घ" में दिया गया है।

2.28.2 कुछ राज्यों जैसे **बिहार** और **त्रिपुरा** के विभागों ने छूट/रियायत स्वीकृति से पहले टिनएक्सिस वेबसाईट पर उपलब्ध डाटाबेस में व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रपत्रों के सत्यापन के लिए किसी

प्रणाली को निर्धारित नहीं किया है। इसके कारण वेबसाईट के निर्माण के उद्देश्य पूरे नहीं हो पाते क्योंकि निर्धारण अधिकारी घोषणा प्रपत्रों की सत्यता की जांच के लिए वेबसाईट का उपयोग नहीं कर रहे थे।

2.28.3 **गुजरात** में टिनएक्सिस वेबसाईट ने 2006 में कार्य करना आरंभ किया। हालांकि विभाग ने निर्धारण अधिकारियों को टिनएक्सिस को अथवा संबद्ध राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग की आधिकारिक वेबसाईट को विजिट करने के निर्देश जून 2011 में जारी किये थे कि सीएसटी उगाही से छूट/रियायत का लाभ उठाने के लिए गुजरात के व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रपत्रों की विश्वसनीयता की जांच की जाये। ये निर्देश व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रपत्रों के संदिग्ध पाये जाने या प्रारंभ से ही विपक्षी व्यापारियों के पंजीकरण रद्द होने जैसी घटनाओं के घटित होने के बाद जारी किये गये। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट निर्देशों के बावजूद, हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 13 यूनिटों में से 10 यूनिटों में यह पाया कि निर्धारण अधिकारी टिनएक्सिस की सुविधा का उपयोग नहीं कर रहे थे।

2.28.4 **गोवा** में टिनएक्सिस वेबसाईट पर अपलोड किये गये प्रपत्रों में बिल-वार लेन-देन शामिल नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप दूसरे राज्यों में टिनएक्सिस का उपयोग प्रपत्रों की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करेगा परंतु व्यक्तिगत प्रपत्रों द्वारा लेन-देन की शुद्धता सुनिश्चित नहीं होगी।

2.28.5 व्यापारियों तथा प्रपत्रों के निर्गम तथा उपयोग के विवरण को अपलोड करने में देरी/चूक ने टिनएक्सिस वेबसाईट के निर्माण के उद्देश्य जैसे कि, अंतर-राज्यीय व्यापार की प्रभावी निगरानी को समाप्त कर दिया।

2.29 विभागीय वेबसाईट का उपयोग न होना

2.29.1 **उत्तर प्रदेश** में हमने वाणिज्यिक कर विभाग की आधिकारिक वेबसाईट (comtax.up.nic.in) पर पाया कि "सर्च डीलर" विकल्प में कर दाताओं की पहचान संख्या, व्यापारी का नाम, फर्म का नाम, व्यापारी का पता, व्यापारी की स्थिति (सक्रिय/निलंबित) जैसी जानकारियाँ उपलब्ध थी। तथापि व्यापारी की केंद्रीय पंजीकरण संख्या को नहीं दर्शाया गया था जिसकी अनुपस्थिति में सीएसटी अधिनियम के अंतर्गत उनकी स्थिति की पहचान संभव नहीं थी।

2.29.2 इसे अतिरिक्त हमने पाया कि "सर्च डीलर" विकल्प में आवंटित करदाता पहचान संख्या (टिन) को दर्शाया गया था परंतु व्यापारी की सीएसटी पंजीकरण संख्या को दर्ज करने के लिए कोई जगह नहीं थी क्योंकि 20 सितम्बर 2005 में राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति के निर्णयानुसार, वैट और सीएसटी पंजीकरण के लिए जिन राज्यों के पास अलग-अलग टिन थे उनके लिए बाद में केवल एक टिन जारी करने के लिए कदम उठाने थे। परन्तु राज्य अधिनियम और केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण के लिए केवल एक टिन के आवंटन के कारण, सीएसटी अधिनियम के अंतर्गत किसी अपंजीकृत व्यापारी को पहचानना संभव नहीं था और सीएसटी पंजीकरण की अलग संख्या न होने की परिस्थिति में, पणधारियों द्वारा विभागीय वेबसाईट द्वारा प्रति-सत्यापन संभव नहीं था।

2.29.3 हमने वेबसाईट पर 150 सक्रिय व्यापारियों के विवरण खोजे और पाया कि सीएसटी अधिनियम के अंतर्गत 18 जिलों में 53 व्यापारियों पंजीकृत नहीं थे परंतु उनको 2005-06 से 2007-08 के दौरान "सी" और "एफ" सांविधिक घोषणा प्रपत्रों को जारी करने के बाद अंतर-राज्यीय खरीद/स्टॉक हस्तांतरण करते हुए पाया गया। यह दर्शाता है कि व्यापारियों को सांविधिक प्रपत्रों के जारी करते समय, आधिकारिक वेबसाईट की निर्धारण अधिकारियों द्वारा जांच नहीं की गई थी और उन व्यापारियों को प्रपत्र अनियमित रूप से जारी किये गये जिनकी पंजीकरण स्थिति सीएसटी अधिनियम के अंतर्गत "नहीं" दर्शाई गई थी।

2.29.4 **कर्नाटक** में 25 अप्रैल 2009 से नई प्रणाली के अंतर्गत सांविधिक प्रपत्रों को ऑन-लाईन जारी किया गया, व्यापारियों ने की गई अंतर-राज्यीय खरीद के आधार पर घोषणा प्रपत्रों के लिए ऑन-लाईन अनुरोध भेजे। सीटीडी द्वारा सत्यापन और अनुमोदन के बाद, प्रपत्रों को ऑन-लाईन जारी किया गया, जिनका प्रिंट आउट व्यापारियों ले सकते हैं और उसको संबद्ध अंतर-राज्यीय विक्रेताओं को प्रस्तुत कर सकते हैं। यह पाया गया कि सांविधिक प्रपत्रों का ऑन-लाईन प्रारूप "पीडीएफ" प्रारूप में नहीं है और ऑन-लाईन दिये गये प्रपत्र के प्रारूप में "कॉपी" का विकल्प अक्षम नहीं था, प्रणाली से व्यापारी केवल किसी वर्ड प्रोसैसिंग एप्लीकेशन से ही प्रपत्र की प्रति पा सकता है और प्रपत्र संख्या तिथि, व्यापारी नाम, खरीद चालान/बिल विवरण, राशि आदि में सुधार के बाद असीमित संख्या में प्रतियाँ ली जा सकती हैं। इस प्रणाली में इस कमी के कारण भाग लेने वाले सभी राज्यों के बीच में प्रपत्रों के प्रमाणीकरण के लिए स्वतः ऑन-लाईन तंत्र की अनुपस्थिति में फर्जी प्रपत्रों के प्रसार को बढ़ावा मिल सकता है।

2.29.5 प्रपत्रों के ऑन-लाईन जारी करने से संबंधित आंकड़ों की बैक इंड तालिका की नमूना जाँच ने दर्शाया कि 9969 मामलों में विभाग ने एक ही खरीद चालान, तिथि और राशि पर "सी" प्रपत्र जारी किए हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि आवेदन प्रणाली में व्यापारी को एकल अंतर-राज्यीय खरीद पर एक से अधिक घोषणा प्रपत्रों को प्राप्त करने से रोकने के लिए आवश्यक नियंत्रणों का अभाव है। इसके अतिरिक्त, मैनुअल प्रणाली के अंतर्गत यदि व्यापारी द्वारा असावधानी से एक चालान को एक से अधिक प्रपत्रों में दर्शाये जाने पर उस प्रपत्र को रद्द करने की सुविधा थी। ऑन-लाईन प्रणाली के अंतर्गत सीटीडी के अनुमोदन के बाद व्यापारी प्रपत्र को रद्द करने के अवसर से वंचित हो जाता है।

2.30 प्रति सत्यापन के अन्य तंत्र

2.30.1 चूंकि प्रस्तुत तथ्य से यह स्पष्ट है कि टिनएक्सिस डाटाबेस अपूर्ण और अविश्वसनीय है, जैसा कि पूर्वोक्त पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, विकल्पीय तंत्र द्वारा लेन-देन के प्रति-सत्यापन का महत्व काफी बढ़ जाता है। यह केवल प्रति-सत्यापन के लिए एक विंग की स्थापना या निर्धारण अधिकारी के लिए प्रपत्रों के कुछ प्रतिशत का सत्यापन अनिवार्य कर किया जा सकता है। टिनएक्सिस को प्रभावी बनाने के लिए प्रयास किये जाने आवश्यक है।

2.31 एक प्रवर्तन विंग का निर्माण

2.31.1 **असम, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणीपुर, सिक्किम और त्रिपुरा** में हमने देखा कि कराधान विभाग ने नकली/अवैध/अप्रचलित घोषणा प्रपत्रों के उपयोग के मामलों की जांच करने/संबंधित कार्य करने वाली और विभिन्न राज्यों के लेन-देन के प्रति सत्यापन करने वाले विभाग की सहायता के लिए कोई प्रवर्तन/अंतर-राज्यीय जांच विंग नहीं बनाई गई है। घोषणा प्रपत्र, जो प्रथम दृष्टया दोषपूर्ण/अवैध/नकली होते हैं, के प्रति सत्यापन की केन्द्रीय प्रणाली के अभाव में विभाग के लिए अवैध/अप्रचलित/नकली घोषणा प्रपत्रों के उपयोग द्वारा दर करों में छूट/रियायत के अनियमित दावों को प्रभावी ढंग से निपटाना मुश्किल हो जाता है।

2.31.2 **आंध्र प्रदेश** में हमने पाया कि प्रपत्रों के प्रति सत्यापन के लिए भेजी गई टीमों में सांविधिक प्रपत्रों से संबंधित अधिकारी ही होते हैं। प्रपत्र जारी करने वाले प्रभाग से ही अधिकारियों की टीम तैयार करने की प्रथा हितों के टकराव के जोखिम से अंतर्ग्रस्त है।

2.31.3 जून 1991 में सीसीटी के आदेशानुसार **बिहार** में "सी" और "एफ" घोषणा प्रपत्रों के सत्यापन के लिए मुख्यालय स्तर पर "जांच ब्यूरों" (आई बी) के अंतर्गत एक सत्यापन सेल बनाई गई थी। घोषणा प्रपत्रों से संबंधित प्रासंगिक जानकारी मुख्यालय के आईबी विंग को सर्किल द्वारा भेजी जानी थी और प्रपत्रों के साथ उनके परिणामों के प्रति सत्यापन संबंधी जानकारी का रिकार्ड एक रजिस्टर में दर्ज किया जाना था जो इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने जनवरी 2006 में एक निर्देश जारी किया कि व्यापारी तीन प्रतियों में प्रपत्रों की उपयोग/मांग कथन प्रस्तुत करेंगे। एक प्रति व्यापारी के संबंधित फोल्डर में, दूसरी प्रति व्यापारी के निर्धारण रिकार्ड में रखी जानी थी और तीसरी प्रति सत्यापन के लिए केन्द्रीय आईबी विंग में भेजी जानी थी।

2.31.4 आईबी विंग मुख्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2006-10 की समयावधि के दौरान न तो सर्किल द्वारा उन्हें घोषणा प्रपत्रों को सत्यापन के लिए भेजा गया और न ही उसकी माँग की। इसलिए, जहाँ तक प्रपत्रों के सत्यापन का संबंध है आईबी विंग के निर्माण के उद्देश्य अपूर्ण रहे। हमने पाया कि सर्किल द्वारा आईबी विंग मुख्यालय को भेजे गये घोषणा प्रपत्रों को सत्यापन के लिए भेजने की अवधि और परिमाण (मात्रा) निर्देशित नहीं की गई थी।

2.31.5 2006-10 की समयावधि के दौरान, आईबी विंग ने, अन्य राज्यों से सत्यापन के लिए 5,522 "सी" प्रपत्र और 1,598 "एफ" प्रपत्र प्राप्त किये। तथापि, मुख्यालय आईबी विंग ने इनमें कोई भी प्रपत्र सत्यापित नहीं किया था; इसके विपरीत इनको संबंधित सर्किल को इस निर्देश के साथ सत्यापन के लिए भेज दिया कि वे अन्य राज्यों के संबंधित कार्यालयों को परिणामों को सीधे भेज दें। इससे इंगित होता है कि आईबी विंग केवल सर्किल को प्रपत्र भेजने के लिए मध्यस्थ का कार्य कर रही थी।

2.31.6 इसके अतिरिक्त हमने पाया कि 1991 के पूर्वोक्त परिपत्र के अनुसार आईबी विंग द्वारा प्रपत्रों की जानकारी का रिकार्ड रखने के लिए कोई रजिस्टर नहीं बनाया गया। इसलिए यह स्पष्ट है कि घोषणा प्रपत्रों के सत्यापन संबंधी मामलों में मुख्यालय आईबी विंग अप्रभावी था।

2.31.7 **पश्चिम बंगाल** में, निदेशालय में एक अतिरिक्त सीसीटी के नियंत्रण के अंतर्गत एक अंतर-राज्यीय सत्यापन सेल है। विभिन्न अन्तर-राज्य लेन-देनों के दावों की वास्तविकता के सत्यापन के उद्देश्य से अक्टूबर 2004 से इस सेल ने कार्य करना आरंभ किया। पश्चिमी बंगाल में विभिन्न प्रभारों से प्राप्त मांग पत्रों के आधार पर, सेल अंतर-राज्यीय लेन-देनों के दावों जैसे स्टॉक हस्तांतरण, क्रय, विक्रय माल बिक्री, अनुवर्ती बिक्री आदि की प्रामाणिकता की जांच करती है। विभिन्न राज्यों से "सी" और "एफ" प्रपत्रों की वास्तविकता तथा उनके व्यावसायियों द्वारा पश्चिम बंगाल के व्यावसायियों के साथ दावा किये गये लेन-देनों की प्रामाणिकता की जाँच के मांग-पत्र इसी सेल द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। प्रभारों या राज्यों से सत्यापन प्राप्त होने पर वे सत्यापन के मांग-पत्र भेजने वाले प्रभारों या राज्यों को भेज दिये जाते हैं।

2.31.8 हमने पाया कि विभिन्न प्रभारों और अन्य राज्यों से "सी" और "एफ" प्रपत्रों के सत्यापन के मांग-पत्र की प्राप्त होने पर, सत्यापन सेल प्राप्ति रजिस्टर में मांग-पत्रों के ब्यौरे रिकार्ड करते हैं। सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सेल उन्हीं प्रविष्टियों को प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज करती है। सेल प्रभारों और राज्यों को सत्यापन के लिए भेजे गये मांग-पत्रों के ब्यौरे को एक निर्गम रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। संबंधित प्रभारों और राज्यों से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर सेल निर्गम रजिस्टर में सत्यापन रिपोर्ट के ब्यौरे दर्ज करती है।

2.31.9 सेल द्वारा बनाये गये रजिस्टर और फोल्डरों की जांच से हमने पाया किः

- 2007-08 से 2009-10 की समयावधि के दौरान, सेल ने 913 "सी" और "एफ" प्रपत्रों के सत्यापन हेतु मांग-पत्र प्राप्त की, संबंधित प्रभारों और राज्यों (पश्चिमी बंगाल को छोड़कर) को 1,104 मांग-पत्र जारी किये, 47 सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त की और 113 सत्यापन रिपोर्ट जारी की। इस प्रकार, सत्यापन के लिए भेजे गये मांग-पत्रों की अपेक्षा प्राप्त सत्यापन रिपोर्टों की संख्या कम थी।

- प्राप्त और सत्यापित घोषणा पत्रों के संबंध में सेल ने कोई डाटाबेस तैयार नहीं किया, जिसके अभाव में एक वर्ष में प्रभारों और अन्य राज्यों से प्राप्त घोषणा पत्रों की संख्या और सत्यापन की स्थिति जैसी जानकारियाँ प्रस्तुत करने में असमर्थ थी। सेल द्वारा बनाये गये फोल्डरों की जांच पर हमने पाया कि अप्रैल 2007, अप्रैल 2008 और अप्रैल 2009 महीनों के दौरान सत्यापन सेल ने "सी" और "एफ" प्रपत्रों संबंधी लेन-देनों के सत्यापन के लिए अन्य राज्यों को 58 मांग-पत्र जारी किये। तथापि सेल ने केवल 4 सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त की। हमने पाया कि 54 मांग-पत्रों के संबंध में सत्यापन रिपोर्ट के प्राप्त न होने की स्थिति में राज्यों को कोई अनुस्मारक जारी नहीं किया गया।

- सेल द्वारा मांग-पत्रों की प्राप्ति और निपटान से संबंधित आवधिक रिपोर्ट या रिटर्न के प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश सीसीटी द्वारा नहीं दिये गये थे। परिणामतः सीसीटी द्वारा सेल के निष्पादन पर निगरानी नहीं रखी जा सकती थी।

- घोषणा प्रपत्रों में अनियमितताओं के पता लगाने के बाद संबंधित प्रभारी कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही पर सेल द्वारा निगरानी रखने तथा संबंधित प्रभारी कार्यालय को सूचित करने की कोई प्रणाली नहीं थी।

2.31.10 **तमिलनाडु** में 1 अप्रैल 1975 को एक अंतर राज्य जांच सेल (आईएसआईसी) की स्थापना की गई। यह सेल 1987 से वाणिज्यिक कर आयुक्त के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अंतर्गत उप आयुक्त (अब संयुक्त आयुक्त) के साथ स्वतंत्र कार्य कर रही है। आईएसआईसी के कार्यो में निम्नलिखित कार्य शामिल हैंः

- अंतर-राज्यीय व्यापार में लेन-देन की जांच और निरीक्षण;
- व्यापारियों (जिसमें राज्य के बाहर स्थित जिसमें एजेंट और शाखाएं शामिल हैं) के अस्तित्व और उनके द्वारा माल की वास्तविक प्राप्ति, भंडारण और बिक्री का सत्यापन;
- अन्य राज्यों से प्राप्त घोषणा प्रपत्रों की विश्वसनीयता का सत्यापन; और
- राज्य के बाहर अंतर-राज्यीय निर्धारण अधिकारियों द्वारा संदर्भित बिक्रियों, माल की बिक्री या शाखा स्थानांतरण जैसे संदिग्ध मामलों की जांच करना।

2.31.11 आईएसआईसी द्वारा अंतर-राज्यीय लेन-देनों के मामले सत्यापन हेतु दूसरे राज्यों के वाणिज्यिक कर विभाग तथा तमिलनाडु के निर्धारण सर्कलों में "सार सत्यापन" (ईवीज़) के रूप में भेजे जाते है। अन्य राज्यों से प्राप्त किये गए "सार सत्यापन" को आईएसआईसी द्वारा संबंधित निर्धारण सर्कलों में भेजा जाता है तथा सत्यापन का निष्कर्ष संबंधित राज्यों को सूचित किया जाता है। इसी प्रकार, राज्य में निर्धारण सर्किल द्वारा भेजे गये अंतर-राज्यीय लेन-देनों को अन्य राज्यों की जांच विंग्स को सत्यापन के लिए आगे भेज दिया जाता है। कुछ मामलों में, आईएसआईसी के अधिकारी भी लेन-देनों की वास्तविकता की जांच के लिए अन्य राज्यों का दौरा कर रहे हैं।

2.31.12 अप्रैल 2006 से मार्च 2010 की समयावधि के दौरान आईएसआईसी ने 5,919 ईवीज़ को निपटाया था। इसमें सत्यापन के लिए प्राप्त दोनों आंतरिक और बाह्य सार[4] शामिल थे। प्रति वर्ष के निपटाये गये आतंरिक और बाह्य सारों तथा अंतर्ग्रस्त धन मूल्य के पृथक विवरण लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध नहीं कराये गये।

2.31.13 2006-07 से 2009-10 वर्षों के दौरान आईएसआईसी द्वारा निपटाये गये मामलों का विवरण आगे तालिका में दिया गया हैः-

---

4 **आंतरिक सार :** तमिलनाडु में जांच के लिए अन्य राज्यों से प्राप्त अन्य राज्यों में व्यापारियों द्वारा किये गये लेन-देनों के ब्यौरों का सार।

बहिगम्यता सार : अन्य राज्यों के व्यापारियों के साथ तमिलनाडु के व्यापारियों द्वारा किये गये लेन-देनों के ब्यौरों का सार जोकि सम्बद्ध राज्यों के साथियों को जांच के लिए भेजा गया।

वर्ष	आद्यशेष	प्राप्त ईवीज़ की संख्या	कुल	निपटाई गई ईवीज़ की संख्या	अंतशेष	निपटान का प्रतिशत
2006-07	1942	1576	3518	1594	1924	45.30
2007-08	1924	1228	3152	1523	1629	48.31
2008-09	1629	1776	3405	1506	1899	44.22
2009-10	1899	1730	3629	1296	2333	35.71

31 मार्च 2010 तक निष्कर्षों के सत्यापन की लंबित स्थिति तालिका में आगे दी गई है:

लंबित	ईवीज़ की संख्या	लंबित प्रतिशत	राजस्व (₹ करोड़ में)
छः महीनों से कम	627	26.87	290.17
छः महीनों और ज्यादा परंतु एक वर्ष से कम	405	17.36	214.66
एक वर्ष और ज्यादा परंतु दो वर्षो से कम	641	27.47	96.13
दो वर्षो और ज्यादा	660	28.33	113.95
कुल			**714.91**

वाणिज्यिक कर आयुक्त ने न तो "सार सत्यापन" के लक्ष्य और न ही मामलों को निपटाने की समय सीमा निर्धारित की थी।

2.31.14 **ओडिशा** में हमने पाया कि 2007-08 से 2009-10 की समयावधि के दौरान, प्रवर्तन विंग (ईडब्ल्यू) ने प्रति-सत्यापन के लिए अन्य राज्यों से 556 घोषणा प्रपत्र (सी:383 और एफ:173) प्राप्त किये। इसके अतिरिक्त हमने पाया कि प्रवर्तन रेंजों (ईआरज़) को इन घोषणा प्रपत्रों के ब्यौरे भेजते समय, ईडब्ल्यू ने प्रति सत्यापन को पूरा करने का कोई समय निर्धारित नहीं किया था। ऐसे किसी निर्देश के अभाव के कारण, संबंधित सर्किल को भेजे गये 556 प्रपत्रों में से केवल 35 "सी" प्रपत्रों के सत्यापन परिणाम ही ईडब्ल्यू को भेजे थे। बाकी 521 घोषणा प्रपत्रों के सत्यापन की स्थिति का ब्यौरा ईडब्ल्यू के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं था। हमने यह भी पाया कि प्रपत्र जारी करने वाले व्यापारियों के कतिपय क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करने हेतु वैट सूचना प्रणाली के रिकार्ड/डाटाबेस का संदर्भ नहीं लिया गया था। परिणामतः हमने पाया कि अप्रैल 2008 और फरवरी 2010 के बीच 10 घोषणा प्रपत्रों के विवरण प्रवर्तन रेंजों, जिसके क्षेत्राधिकार से प्रपत्रों को जारी नहीं किया गया था, को भेजा गया और इसलिए अक्टूबर 2011 तक ईडब्ल्यू द्वारा सत्यापन के परिणाम प्राप्त नहीं किये गये थे। इसके अलावा हमने पाया कि 2007-08 से 2009-10 वर्षों के दौरान ईडब्ल्यू ने कोई नकली प्रपत्र नहीं पाया जबकि हमें ऐसे कई मामलें ओडिशा से मिले जहाँ नकली प्रपत्रों को ओडिशा से जारी किया गया या उस राज्य में विक्रेता व्यावसायियों द्वारा उनका उपयोग किया गया था।

2.31.15 **महाराष्ट्र** में विभाग में एक अंतर-राज्यीय प्रति-सत्यापन सेल अस्तित्व में है। अगस्त 2008 तक, यह सेल प्रवर्तन शाखा के अंतर्गत कार्य कर रही थी। सितम्बर 2008 से, इस सेल का कार्य सेल्ज़टैक्स (महाविकास), मुम्बई के संयुक्त आयुक्त के अंतर्गत कर दिया गया था। इस सेल में, बिजनैस

लेखा परीक्षा/धन वापसी लेखापरीक्षा (बीए/आरए) के दौरान चुने गये अंतर-राज्यीय लेन-देनों के घोषणा प्रपत्रों से संबंधित मामले, जो टिनएक्सिस से सत्यापित नहीं किये जा सके, को प्राप्त किया जाता है। यह सेल टिनएक्सिस से भेजे गये मामलों की दोबारा जांच करती है और संदिग्ध मामलों को प्रति-सत्यापन के लिए अन्य राज्यों को भेज दिया जाता है।

2.31.16 सेल से प्राप्त जानकारी ने यह बताया कि बीए/आरए/बड़े करदाताओं की यूनिट (एलटीयू) विंगों के लिए घोषणा प्रपत्रों पर अंतर-राज्यीय लेन-देनों के चयन संबंधी मामलों के लिए कोई मानदंड विभाग द्वारा नहीं बनाया गया। ऐसे मानदंड या जांच की प्रतिशतता के अभाव में, प्रति सत्यापन की हद केवल निर्धारण अधिकारी के विवेक पर ही आधारित है। इसके अतिरिक्त, सेल को स्वयं कोई मामला चुनने की आवश्यकता नहीं थी परंतु यह केवल बीए/आरए/एलटीयू विंग्स से संदर्भित मामलों पर निर्भर थी।

2.31.17 सितम्बर 2011 तक, बीए/आरए/एलटीयू विंग से सेल में प्रति सत्यापन के लिए कुल 713 मामले (कई "सी" और "एफ" घोषणा प्रपत्र संबंधी मामले) प्राप्त किये गये जिनमें से 606 मामले अन्य राज्यों को सत्यापन के लिए भेज दिये गये। बीए/आरए/एलटीयू विंग्स से प्राप्त 606 मामले सत्यापन के लिए अन्य राज्यों की सीटीडीज़ को भेज दिये गये थे। इसके अलावा प्रति सत्यापन के लिए अन्य राज्यों से प्राप्त 439 मामलों में से 314 मामले सत्यापन के लिए राज्य के संबंधित निर्धारण अधिकारी को भेजे गये थे। सितम्बर 2008 से जुलाई 2011 तक, सेल ने 337 फर्जी "सी" प्रपत्र और 203 फर्जी "एफ" प्रपत्र प्राप्त किये। इन प्रपत्रों को या तो राज्य में सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित शाखा में या संबंधित राज्य की सीटीडी में भेज दिया गया। की गई सुधारात्मक कार्रवाई या प्राप्त राजस्व से संबंधित कोई जानकारी सेल के पास उपलब्ध नहीं थी। दूसरे राज्यों से प्राप्त घोषणा प्रपत्रों के सत्यापन तथा कर से बचने के लिए की गई फर्जी बिक्री की स्थिति रिपोर्ट हमारे अनुरोध के बावजूद भी उपलब्ध नहीं (अक्टूबर 2011) कराई गई।

2.32 सत्यापन न करने के परिणाम

2.32.1 हमारे अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि अनिवार्य प्रति सत्यापन के लिए बहुत से राज्यों द्वारा निर्देश जारी नहीं किये गये जबकि कुछ राज्यों में, हालांकि निर्देश मौजूद हैं परंतु उन्हें व्यवहार में नहीं लाया गया। कुछ चुनिंदा राज्यों की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित पैराग्राफ में दी गई हैः

2.32.2 **राजस्थान** में सीसीटी, परिपत्र संख्या एफ 16(57) कर/वैट/सीसीटी/08/64 दिनांक 24.04.2008 द्वारा 26 सितम्बर 2005 के बाद हुए कर की रियायती दरों के लिए "सी" प्रपत्रों द्वारा समर्थित सभी लेन-देनों के सत्यापन करने और व्यापारी के निर्धारण रिकार्ड में इस सत्यापन का रिकार्ड रखने के निर्देश जारी किए। तथापि दो सीटीओज़ चित्तौड़गढ और "सी" उदयपुर के रिकार्ड की नमूना जांच करते समय हमने पाया कि इस बात को साबित करने के कोई सहायक दस्तावेज फाईल पर नहीं थे कि क्या निर्धारण अधिकारी ने ₹ 19.12 करोड़ की अंतर-राज्यीय विक्रय राशि, जिस पर ₹ 1.14 करोड़ के कर की रियायत की अनुमति दी गई थी, के लिए सीएसटी घोषणा प्रपत्रों का सत्यापन किया था।

2.32.3 **ओडिशा** में "सी" और "एफ" प्रपत्र में घोषणाओं के दुरूपयोग और अन्य कई संबंधित कदाचारों की जांच के लिए, सभी निर्धारित अधिकारियों को ये निर्देश सीसीटी द्वारा जारी किये गए (अक्टूबर 1972 तथा दिसम्बर 1977) कि वह अन्य राज्यों से प्राप्त और राज्य के व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये घोषणा प्रपत्रों का एक निश्चित प्रतिशत तय करे जो प्रति-सत्यापन के लिए संबंधित राज्य के निर्धारण अधिकारियों को संदर्भित किया जाए। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक सर्कल और आकलन यूनिट को दो रजिस्टर नियत प्रारूप में बनाना अपेक्षित है, एक अन्य राज्यों से प्राप्त "सी" घोषणा प्रपत्रों के लिए और दूसरा, दूसरे राज्यों को सत्यापन के लिए भेजे गये "सी" घोषणा प्रपत्रों के लिए।

2.32.4 सर्किल की नमूना जांच के रिकार्ड की जांच के दौरान, हमने पाया कि सर्किल ने न तो अन्य राज्यों से घोषणा प्रपत्रों के सत्यापन के लिए नियत रजिस्टर बनाये न ही इसका कोई सबूत था कि उन्होंने समयावाधि 2007-08 से 2009-10 के दौरान किये गये निर्धारण को अंतिम रूप देते समय जिन प्रपत्रों को स्वीकृत किया गया था उनके विवरण अन्य राज्यों के संबंधित विभागों को वास्तविकता को प्रमाणित करने के लिए प्रेषित किया गया था। निर्धारण अधिकारियों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को घोषणा प्रपत्रों के प्रति-सत्यापन संबंधित आवधिक रिपोर्टो/रिटर्नों को प्रस्तुत करने की कोई भी प्रणाली नहीं थी। इसलिए, विभाग में दोषपूर्ण/नकली घोषणा प्रपत्रों की वास्तविकता का पता लगाने के लिए तंत्र का अभाव था। इसलिए प्रतिसत्यापन, यदि कोई किया गया था, उसकी तथ्यात्मक स्थिति से सीसीटी अनभिज्ञ था।

2.32.5 सीटी, **असम** ने मई 2000 में यह निर्देश दिये कि सभी निर्धारण अधिकारियों को आंकड़ों/सूचनाओं का उचित प्रति-सत्यापन करने के बाद सीएसटी निर्धारणों को अंतिम रूप देना चाहिए। हमने पाया कि विभाग ने निर्धारण अधिकारियों द्वारा इस निर्देश के अनुपालन की निगरानी के लिए किसी भी प्रणाली को शुरू नहीं किया गया। न ही नियमित अंतरालों पर घोषणा प्रपत्रों के प्रति-सत्यापन के लिए कोई प्रणाली और न ही निर्धारण अधिकारियों द्वारा घोषणा प्रपत्रों को स्वीकार करते समय सत्यापन योग्य बिंदुओं की जांच सूची को अधिसूचित किया गया था। हमने पाया कि हमारे द्वारा जांचे गये यूनिट कार्यालयों के कोई भी निर्धारण अधिकारी छूट/रियायत की अनुमति देने से पहले टिनएक्सिस वेबसाईट पर उपलब्ध जानकारी की पुष्टि नहीं कर रहे थे।

2.32.6 **दिल्ली** में जून 2005 में जारी किये गये निर्देशों से प्रावधान किया गया कि केन्द्रीय घोषणा प्रपत्रों के आधार पर किये गये बड़े मूल्यों के लेन-देन दावों के मामले में, प्रपत्रों की वास्तविकता की पुष्टि संबंधित प्रवर्तन शाखा के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रपत्र जारीकर्त्ता अधिकारी से या वार्ड में पद स्थापित अधिकारियों को विभिन्न स्थलों पर भेजकर अवश्य की जानी चाहिए और जोनल डीसीज़/जेसीज़ द्वारा साप्ताहिक रूप से निर्देशों के अनुपालन पर नजर रखनी अपेक्षित थी। तथापि, अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान प्रपत्रों के प्रति किये गये लेन-देनों के प्रति-सत्यापन की प्रक्रिया संबंधी आवधिक रिपोर्ट निर्धारण अधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारियों तक रिपोर्ट करने के लिए कोई प्रणाली विभाग ने निर्धारित नहीं की गई थी।

2.32.7 इसके अतिरिक्त दिसम्बर 2007 में जारी किये गये निर्देशों ने सुझाया कि सभी निर्धारण अधिकारियों द्वारा अन्य राज्यों से प्राप्त सांविधिक केन्द्रीय प्रपत्रों तथा डीवैट 51 की पुष्टि टिनएक्सिस से की जानी चाहिए, जिसके लिए सभी जोनल उपायुक्तों को अधिकार दिये गये थे और यदि टिनएक्सिस पर ऐसे प्रपत्रों का विवरण उपलब्ध नहीं होता था, तो प्रपत्रों की जांच संबंधित जारीकर्ता अधिकारी द्वारा करवायी जानी चाहिए थी। तथापि, अन्य राज्यों के जारी करने वाले अधिकारियों के रिकार्ड के साथ-साथ, व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये घोषणा प्रपत्रों के प्रति सत्यापन संबंधी कोई जानकारी विभाग के पास उपलब्ध नहीं थी।

2.32.8 **तमिलनाडु** में बोडीनायकनुर निर्धारण सर्कल में हमने पाया कि वर्ष 2004-05 और 2005-06 में 13 व्यापारियों के निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, अप्रैल 2007 और दिसम्बर 2007 के बीच निर्धारण अधिकारियों ने व्यापारियों द्वारा फाईल किये गये 114 "एफ" घोषणा प्रपत्रों पर अन्य राज्यों को इलायची स्टॉक के हस्तांतरण के ₹ 88.84 करोड़ टर्नओवर पर छूट की अनुमति दी गई। कई बार छूट, लेन-देनों की वास्तविकता की पुष्टि किये बिना दी गई, इलायची की खेप की बिक्री फर्जी साबित कर दी गई। तथापि, निर्धारण अधिकारियों ने संयुक्त आयुक्त (प्रवर्तन) मदुरै द्वारा सत्यापन के लिए अंतर-राज्यीय जांच सेल (आईएएआईसी) को जून 2008 में केवल "एफ" प्रपत्रों की घोषणाओं के विवरण को अग्रेषित किया। लेखापरीक्षण की एक स्वतंत्र जांच ने यह दर्शाया कि इस संदर्भ में जेसी (प्रवर्तन) मदुरै द्वारा ऐसा संदर्भ प्राप्त नहीं किया गया। लेन-देनों की उपयुक्तता की पुष्टि किये बिना निर्धारण अधिकारी द्वारा छूट देने की कार्रवाई, जबकि पिछले वर्षों में विशेष रूप से ऐसे लेन-देनों में फर्जी पाई गई थी, से व्यापारियों को अनायास ही लाभ प्राप्त हुआ।

2.32.9 **गोवा** में पांच वार्ड कार्यालयों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि व्यापारियों का निर्धारण करते समय निर्धारण अधिकारी घोषणा-प्रपत्रों को टिनएक्सिस की वेबसाईट के साथ प्रति-सत्यापित नहीं करते थे या कुछ प्रपत्रों को प्रत्यक्ष जाँच के लिए सम्बंधित राज्य के पास दोतरफा जाँच के लिए नहीं भेजा जाता था जिससे प्रपत्रों और व्यापारियों द्वारा अपने रिटर्नो में अन्तर्राज्यीय बिक्री और ब्रांच स्थानान्तरण में माफी/कर में छूट के दावों की सत्यता को सुनिश्चित किया जा सके।

2.32.10 टिनएक्सिस या किसी अन्य तंत्र द्वारा दोतरफा जाँच न करने के कारण सीटीडीज जाली प्रपत्रों, छलयोजित प्रपत्रों, अपंजीकृत व्यापारियों द्वारा उपयोग किए गए प्रपत्रों और कर के अपवंचन का पता लगाने में असफल रही, जैसा कि अध्याय III और IV में दर्शाया गया है, जिसका हमने विक्रेता और क्रेता दोनों व्यापारियों की दोतरफा जांच में पता लगाया था। हमने यह भी देखा कि कई मामलों में विक्रेता व्यापारियों द्वारा दर्शाए गए आँकड़ों तथा क्रेता व्यापारियों द्वारा उनके उपयोग प्रमाणपत्र/सी/एफ प्रपत्रों के प्रतिपत्रकों में दिखाए गए आँकड़ों के अन्तर पर दोतरफा जाँच न होने के कारण कोई ध्यान नहीं दिया गया जैसाकि आगामी पैराग्राफों मे वर्णन किया गया हैं।

2.33 विक्रेता व्यापारी और क्रेता व्यापारी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में भिन्नता

2.33.1 विक्रेता व्यापारी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र "सी "/एफ " की दोतरफा जाँच क्रेता व्यापारी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के प्रतिपत्रक/उपयोगिता विवरण के साथ करने पर हमने पाया कि कई मामलों में विक्रेता व्यापारी के द्वारा प्रस्तुत किए गए बिक्री के आंकड़े क्रेता व्यापारी द्वारा दिखाए गए खरीद सम्बंधी आंकड़ों से तुलनात्मक रूप से कम थे या इसके उलट इन मामलों में संभावना थी कि (क) विक्रेता व्यापारी ने माल की बिक्री/हस्तांतरण को दबा दिया और माल को राज्य में ही स्थानीय रूप से बेच दिया (ख) क्रय व्यापारी ने खरीद को छुपाया और कर अपवंचन से इंकार नहीं किया जा सकता। यह घोषणा प्रपत्रों में आंकड़ों के साथ छेड़-छाड़ की ओर संकेत करता है। टीनएक्सिस के माध्यम से या सुदृढ़ दोतरफा जाँच के माध्यम से दोतरफा जाँच में प्रणाली के अभाव, ने ऐसी परिस्थियों को बढ़ावा दिया है। सीटीडीज को ऐसे मामलों की जाँच कराने की आवश्यकता है जिससे लेन देनों की सटीक प्रकृति और मूल्य तथा सम्भावित कर के अपवंचन को निर्धारित किया जा सके।

कुछ मामले सोदाहरण नीचे दिए गए हैं:

2.33.2 **सिक्किम** में दोतरफा जाँच ने उजागर किया कि दो "एफ " प्रपत्रों के मामले में विक्रय व्यापारी द्वारा दिखाई गई राशि, विक्रेता व्यापारियों द्वारा दिखाई गई राशि से कम थी जैसाकि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

जारीकर्ता राज्य का नाम	निर्धारण वर्ष	"एफ" प्रपत्र सं.	जारीकर्ता व्यापारी द्वारा हस्तांतरित दिखाई गई राशि (₹ में)	लाभकारी/निर्धारण व्यापारी द्वारा हस्तांतरित दिखाई गई राशि (₹ में)	राशि में भिन्नता (₹ में)
उत्तराखण्ड	2008-09	डी 049183	818084	414220	403864
मणिपुर	2008-09	एस 015779	247896	226578	21318
कुल			1065980	640798	425182

2.33.3 एक अन्य मामलें में, मै. सी जी फूड्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, रैंगपो द्वारा उपयोग किए गए "एफ " प्रपत्रों की दोतरफा जाँच में पता चला कि 23 "एफ" प्रपत्रों में उस व्यापारी ने ₹ 3.23 करोड़ मूल्य का स्टॉक हस्तांतरण दिखाया जबकि दोतरफा जाँच से सामने आया कि कथित "एफ " प्रपत्रों के प्रति सम्बंधित राज्य के जारीकर्ता व्यापारियों ने ₹ 1.37 करोड़ की स्टॉक प्राप्ति दर्शायी थी। विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

(₹ लाख में)

जारीकर्त्ता राज्य	निर्धारण वर्ष	"एफ" प्रपत्र सं.	लाभकारी/निर्धारित व्यापारी द्वारा हस्तांतरित दिखाई गई राशि (₹ में)	जारीकर्ता व्यापारी द्वारा हस्तांतरित दिखाई गई राशि (₹ में)	राशि में भिन्नता (₹ में)
मिजोरम	2007-08	1	19.23	14.85	4.37
	2008-09	4	127.10	94.47	32.63
मणिपुर	2007-08	7	42.94	6.11	36.83
	2008-09	11	133.82	21.80	112.02
कुल		23	323.09	137.23	185.85

2.33.4 **हरियाणा** में निर्धारण अधिकारी रेवाड़ी, के नियंत्रण के अन्तर्गत एक विक्रेता व्यापारी के निर्धारण अभिलेखों की दोतरफा जाँच तमिलनाडु के एक व्यापारी द्वारा अन्तर्राज्यीय खरीद द्वारा प्राप्त किए गए माल के घोषणा प्रपत्रों के उपयोग खाते से करने के बाद पता चला कि उस व्यापारी द्वारा निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए ₹ 1.33 करोड़ की राशि के अन्तर्राज्यीय ब्रिकी पर सीएसटी की रियायत दर लगायी गई (फरवरी 2010) जबकि, तमिलनाडु के खरीद व्यापारियों ने उसी प्रपत्र पर ₹ 4.21 करोड़ की खरीद को दिखाया।

2.33.5 **बिहार** के छः सर्कलों में हमने देखा कि आठ व्यापारियों ने वर्ष 2006-10 की अवधि के दौरान ₹ 5.82 करोड़ की विभिन्न वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय खरीद को दिखाया और पांच राज्यों (असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के व्यापारियों द्वारा जारी 15 "सी" घोषणा प्रपत्रों द्वारा इसकी पुष्टि की। इन राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये घोषणा प्रपत्र ₹ 13.90 करोड़ के माल की खरीद के लिए जारी दिखाए गए।

2.33.6 इसके अतिरिक्त सात सर्कलों में हमने देखा कि वर्ष 2006-10 की अवधि के दौरान 12 व्यापारियों ने "सी" और "एफ" प्रपत्रों की घोषणाओं के बल पर ₹ 9.10 करोड़ की छूट/ रियायत प्राप्त की/ दी गई। लेकिन दोतरफा जाँच से पता चला कि आठ राज्यों (छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के सम्बंधित सर्कलों में प्रस्तुत उपयोग विवरण के अनुसार ये घोषणा प्रपत्र सिर्फ ₹ 5.30 करोड़ के लिए जारी किए गए थे।

2.33.7 **गुजरात** में सीटीडी गुजरात के अधीन पंजीकृत 12 विक्रेता व्यापारियों जिनका निर्धारण मई 2008 तथा मार्च 2010 के बीच किया गया था, के रिकार्ड की जाँच में हमने पाया कि उन्होंने 19 "सी" प्रपत्रों के आधार पर ₹ 1.72 करोड़ मूल्य के माल की अन्तर्राज्यीय बिक्री दिखाई। तथापि, क्रेता व्यापारियों द्वारा ऐसे लेने-देनों का मूल्य ₹ 2.44 करोड़ दिखाया गया था। हालांकि जुलाई 2007 और फरवरी 2010 के बीच निर्धारण किए गए गुजरात के तीन व्यापारियों (प्रेषक) के मामले में जिन्होंने 17

"एफ" प्रपत्रों के अन्तर्गत प्राप्तकर्ता, जो एजेन्ट या मालिक है, को ₹ 7.07 करोड़ मूल्य के माल के ब्रांच हस्तांतरण का दावा किया, हमने पाया कि इन प्रपत्रों के आधार पर प्राप्तकर्ता ने अपने लेखाओं में लगभग ₹ 2.19 करोड़ के अन्तर्राज्यीय हस्तांतरण को दिखाया।

2.33.8 **झारखण्ड** में राज्य के पांच वाणिज्यिक सर्कलों में पंजीकृत नौ व्यापारियों द्वारा बिक्री/माल हस्तांतरण के संबंध में पांच राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) से प्राप्त आँकड़ों की दोतरफा जाँच ने इंगित किया कि मार्च 2009 और मार्च 2010 के बीच व्यापारियों को 2006-08 की अवधि के दौरान ₹ 13.73 करोड़ के स्टॉक ब्रिकी हस्तांतरण पर रियायत/कर की छूट दी गई। तथापि खरीद/ प्राप्तकर्ता व्यापारी ने ₹ 38.85 करोड़ की खरीद/स्टॉक हस्तांतरण को दिखाया।

2.33.9 अन्य मामलों में जनवरी 2009 और सितम्बर 2011 के बीच खरीद/स्टॉक प्राप्ति के आँकड़ों की जाँच चार वाणिज्यिक कर सर्कल के चार व्यापारियों (निर्धारित/पुनः निर्धारित) के रिकॉर्ड के साथ करने से पता चला कि वर्ष 2006-07 और 2008-09 के दौरान व्यापारियों ने विक्रेता व्यापारियों द्वारा दर्शायी ₹ 17.42 करोड़ की ब्रिकी/स्टॉक प्राप्ति के प्रति ₹ 15.18 करोड़ की ब्रिकी/स्टॉक प्राप्ति दिखाई थी, जबकि मार्च 2009 में निर्धारित किए गए जमशेदपुर वाणिज्यिक कर सर्कल के एक मामले में एक व्यापारी के खरीद/स्टॉक प्राप्ति के आँकड़ों की दोतरफा जाँच से पता चला कि व्यापारी ने वर्ष 2004-05 के दौरान, क्रेता व्यापारी द्वारा दर्शाए गए ₹ 13.77 करोड़ की खरीद/स्टॉक प्राप्ति के प्रति ₹ 7.51 खरीद/स्टॉक प्राप्ति का कारोबार दर्शाया।

2.33.10 **असम** के 14 व्यापारियों ने एक फॉर्म "एफ" और 36 फॉर्म "सी" के अन्तर्गत ₹ 5.58 करोड़ का माल छः राज्यों (अरूणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड और त्रिपुरा) के 24 व्यापारियों को शाखा हस्तांतरण/ अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर में छूट के दावे किए। क्रेता व्यापारियों के रिकॉर्ड की दोतरफा जाँच से पता चला कि उन व्यापारियों को वास्तव में ₹ 2.36 करोड़ मूल्य के फॉर्म जारी हुए थे। इस प्रकार, विक्रेता व्यापारियों द्वारा घोषित तथा जारी करने वाले व्यापारियों द्वारा घोषित घोषणा प्रपत्रों के आँकड़ों के बीच ₹ 3.22 करोड़ का अन्तर था।

2.33.11 **ओडिशा** में हमने पाया कि छः सर्कलों में 13 व्यापारियों ने लेखाकंन में उपयुक्त फॉर्म के संदर्भ में अन्य राज्यों के क्रेता व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत मूल्य की तुलना में अप्रैल 2005 और नवम्बर 2008 के बीच भिन्न अवधियों में 15 प्रपत्र "सी" में ₹ 0.38 करोड़ तक की कम बिक्री दर्शायी थी।

2.33.12 हमने आगे पाया कि 10 सर्कलों में 20 व्यापारियों ने अप्रैल 2004 तथा मार्च 2009 के बीच भिन्न-भिन्न अवधियों के दौरान 38 घोषणा प्रपत्रों (फॉर्म 30 "सी" तथा फॉर्म 8 "एफ") के प्रति ₹ 13.56 करोड़ के कारोबार की अन्तर्राज्यीय बिक्री दर्शायी थी। तथापि, अन्य राज्यों के सम्बंधित निर्धारण अधिकारी के रिकॉर्ड के साथ उपर्युक्त फॉर्मों की जाँच में हमने देखा कि क्रेता व्यापारियों ने उपयोगिता लेखाओं में इन फॉर्मो के प्रति ₹ 9.11 करोड़ के माल की खरीद दिखाई थी।

2.33.13 **पश्चिम बंगाल** में हमने चार प्रभारी कार्यालयों में पाया कि 2005-06 तथा 2008-09 के बीच की निर्धारण अवधि के लिए पश्चिम बंगाल के चार क्रेता व्यापारियों के छः मामलों का निर्धारण करते समय निर्धारण अधिकारी ने दो राज्यों (कर्नाटक और जम्मू एवं कश्मीर) के विक्रय व्यापारियों द्वारा

प्रस्तुत घोषणा प्रपत्रों में दर्ज ₹ 40.43 लाख की बिक्री के प्रति व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत किए उपयोगिता प्रमाणपत्र के आधार पर ₹ 28.53 लाख की खरीद की अनुमति दी।

2.33.14 **हिमाचल प्रदेश** में अक्टूबर 2008 तथा जुलाई 2010 के बीच निर्धारित विक्रय व्यापारियों के चार फॉर्म "सी" की दोतरफा जाँच तीन राज्यों के क्रेता व्यापारियों के रिकॉर्ड के साथ करने पर हमने देखा कि सम्बंधित राज्यों (दिल्ली, मेघालय, उत्तराखण्ड) के निर्धारण आधिकारियों को दिए गए उनके उपयोगिता प्रमाणपत्रों में क्रेता व्यापारियों द्वारा ₹ 4.34 करोड़ की खरीद दिखाई गई, जबकि विक्रेता व्यापारियों को फॉर्म "सी" के अनुसार ₹ 55.26 लाख की छूट की अनुमति दी गई।

2.33.15 इसके अतिरिक्त निर्धारण अधिकारी नाहन द्वारा जनवरी 2010 तथा जुलाई 2010 के बीच निर्धारण वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के लिए दो व्यापारियों के निर्धारण के मामलें में हमने देखा कि व्यापारियों ने ₹ 2.03 करोड़ की अन्तर्राज्यीय बिक्री दिखाई थी जबकि दिल्ली और उत्तराखण्ड के क्रेता व्यापारियों ने उसे ₹ 2.47 करोड़ की बिक्री दर्शायी थी। अन्य 17 मामलों में, अभिलेखों की दोतरफा जाँच जैसे हिमाचल प्रदेश के खरीद व्यापारियों की निर्धारण फाईलों और उपयोगिता विवरणों की अन्य राज्यों के विक्रेता व्यापारियों से करने पर पता चला कि विक्रेता व्यापारियों द्वारा ₹ 10.18 करोड़ राशि की ब्रिकी दिखाई थी। तथापि, क्रेता व्यापारियों ने सिर्फ ₹ 2.36 करोड़ की खरीद लेखांकित की थी।

2.33.16 हमारे द्वारा सात राज्यों (दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) से एकत्र की गई सूचना के अनुसार **जम्मू और कश्मीर** में राज्य के आठ सर्कलों में पंजीकृत आठ व्यापारियों ने वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान ₹ 1.85 करोड़ मूल्य के माल की अन्तर्राज्यीय खरीद की थी। इन आँकड़ों की फॉर्म "सी" की खपत जो इन व्यापारियों द्वारा सम्बंधित क्षेत्र के निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत की गई उपभोग विवरण के साथ दोतरफा जाँच ने यह उजागर किया कि व्यापारियों ने माल की खरीद का मूल्य सिर्फ ₹ 49.56 लाख दिखाया था, जिसकी जाँच होनी चाहिए।

2.33.17 इसके अतिरिक्त, हमारे द्वारा उत्तर प्रदेश से एकत्रित आँकड़ों के अनुसार दो व्यापारियों (मै. अग्रवाल ऑयल रिफाईनरी और मै. राइट पैक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड) ने ₹ 1.28 करोड़ मूल्य के माल के स्टॉक का स्थानांतरण उधमपुर और जम्मू एवं कश्मीर के सर्कलों के दो व्यापारियों को किया था। जम्मू और कश्मीर के व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत उपभोग विवरण की आँकडों की दोतरफा जाँच से स्पष्ट हुआ कि व्यापारियों ने केवल ₹ 40.84 लाख के माल के स्टॉक की प्राप्ति दिखायी थी। इनमें से दो मामलों में एक परेषिती (मै. सूर्या ट्रेडिंग कम्पनी, उधमपुर) ने चार प्रपत्र "एफ" मै. अग्रवाल ऑयल रिफाईनरी उ.प्र. के पक्ष में प्रयोग किए, जबकि उपभोग विवरण के अनुसार प्रेषक का नाम उमा सेल्स इलाहाबाद, डी.के. इन्टरप्राईज्स, कानपुर, सिंगला ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली और कानपुर टवाईन, कानपुर था। इन सभी विभिन्नताओं की जाँच अपेक्षित है।

2.33.18 हमने जम्मू और कश्मीर में अन्य मामलें भी पाए जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

दो सर्कलों (वाणिज्यिक कर सर्कल जम्मू (जी एवं आई)) में अप्रैल 2005 और मार्च 2007 के बीच सात व्यापारियों द्वारा पांच राज्यों (छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश) के आठ

व्यापारियों को दिए गए ₹ 1.61 करोड़ मूल्य के अन्तर्राज्यीय बिक्री मूल्य का निर्धारण किया गया। सम्बंधित राज्यों के सीटीडीज के साथ आंकड़ों की दोतरफा जाँच से पता चला कि व्यापारियों ने जम्मू और कश्मीर के विक्रेता व्यापारियों को जारी आठ फॉर्म "सी" के आधार पर माल की खरीद का मूल्य ₹ 2.28 करोड़ दर्शाया था।

2.33.19 तीन सर्कलों में 12 व्यापारियों ने आठ राज्यों (दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल) के 19 व्यापारियों को ₹ 10.14 करोड़ मूल्य की बिक्री की थी। सम्बंधित राज्यों के साथ हमारी दोतरफा जाँच से पता लगा कि व्यापारियों ने उनके द्वारा राज्यों के विक्रेता व्यापारियों को जारी 22 फॉर्म "सी" के आधार पर माल की खरीद का मूल्य ₹ 5.55 करोड़ दर्शाया था।

2.33.20 जम्मू के "एल" सर्कल में तीन व्यापारियों ने दो राज्यों (गुजरात और हिमाचल प्रदेश) के तीन व्यापारियों को माल का हस्तांतरण किया था। सम्बंधित राज्यों के साथ दोतरफा जाँच से पता चला कि प्रेषक ने ₹ 9.72 लाख (11 फॉर्म "एफ") का माल हस्तांतरण दर्शाया था जिसके प्रति परेषिती ने ₹ 60.72 लाख लेखांकित किया था। ₹ 51 लाख मूल्य के माल का हस्तांतरण का अन्तर प्रपत्र "एफ" के बिना था और जिसकी जाँच अपेक्षित थी। इसके अतिरिक्त तीन सर्कलों में पाँच व्यापारियों ने छह राज्यों (गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र , ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश) के छह व्यापारियों को माल हस्तांतरित किया। सम्बंधित राज्यों की सीटीडीज के साथ आँकड़ों की दोतरफा जाँच से पता चला कि प्रेषक ने ₹ 3.03 करोड़ मूल्य के माल का हस्तांतरण दर्शाया था जिसके प्रति परेषिती ने अपनी पुस्तकों में ₹ 2.17 करोड़ लेखांकित किया था। ₹ 86 लाख के मूल्य के माल के हस्तांतरण में अन्तर की जाँच अपेक्षित है।

2.33.21 दो सर्कलों में जहां पांच व्यापारियों ने चार राज्यों (हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल) के सात व्यापारियों को बिक्री की थी, सम्बंधित राज्यों के सीटीडीज की आँकड़ों के साथ हमारी दोतरफा जाँच से पता चला कि व्यापारियों ने छूट का दावा किए गए सामान के अलावा वास्तव में माल खरीदा था। उदाहरणार्थ, दिखाई गई बिक्री "शीतल पेय" की थी जबकि खरीद व्यापारियों ने "पैकिंग सामग्री" को खरीदी गई वस्तु के रूप में दर्शाया था।

2.33.22 **उत्तर प्रदेश** में तीन निर्धारण कार्यालयों में हमने पाया कि वर्ष 2007-08 के दौरान तीन व्यापारियों ने फॉर्म "एफ" के प्रति ₹ 3.75 करोड़ मूल्य के माल का हस्तांतरण किया था। निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारियों ने ₹ 45.82 लाख की कर छूट दी थी। कर से छूट के अनुदान की यथार्थता का पता लगाने के लिए हमने परेषिती व्यापारी से सम्बंधित कार्यालयों के विवरण की जाँच की और पाया कि प्राप्तकर्ता व्यापारियों ने सिर्फ ₹ 2.61 करोड़ के माल की प्राप्ति दर्शायी थी।

2.33.23 हमने सात निर्धारण कार्यालयों में यह भी पाया कि वर्ष 2007-08 के दौरान सात व्यापारियों ने प्रपत्र "सी" के प्रति ₹ 5.40 करोड़ के माल की बिक्री घोषित की थी। निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (जनवरी 2010 और अक्टूबर 2010 के बीच) निर्धारण अधिकारी ने तीन प्रतिशत की दर से कर

की रियायती दर लगायी थी। हमारी दोतरफा जाँच से पता चला कि क्रेता व्यापारियों ने अपने खातों में केवल ₹ 97.62 लाख लेखांकित किया था।

2.33.24 **महाराष्ट्र** में मुम्बई, नासिक और थाने सर्कलों के आठ व्यापारियों के अभिलेखों की जाँच में हमने देखा कि असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के क्रेता व्यापारियों को उन राज्यों के व्यापारियों से प्राप्त किए प्रपत्र "सी" के आधार पर ₹ 9.86 करोड़ मूल्य का माल समयावधि 2004-05 से 2009-10 के बीच बेचा गया था। तथापि, इन प्रपत्रों की सम्बंधित राज्य के व्यापारियों के निर्धारण के अभिलेखों से दोतरफा जाँच से पता चला कि क्रेता व्यापारियों द्वारा सिर्फ ₹ 3.68 करोड़ का क्रय लेखा में दर्शाया गया था। इसी प्रकार, वर्ष 2003-04 के दौरान उत्तर प्रदेश के क्रेता व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र "सी" की नागपुर के विक्रेता व्यापारियों के साथ दोतरफा जाँच से पता चला कि क्रेता व्यापारी ने लोहा और स्टील खरीदने के लिए ₹ 1.02 करोड़ मूल्य का एक प्रपत्र "सी" प्रपत्र जारी किया था। तथापि, सीटीडी, उत्तर प्रदेश से प्राप्त जाँच के परिणाम से पता चला कि क्रेता व्यापारी ने ₹ 7.74 लाख का क्रय लेखांकित किया था।

2.33.25 हमने दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर तथा तमिलनाडु के सीटीडीज के निर्धारण अभिलेखों से आँकड़े एकत्र किए जिनसे पता चला कि महाराष्ट्र के 14 व्यापारियों द्वारा 18 प्रपत्र "सी" पर 2006-07 और 2007-08 के बीच विभिन्न अवधियों के दौरान ₹ 22.48 करोड़ की कुल खरीद की गई थी। इन विवरणों की आयुक्त बिक्री कर मुम्बई द्वारा रखे आकड़ों से दोतरफा जाँच करने पर हमें पता चला कि महाराष्ट्र के व्यापारियों द्वारा सिर्फ ₹ 2.23 करोड़ की खरीद का ही हिसाब दिया गया था।

2.33.26 हमने पाया कि राज्य के तीन पंजीकृत व्यापारियों ने ₹ 1.77 करोड़ मूल्य का माल हिमाचल प्रदेश, गुजरात और केरल के तीन व्यापारियों को बेच दिया था और अन्तर्राज्यीय बिक्री के समर्थन में प्रपत्र "सी" प्रस्तुत किया था और कर की रियायती दर का दावा किया था। महाराष्ट्र से किये गये इन बिक्रियों की हिमाचल प्रदेश, गुजरात और केरल के सीटीडीज द्वारा रखे गए निर्धारण अभिलेखों से की गई दोतरफा जाँच से पता चला कि इन प्रपत्रों के प्रति क्रेता व्यापारियों ने अपनी लेखाओं में ₹ 3.66 करोड़ मूल्य के माल को लेखांकित किया था।

2.33.27 हरियाणा और तमिलनाडु के सीटीडीज के निर्धारण अभिलेखों से एकत्रित आँकड़ों की जाँच से पता लगा कि महाराष्ट्र के चार व्यापारियों द्वारा 2004-05 और 2007-08 के बीच विभिन्न अवधियों में ₹ 3.90 करोड़ की कुल खरीद की गयी थी तथा इन राज्यों के विक्रेता व्यापारियों को चार प्रपत्र "सी" जारी किये गये थे। हमने इन विवरणों की आयुक्त बिक्री कर, मुम्बई द्वारा रखे गऐ आँकड़ो के साथ दोतरफा जाँच की जिससे पता चला कि महाराष्ट्र के व्यापारियों द्वारा ₹ 10.03 करोड़ का क्रय लेखांकित किया गया था।

2.33.28 हमने पाया कि नागपुर मण्डल के एक व्यापारी ने वर्ष 2004-05 के दौरान सात प्रपत्र "एफ" के आधार पर ₹ 3.08 करोड़ मूल्य के सीमेंट, वाशिंग मशीन और इसके पुर्जो का हस्तांतरण ओडिशा की अपनी शाखाओं में किया। ओडिशा के सीटीडी द्वारा रखे गए अभिलेखों से प्राप्त विवरणों की दोतरफा

जाँच से पता चला कि ओडिशा के व्यापारियों ने ₹ 3.08 करोड़ के प्रति ₹ 42.18 लाख की प्राप्ति लेखांकित की थी।

2.33.29 सम्बंधित सीटी विभागों को उन सभी मामलों, जहाँ ब्रिकी/प्राप्ति के आँकड़ों में अन्तर है, की अच्छी तरह जाँच करने की आवश्यकता है ताकि लेन-देन के मूल्य तथा उसके अधिकता/कमी के प्रभाव को निर्धारित किया जा सके।

अध्याय III
विक्रेता व्यापारियों का निर्धारण

अध्याय-III
विक्रेता व्यापारियों का निर्धारण

3.1 सीएसटी निर्धारण

3.1.1 **अरूणाचल प्रदेश** में 2006-2010 की अवधि के दौरान कोई सीएसटी निर्धारण नहीं किए गए जबकि **सिक्किम** में हमने देखा कि अधिकतर व्यापारियों ने या तो सीएसटी रिटर्न जमा नहीं कराए थे या सीएसटी रिटर्न अनियमित रूप से जमा कराए थे। मण्डल ने प्रथम दृष्टया व्यापारियों के किसी सीएसटी रिटर्न की जाँच नहीं की थी जिससे रिटर्न की सटीकता प्रमाणित की जा सके। विभाग ने वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान 75 सीएसटी व्यापारियों में से सिर्फ 14 व्यापारियों (तीन उद्योग व्यापारी, आठ ईलायची व्यापारी और तीन स्क्रैप व्यापारी) का निर्धारण किया।

3.1.2 **कर्नाटक** में सीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारण की जाँच करनी चाहिए थी और इसे प्रति वर्ष पूरा किया जाना था। सीटीडी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2005-06 से 2009-10 के मध्य निर्धारण योग्य 7,44,338 मामलों के प्रति कुल 1,55,682 निर्धारण (लगभग 21 *प्रतिशत*) पूरे किए गए थे, जिससे 5,88,656 मामले (लगभग 79 *प्रतिशत*)शेष रह गए थे। वर्ष-वार लम्बित स्थिति का वर्णन निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

वर्ष	निर्धारण योग्य मामलों की संख्या	अन्तिम निर्धारण	निर्धारण के पूर्ण होने की प्रतिशतता	लम्बित निर्धारण मामले	लम्बित निर्धारणों की प्रतिशतता
2005-06	1,08,736	40,951	37.66	67,785	62.34
2006-07	1,18,405	68,522	57.87	49,883	42.13
2007-08	1,10,844	17,223	15.53	93,621	84.47
2008-09	1,68,178	16,303	09.69	1,51,875	90.31
2009-10	2,38,175	12,683	05.32	2,25,492	94.68
कुल	**7,44,338**	**1,55,682**	**21**	**5,88,656**	**79**

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 2006-07 से 2009-10 तक सीएसटी के अन्तर्गत व्यापारियों की संख्या बढ़ने के बावजूद प्रति वर्ष पूर्ण किए गए निर्धारणों की प्रतिशतता में गिरावट आ रही थी।

2005-06 से 2009-10 के बीच सीएसटी निर्धारण से सृजित और एकत्रित अतिरिक्त राजस्व का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

वर्ष	निर्धारण की पूर्णता	निर्धारण आदेशों से उत्पन्न राजस्व की अतिरिक्त माँग (₹ लाख में)	एकत्र किया गया अतिरिक्त राजस्व (₹ लाख में)	संग्रहण का प्रतिशत
2005-06	40,951	2713.58	746.27	27.50
2006-07	68,522	14131.11	10286.85	72.79
2007-08	17,223	8449.33	6056.93	71.68
2008-09	16,303	32217.73	5317.27	16.50
2009-10	12,683	12229.07	4827.35	39.47
कुल	**1,55,682**	**69740.82**	**27234.67**	**39**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा निर्धारण की पूर्णता से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व में काफी वृद्धि हुई। इस प्रकार, निर्धारण के लिए बाकी 5,88,656 लम्बित मामलों के परिणामस्वरूप सरकार को पर्याप्त कर राजस्व प्राप्त होगा।

3.1.3 हमारी लेखापरीक्षा ने ऐसे कई उदाहरण दर्शाए जहां जाली/अप्रचलित/गलत प्रपत्रों के आधार पर विक्रेता व्यापारियों को रियायत/छूट दी गई थी। बेईमान व्यापारियों द्वारा अपने लाभ के लिए व्यवस्था में निहित कमजोरियों का शोषण किया गया था और राज्य को उसके वैध राजस्व से वंचित रखा गया। यदि विभाग का नियंत्रण तंत्र मजबूत होता तो इनमें से अधिकतर मामलों का पता लगाया जा सकता था, जैसाकि अध्याय II में दर्शाया गया है।

हमारे निष्कर्ष का संक्षेप नीचे दिया गया है:

3.2 जाली प्रपत्रों के प्रति दी गई रियायतें

3.2.1 लेखापरीक्षा के प्रारम्भिक चरण के दौरान विक्रेता व्यापारियों से सम्बंधित प्राप्त जानकारी की, अन्य राज्यों के निर्धारण सर्कलों, जहाँ क्रेता व्यापारी पंजीकृत थे, से दोतरफा जाँच करने पर हमने उन प्रपत्रों के अन्तर्गत अनुपयुक्त तरीके से दी गई रियायत बिक्री के कई मामलों का पता लगाया जिनके संबंध में उन राज्यों के वाणिज्यिक कर विभाग के संबंधित सर्कलों ने पुष्टि की कि ये प्रपत्र द्वारा जारी नहीं किये गये थे। इसलिए ये प्रपत्र प्रथम दृष्टया जाली थे और बिक्री व्यापारियों द्वारा रियायती दर के कर/कर से छूट के दावे हेतु इन जाली प्रपत्रों के उपयोग से राज्य को राजस्व की हानि हुई।

3.2.2 हमने पाया कि 213 व्यापारियों ने ₹ 407.08 करोड़ (अनुबंध "ड.") से ज्यादा की अनियमित छूट/रियायत का दावा करने के लिए ऐसे 637 जाली प्रपत्रों का उपयोग किया। हमने आगे देखा कि इन 213 व्यापारियों में से 65 व्यापारी केवल दो राज्यों (40 व्यापारी गुजरात से और 25 व्यापारी छत्तीसगढ़

से) से थे। इन व्यापारियों का अन्य राज्यों के साथ भी लेन-देन था और इसलिए सीटीडी को इन मामलों की अच्छी तरह जाँच करने की आवश्यकता है।

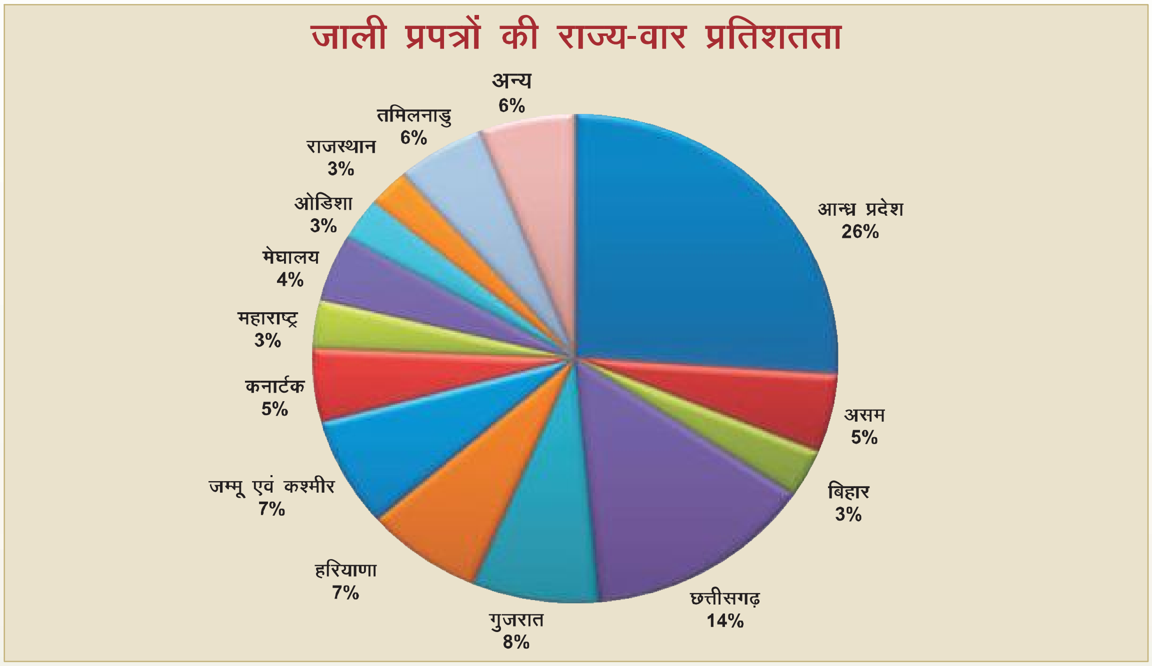

3.2.3 हम निम्नलिखित पैराग्राफ में एक उदाहरण देते हैः

आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 2007-08 से 2009-10 की अवधि के दौरान अन्तिम रूप दिए गए निर्धारण के रिकॉर्ड की जाँच में हमने देखा कि दो सर्कलों में चार व्यापारियों ने वर्ष 2004-05 में ₹ 12.44 करोड़ के कारोबार और वर्ष 2005-06 और 2006-07 में ₹ 227.01 करोड़ के कारोबार पर अपनी शाखा स्थानांतरण/माल की बिक्री पर छूट का दावा किया था। अपने दावों के समर्थन में व्यापारियों ने अपनी सम्बंधित शाखाओं/अन्य राज्यों में स्थित एजेंटों से प्राप्त किए प्रपत्र "एफ" जमा किया था। सम्बंधित निर्धारण प्राधिकरणों ने वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान दायर की गई घोषणाओं के आधार पर निर्धारण को अन्तिम रूप देते हुए छूट अनुमत की थी। इन प्रपत्रों की अन्य राज्यों के बिक्री कर प्राधिकरण के अभिलेखों की दोतरफा जाँच से हमने पाया कि ये प्रपत्र सम्बंधित राज्य के क्रेता व्यापारियों को जारी नहीं किए गए, जैसा कि उन राज्यों के बिक्री कर प्राधिकरणों ने पुष्टि की थी। इसलिए सीएसटी की रियायती दर को अनुमत करना प्रथम दृष्टया अनियमित था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 23.94 करोड़ का कर नहीं लगाया गया था।

पांच सर्कलों में हमने यह भी देखा कि 14 व्यापारियों ने विभिन्न राज्यों के व्यापारियों/फर्मों द्वारा जारी 30 प्रपत्र "सी" को प्रस्तुत करते हुए वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक ₹ 1.47 करोड़ की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर से छूट का दावा किया था। तथापि, इनकी दोतरफा जाँच करने पर दूसरे राज्यों की सीटीडीज ने सूचना दी कि एपी व्यापारियों ने जिन व्यापारियों द्वारा जारी प्रपत्र "सी" पर छूट की माँग की थी वे प्रपत्र या तो विद्यमान नहीं थे या ये प्रपत्र उनके द्वारा जारी नहीं किए गए थे। इस प्रकार ₹ 8.65 लाख के कर और ₹ 17.31 लाख की शास्ति का उद्ग्रहण नहीं किया गया था।

3.2.4 निर्धारण अधिकारियों ने न तो निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय और न ही उसके बाद कोई जाँच की, जिससे पता लगाया जा सके कि व्यापारियों द्वारा दी गई घोषणाओं के तथ्य सही थे। इसके परिणामस्वरूप बेईमान व्यापारियों ने राज्य के खजाने से अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए व्यवस्था की कमजोरियों का फायदा उठाया। इससे ऐसे व्यापारियों का डाटाबेस तैयार करने की आवश्यकता है और सीटीडी द्वारा ऐसे मामलों को खोजने और कड़ी दोतरफा जाँच के साथ उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की आवश्यकता है।

3.3 अन्य व्यापारियों को जारी प्रपत्रों का उपयोग

3.3.1 हमने ऐसे कई मामलों का भी पता लगाया जहां विक्रेता व्यापारियों ने उन प्रपत्रों के आधार पर छूट/रियायत प्राप्त की थी जिन्हें अपंजीकृत व्यापारियों या क्रेता व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जाता था या इन प्रपत्रों को सीटीडी द्वारा किसी और को जारी किया गया था। इस प्रकार ये प्रपत्र कर बचाने के लिए धोखे से प्रयोग किए जाते थे। ऐसे मामलों में काफी सम्भावना है कि या तो सीटीडी के कमजोर नियंत्रण के कारण ये प्रपत्र बेईमान व्यापारियों के हाथ में पहुँचे थे या कार्यप्रणाली ऐसी थी कि पंजीकृत व्यापारी इन प्रपत्रों को अपंजीकृत व्यापारियों तक पहुंचाते थे जो कर के दायरे से बाहर बने रहे और जिन्होंने अन्तर्राज्यीय खरीद का खुलासा नहीं किया था, जबकि विक्रेता व्यापारी रियायतों/छूट का फायदा ले रहे थे। विभाग को ऐसे सभी मामलों की अच्छी तरह जाँच करने की आवश्यकता है।

3.3.2 हमने देखा कि 69 व्यापारियों से अधिक ने माल के हस्तांतरण पर छूट/बिक्री पर कर से रियायत का दावा करने के लिए इन प्रपत्रों का उपयोग किया था। जारीकर्ता राज्यों के सम्बंधित सीटीडीज के साथ दोतरफा जांच ने पुष्टि की कि सीटीडी द्वारा जिन्हें ये प्रपत्र जारी किए गए थे उनसे अन्य व्यापारियों द्वारा इनका उपयोग किया गया था। इन 69 व्यापारियों में से 19 राजस्थान से और 11 जम्मू और कश्मीर से थे। विस्तृत विवरण अनुबंध "च" में दिया गया है।

3.3.3 हम नीचे एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं :

जम्मू और कश्मीर के दो सर्कलों (जी और आई जम्मू) में छः व्यापारियों ने सात राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश (यूटी) के 11 व्यापारियों (दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दादर एवं नगर हवेली और पश्चिम बंगाल) को ₹ 10.23 करोड़ मूल्य की बिक्री की। संबन्धित राज्य के सीटीडीज से आँकड़ों की दोतरफा जाँच से पता चला कि प्रपत्र "सी" में उल्लिखित नाम जिनके आधार पर विक्रेता व्यापारियों को रियायत दी गई थी वह क्रेता व्यापारी के अभिलेखों में दर्शाए गए नामों से नहीं मिलते थे। दी गई ₹ 1.27 करोड़ की रियायत के इन 16 मामलों की जाँच कराने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त ₹ 1.23 करोड़ का ब्याज और शास्ति भी उद्ग्राह्य है। घोषणा प्रपत्रों में दोतरफा जाँच की प्रणाली के अभाव में गलती का पता नहीं चला।

इसके अलावा तीन सर्कलों में पांच व्यापारियों ने पंजाब और चण्डीगढ़ के पांच व्यापारियों को ₹ 40.79 करोड़ मूल्य के माल को हस्तांतरित किया था। सम्बंधित सीटीडीज के साथ आकड़ों की दोतरफा जाँच से

पता चला कि वे 25 प्रपत्र "एफ", जिनके आधार पर प्रेषक को छूट दी गई थी, विभाग द्वारा परेषिती को जारी नहीं किए गए थे लेकिन वह अन्य प्राप्तकर्ता के नाम पर जारी दिखाए गए थे। इस प्रकार ₹ 1.71 करोड़ की कर अदायगी पर छूट गलत थी। इसके अलावा ₹ 1.94 करोड़ का ब्याज भी लगाया जाना था। हमने आगे देखा कि दो सर्कलों में दो व्यापारियों ने पंजाब और छत्तीसगढ़ के दो व्यापारियों को ₹ 1.66 करोड़ मूल्य के माल का हस्तांतरण दर्शाया गया। सम्बंधित राज्य के सीटीडीज से आकड़ों की दोतरफा जाँच से पता चला कि आठ प्रपत्र "एफ" जिनके आधार पर प्रेषक को छूट दी गई वह उनके सम्बंधित विभाग द्वारा नहीं जारी किए गए थे। इस प्रकार इन प्रपत्रों पर दी गई छूट सही नहीं थी और इसके परिणामस्वरूप ₹ 41.20 लाख के कर की छूट गलत थी। इसके अलावा, ₹ 57.54 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

3.3.4 **छत्तीसगढ़** में अप्रैल 2004 से मार्च 2005 की अवधि के लिए सरकार द्वारा 23 मार्च 2004 को जारी की गई अधिसूचना संख्या 23 के अनुसार, एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा प्रपत्र "सी" के प्रति स्पोंज आयरन का अंतर-राज्यीय विक्रय एक प्रतिशत की दर से कर के लिए उत्तरदायी है। अक्टूबर 1994 में अधिसूचित कर स्थगन योजना 1994 के तहत केवल एक पंजीकृत व्यापारी ही, जिसके पास कर अदायगी के स्थगन के लिए पात्रता प्रमाणपत्र है, यह सुविधा ले सकता है।

3.3.5 एसी, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि स्टील सेमिस एवं स्पोंज आयरन के एक व्यापारी का अप्रैल 2004 से मार्च 2005 की अवधि के लिए अगस्त 2009 में निर्धारण किया गया था और उसने अन्तर-राज्यीय बिक्री के दौरान ₹ 28.72 करोड़ का स्पोंज आयरन बेचा था। रिकार्ड की आगे जांच से पता चला है कि मामले के साथ संलग्न ₹ 7.06 करोड़ के "सी" प्रपत्र दूसरे व्यापारी से संबंधित थे जिसे कर की अदायगी से स्थगन की सुविधा प्राप्त थी। अतः व्यापारी ने टर्नओवर को छिपाया था एवं तथ्यों का गलत विवरण दिया था। हालांकि, निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी प्रारंभिक जांच के निर्धारण किया गया था। निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रपत्रों की अनुचित स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 7.06 लाख के कर तथा ₹ 21.18 लाख की न्यूनतम शास्ति (कर चोरी का तीन गुणा) नहीं लगाई गई।

3.4 प्रपत्रों के उपयोग में धोखेबाजी/कपट

3.4.1 हमें कई और उदाहरण भी मिले जहाँ विक्रेता व्यापारियों ने कर में अधिक रियायत पाने के लिए प्रपत्रों के आँकड़ों में फेर-बदल की थी। निर्धारण अधिकारियों द्वारा अन्य राज्यों के वाणिज्यिक कर विभागों, जिन्होंने सी/एफ प्रपत्र जारी किये थे, के साथ दोतरफा जाँच न किये जाने के कारण रियायतों/छूटों के लिए किये गए इन झूठे दावों का पता नहीं लगाया जा सका था।

3.4.2 एक दिलचस्प मामला नीचे उद्धृत हैः

हमने देखा कि **गोवा** में स्थित रसायनों का व्यापार करने वाली दो सहयोगी संस्थाओं और जिनका एक ही वार्ड में निर्धारण किया गया, उन्होंनें जारी किये गए कुछ प्रपत्रों में दिखाए गए आँकड़ों में पहले/बाद में एक अंक जोड़कर या आँकड़ों को स्वयं ही बदलकर धोखेबाजी की थी। ज्यादातर मामलों में ब्रिकी के प्रपत्र में आंकड़ों के आगे "1" का आंकड़ा जोड़ कर बिक्री के आंकड़ों को ₹ 1 लाख तक बढ़ा दिया था। इन प्रपत्रों में से एक द्वारा की गई धोखेबाजी का एक उदाहरण अनुबंध "छ" में दिया गया है।

हमारे द्वारा तैयार किये गए समेकित डाटाबेस के साथ जाँच करने पर हमने पाया कि इन दोनों फर्मों का ज्यादा से ज्यादा 15 राज्यों में व्यापारियों के साथ लेन-देन था। हमने कुछ और लेन-देनों की जाँच की और पाया कि रियायती दरों के लिए झूठे दावे करने के लिए काम करने का एक ही ढंग अपनाया गया था। इन सभी मामलों में सीएसटी निर्धारण बिना कोई हेर-फेर का पता लगाए पूरा कर लिया गया था क्योंकि कोई दोतरफा-जाँच नहीं की गई थी।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया था।

3.4.3 कुछ अन्य मामले नीचे दिए गए हैंः

गोवा में एक अन्य मामले में, मरगाव में पंजीकृत एक व्यापारी ने वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान माल के हस्तांतरण को कवर करने वाले 16 प्रपत्र "एफ" प्रस्तुत किये थे। इन प्रपत्रों की दोतरफा जाँच में यह पता चला कि वो व्यापारी जिनको 12 "एफ" प्रपत्रों के प्रति माल हस्तांतरित किया गया था, वास्तव में अपंजीकृत व्यापारी थे। अतः इन प्रपत्रों की वास्तविकता की जाँच नहीं हो सकी थी। अपंजीकृत व्यापारियों को माल के हस्तांतरण एवं प्रपत्र "एफ" के प्रति कर की छूट के दावों के परिणामस्वरूप ₹ 42.89 लाख के कर की चोरी हुई।

3.4.4 **पंजाब** में निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए एक व्यापारी के निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (जून 2010) निर्धारण अधिकारी ने 432 प्रपत्र "सी" की प्रस्तुती के प्रति ₹ 73.91 करोड़ की संपूर्ण अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर की रियायती दरों की अनुमति दे दी। इन घोषणाओं की जाँच से पता चला कि इन सभी घोषणाओं में से 10 घोषणाओं में छेड़-छाड़ हुई थी, जिससे इन प्रपत्रों द्वारा कवर किये गए माल का मूल्य वास्तविक मूल्य से ₹ 2.67 करोड़ तक बढ़ गया था। कर चोरी के इरादे से घोषणाओं के इस फर्जी तरीके से उपयोग करने के परिणामस्वरूप ₹ 23 लाख का कम कर लगाया गया, ₹ 45 लाख की शास्ति एवं ₹ 6 लाख का ब्याज नहीं लगाया गया।

3.4.5 **पश्चिम बंगाल** में हमने तीन प्रभारी कार्यालयों में पाया कि 2004-05 और 2006-07 के बीच तीन व्यापारियों के तीन मामलों का निर्धारण करते समय निर्धारण अधिकारियों ने ₹ 24.33 लाख की रियायती बिक्रियों की अनुमति दी थी। हालांकि क्रेता व्यापारियों के प्रपत्रों "सी" के प्रतिपर्णो/क्रय विवरण के प्रति विक्रेता व्यापारियों के मूल प्रपत्रों की दोतरफा जाँच से पता चला कि वास्तविक बिक्री ₹ 96,000 की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.86 लाख का कर नहीं लगाया गया।

3.4.6 **कर्नाटक** में एसीसीटी एलवीओ-061, बैंगलोर में हमने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने घोषणा प्रपत्र "एफ" के आधार पर टर्नओवर की छूट की अनुमति दी थी। हाँलाकि यह देखा गया कि वर्ष 2005-06 के दौरान ₹ 12.06 करोड़ के लिए भरे गए एक प्रपत्र में, जबकि प्रपत्र की वैधता जनवरी 2005 के लिए थी, छेड़-छाड़ की गई थी एवं वैधता जनवरी 2006 दर्शाई गई थी। ₹ 1.21 करोड़ की कर राशि वाले रद्दोबदल किये गए प्रपत्र की स्वीकृती अनुचित थी।

3.4.7 **ओडिशा** में, दो सर्कलों में, निर्धारण अधिकारियों ने प्रपत्र "सी" में छः घोषणाओं, जिनमें मिटाकर, काट कर और अधिलेखन इत्यादि द्वारा फेर-बदल किया गया था, के बल पर जुलाई 2005 और अक्टूबर 2006 के मध्य विभिन्न कर अवधियों के संबंध में तीन व्यापारियों से संबंधित ₹ 5.04 करोड़ मूल्य के माल के बिक्री पर कर की रियायती दर लगायी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.18 लाख का कर कम लगाया गया था। विवरण नीचे दिया गया हैः

(₹ लाख में)

रेंज/ सर्कल का नाम	व्यापारियों की संख्या	"सी" प्रपत्रों की संख्या	अवधि जिससे प्रपत्र संबंधित है (निर्धारण की तिथि)	अनियमितताओं की प्रकृति	माल का नाम	माल का मूल्य	कम कर की उगाही
कालाहाण्डी सर्कल	2	4	जूलाई 2005 एवं अक्टूबर 2006 के मध्य (30 मार्च 2009)	1. सी प्रपत्र डुब्लिकेट थे और मुद्रित शब्द "डुब्लिकेट" फाड़ा गया था/जानबूझ कर मिटा दिया गया था। 2. वास्तविक बीजक संख्या, माल का मूल्य और विक्रेता व्यापारियों के नाम को सफेद द्रव से मिटाया गया था और नई बीजक संख्या, माल का मूल्य और विक्रेता व्यापारी का नाम डाला गया था।	चावल	13.28	0.75
बारबिल सर्कल	1	2	अप्रैल 2006 से जून 2006 (31 मार्च 2009)	1. प्रपत्र में पहले दिखाए गए विक्रेता व्यापारियों के नाम, बिल संख्या, तिथि और मूल्य सफेद द्रव से मिटा दिये गए थे और पुनः लिखे गए थे। एक प्रपत्र में सामने की ओर किए गए अधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर प्रपत्र के उल्टी तरफ किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते।	लौह अयस्क	490.50	29.43
कुल	**3**	**6**				**503.78**	**30.18**

3.5 अप्रचलित प्रपत्रों की स्वीकृति के कारण राजस्व की हानि

3.5.1 अन्य राज्यों के व्यापारियों द्वारा अप्रचलित/अवैध घोषणा प्रपत्रों के उपयोग से होने वाले कर के अपवंचन को रोकने के लिए सीओटी को, अन्य राज्यों से इन प्रपत्रों को अप्रचलित, अवैध घोषित करने वाली अधिसूचना की प्रति प्राप्त होने पर, यह अधिसूचना सभी संबंधित निर्धारण अधिकारियों को प्रेषित करनी चाहिए ताकि वे निर्धारण के दौरान व्यापारियों द्वारा जमा कराए गए प्रपत्रों की दोतरफा जांच कर सकें।

3.5.2 **मेघालय** में हमनें देखा कि एसटी नोंगपोह में दो व्यापारियों एवं एसटी जोवाई में एक व्यापारी ने मिजोरम के साथ अन्तर-राज्यीय व्यापार की प्रक्रिया में 1998-99 से 2006-07 की अवधि में ₹ 2.02 करोड़ मूल्य का कर योग्य माल बेचा एवं 14 प्रपत्र "सी" प्रस्तुत किये। एसटीज ने 2007-08 और 2008-09 के मध्य प्रपत्र स्वीकार किये और इसके अनुसार व्यापारियों का रियायती दरों पर कर निर्धारण किया।

3.5.3 हमने मिजोरम के कराधान विभाग के साथ इस सूचना की दोतरफा जाँच की एवं पाया कि सभी प्रपत्र सीओटी, मिजोरम द्वारा अप्रचलित घोषित किए गये थे और इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना 13 अक्टूबर 1999 एवं 29 जनवरी 2003 को जारी की गई थी, जिसकी प्रतियां दूसरे राज्यों के सीओटीज को भेज दी गई थीं। हालांकि सीओटी, मेघालय ने यह अधिसूचना अपने एसटीज को अग्रेषित नहीं की थीं। इस तरह एसटीज निर्धारण के समय अप्राचलित व अवैध प्रपत्रों का पता नहीं लगा सके और परिणामस्वरूप ₹ 19.55 लाख के कर का कम निर्धारण हुआ।

3.5.4 सीटी, नागालैंड ने फरवरी 2002 के अपने पत्र में सीटी **असम** को 11 जून 2001 से प्रभावी प्रपत्र "सी" की घोषणाओं की श्रृंखला के रद्द किये जाने के संबंध में सूचना दी थी। हमने पाया कि तीन निर्धारण अधिकारियों ने जनवरी 2009 तथा फरवरी 2010 में पाँच व्यापारियों को ₹ 74 लाख की अन्तर-राज्यीय बिक्री पर 2005-06 से 2008-09 की अवधि के लिए प्रपत्र "सी"/एफ" के प्रति रियायती दरों पर कर का अनुमोदन किया था जोकि नागालैंड सरकार द्वारा अप्रचलित/अवैध घोषित किये गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8 लाख का कर एवं ब्याज नहीं लगाया गया था।

3.5.5 **जम्मू एवं कश्मीर** में सर्कल I, जम्मू में निर्धारित एक व्यापारी ने 2006-07 के दौरान असम के एक व्यापारी को ₹ 6.96 लाख की बिक्रियाँ दिखाई (प्रपत्र "सी" सं. एएस/96 460315) और इन बिक्रियों पर छूट की अनुमति दी गई थी। सीटीडी, असम के साथ डाटा की दोतरफा जाँच में पता चला कि क्रेता व्यापारी ने उपरोक्त प्रपत्र गुम दिखाया हुआ था। अतः ₹ 1.71 लाख के कर वाली इन बिक्रियों पर स्वीकृत छूट की इन बिक्रियों की वास्तविकता को जानने हेतु जाँच की आवश्यकता है।

3.5.6 **गोवा** में एक व्यापारी ने दो प्रपत्र "एफ" प्रस्तुत किये जो कि मिजोरम वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा मई 2002 में अप्रचलित एवं अवैध घोषित किये गए थे परन्तु वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए छूट का दावा किया गया था और उसे स्वीकार किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.52 लाख का कर अपवंचन हुआ।

3.6 दोषपूर्ण प्रपत्रों के प्रति स्वीकृत रियायतें/छूटें

3.6.1 सीएसटी निर्धारण को पूरा करते समय, निर्धारण अधिकारी से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि कर की रियायती दरें केवल जारीकर्ता राज्य के संबंधित निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किए गए वास्तविक एवं वैध सांविधिक प्रपत्रों के तहत ही स्वीकृत की जाए। सीएसटी अधिनियम की धारा 8(1) के साथ पठित धारा 8(4) (1) (ए) के तहत विक्रेता व्यापारी रियायती दरों पर कर लाभ

उठाने का हकदार नहीं होगा जब तक वह क्रेता व्यापारी/एजेंट द्वारा निर्धारित[5] ब्यौरे सहित विधिवत भरा एवं हस्ताक्षरित प्रपत्र "सी"/"एफ" प्रस्तुत न कर दे।

3.6.2 सलेम मैग्नेसाइट बनाम तमिलनाडु सरकार (1999) 116 एसटीसी 110 (एमएडी एचसी डीबी) के मामले में यह निर्णय किया गया कि विधिवत भरा हुआ प्रपत्र "सी" विक्रेता को जारी किया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय द्वारा देखा गया कि कभी-कभी प्रपत्र "सी" पहले प्राप्त कर लिया जाता है एवं चालान आदि के विवरण बाद में भरे जाते हैं। यह कानूनी तौर पर सही नहीं हैं, क्योंकि धारा 8(4)(ए) "जिसे माल बेच रहे हैं" शब्द का उपयोग करती है। अतः पूरी तरह से भरा हुआ प्रपत्र "सी" बिक्री के बाद ही प्राप्त किया जाना चाहिए, अन्यथा प्रपत्र "सी" अस्वीकार किया जा सकता है।

3.6.3 **पंजाब** में हमने पाया कि वर्ष 2005-06 से 2008-09 के लिए अप्रैल 2009 एवं मार्च 2011 के मध्य 91 व्यापारियों के निर्धारण को अंतिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारियों ने ₹ 254.89 करोड़ मूल्य की अन्तर-राज्यीय बिक्रियों का निर्धारण कर की रियायती दरों पर किया था जोकि प्रपत्र "सी" में की गई घोषणाओं द्वारा समर्थित थी जोकि अधूरे/प्रतिलिपि/छेड़-छाड़ किये गए/अहस्ताक्षरित इत्यादि थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.65 करोड़ का कर कम लगाया गया था। इसी प्रकार, हमने देखा कि निर्धारण अधिकारियों ने, वर्ष 2004-05 से 2008-09 के लिए अप्रैल 2009 एवं मार्च 2011 के मध्य 17 व्यापारियों के निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, प्रपत्र "एफ" में की गई घोषणाओं के प्रति ₹ 78.68 करोड़ मूल्य के माल के शाखा हस्तांतरण के आधार पर कटौतियों की मंजूरी दी थी। इन घोषणाओं की जाँच से पता चला कि सूचना जैसे पंजीकरण की तिथि, माल के प्रेषण की तिथि एवं मात्रा इत्यादि इन घोषणाओं पर दर्ज नहीं की गई थीं। हमने यह भी देखा कि प्रतिलिपि घोषणाओं के प्रति कटौतियाँ स्वीकृत की गई थी।

3.6.4. **मेघालय** में यादृच्छिक रूप से चुने गए 3,295 प्रपत्रों "सी" में से 850 सी प्रपत्रों (25.80 प्रतिशत) के विश्लेषण से पता चला कि "तिथि जिससे पंजीकरण वैध है", "क्रय आदेश संख्या एवं तिथि", "चालान संख्या एवं तिथि", एवं "माल का नाम" को दर्शाने वाले कॉलम भरे नहीं गए थे। 22 "सी" प्रपत्रों में जारीकर्त्ता प्राधिकरण की मोहर नहीं लगी हुई थी, जबकि 35 "सी" प्रपत्रों में क्रय व्यापारी की आरसी संख्या नहीं दिखाई गई थी। इसी तरह से हमने 242 "एफ" प्रपत्रों में से यादृच्छिक रूप से 121 प्रपत्र "एफ" (50 प्रतिशत) चुने और पाया कि चुने हुए 121 प्रपत्रों में से किसी में भी "जारी करने की तिथि", "तिथि जिससे पंजीकरण वैध है", "तिथि जब अंतरिती द्वारा सुपुर्दगी ली गई थी" एवं "अंतरिती की पंजीकरण संख्या" भरी नहीं गई थी।

---

[5] **प्रपत्र "सी" के मामले में :** तिथि जिससे पंजीकरण वैध है, जारीकर्ता प्राधिकरण की मोहर, खरीदे गए माल का उद्देश्य, पंजीकरण संख्या एवं तिथि, पंजीकरण संख्या के साथ क्रय व्यापारी का नाम, क्रय व्यापारी के हस्ताक्षर इत्यादि।

प्रपत्र "एफ" के मामले में : तिथि जिससे पंजीकरण वैध है, जारीकर्ता प्राधिकरण की मोहर, माल का प्रकार एवं मात्रा, अंतरितक/अंतरिती की पंजीकरण संख्या एवं तिथि, अंतरिती एवं अंतरितक के नाम के साथ पंजीकरण संख्या, अंतरिती के हस्ताक्षर, माल की सुपुर्दगी की तिथि इत्यादि।

3.6.5 यद्यपि उपरोक्त प्रपत्र अधूरे थे और इसलिए निर्धारण के समय खारिज किये जाने लायक थे, निर्धारण अधिकारियों ने इन अधूरे प्रपत्रों को स्वीकृत किया था एवं व्यापारियों को ₹ 777.50 करोड़ मूल्य की वस्तुओं पर छूट/रियायत प्रदान की थी। अतः ₹ 53.96 करोड़ के कर की अदायगी से छूट/रियायत बिना किसी जाँच के स्वीकृत की गई थी।

3.6.6 **असम** में, 2001-02 से 2008-09 के दौरान आठ निर्धारण अधिकारियों ने प्रपत्रों "सी" के प्रति 44 व्यापारियों को ₹ 52.21 करोड़ की अन्तर्राजीय बिक्री पर कर की रियायती दरें स्वीकृत की थी जिनमें क्रेता व्यापारियों के उचित/पर्याप्त विवरण नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.56 करोड़ का कर एवं ब्याज नहीं लगाया गया था। इसी प्रकार नौ निर्धारण अधिकारियों ने 2005-06 से 2007-08 के अवधि के दौरान दोषपूर्ण प्रपत्र "एफ" (अर्थात् अंतरिती/राशि के उचित या पर्याप्त विवरण के बिना) के प्रति 23 व्यापारियों को ₹ 65.63 करोड़ मूल्य के माल के शाखा हस्तांतरण का दावा अनुमत किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.72 करोड़ का ब्याज और कर नहीं लगाया गया।

3.6.7 **तमिलनाडु** में हमने पेरियामेडू एवं एग्मोर I के निर्धारण सर्कलों के निर्धारण अभिलेखों की जांच के दौरान देखा कि दो व्यापारियों द्वारा दायर किये गए चार घोषणा प्रपत्र दोषपूर्ण पाए गए थे क्योंकि घोषणा प्रपत्र पर क्रेता व्यापारी की पंजीकरण संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था। अतः दोषपूर्ण सी प्रपत्र घोषणाओं को स्वीकृत करने से ₹ 1.88 करोड़ मूल्य की वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर से छूट की अनुमति/कम उगाही किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 19.65 लाख के मूल्य का कर कम/नहीं लगाया गया था।

3.6.8 **जम्मू एवं कश्मीर** में तीन सर्कलों में हमने देखा कि निर्धारण वर्ष 2005-06 से 2007-08 के लिए निर्धारण अधिकारियों ने 2008-10 के दौरान 13 व्यापारियों को ₹ 54.09 करोड़ मूल्य की वस्तुओं, जिनका ब्याज सहित कर प्रभाव ₹ 14.77 करोड़ था, के "सी" एवं "एफ" प्रपत्रों की फोटोकापी/प्रतिपर्ण पर बिना मूल घोषणा प्रस्तुत किए कर की रियायत/छूट की अनुमति दी थी। हमने यह भी देखा कि निर्धारण अधिकारियों द्वारा निर्धारण वर्ष 2005-06 से 2006-07 के लिए 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान 92 मामलों में लेन-देन के संबंध में "सी" एवं "एफ" प्रपत्रों पर जिनमें अधूरे विवरण थे (जैसे बिल संख्या वस्तुओं का विवरण इत्यादि) आठ व्यापारियों को कर में रियायत/छूट की अनुमति दी गई थी। ₹ 87.41 करोड़ मूल्य की वस्तुओं के इन घोषणा प्रपत्रों पर छूट प्रदान करना स्वीकार्य नहीं था एवं निर्धारण अधिकारियों द्वारा अस्वीकृत किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, पांच व्यापारियों को निर्धारण वर्ष 2005-06 से 2006-07 के लिए 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान ₹ 12.07 करोड़ की बिक्रियों पर जिनमें ₹ 3.04 करोड़ का कर सम्मिलित था, घोषणा प्रपत्रों जिनमें व्यापारी का नाम, माल इत्यादि नहीं थे पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई थी। निर्धारण अधिकारियों ने प्रपत्रों की यथार्थता की जांच नहीं की थी अपितु छूट की अनुमति दे दी थी।

3.6.9 इसके अतिरिक्त 2008-09 और 2009-10 के बीच दो सर्कलों में घोषणा प्रपत्रों, जिसमें उन व्यापारियों का नाम नहीं था, पर 11 व्यापारियों को ₹ 31.63 करोड़ की अन्तर्राज्यीय बिक्रियों पर कर से छूट की अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.44 करोड़ के ब्याज सहित कर से अग्राह्य छूट दी गई।

3.6.10 यह तथ्य कि निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुचित तरीके से भरे हुए प्रपत्र स्वीकार किये गए थे, इंगित करता है कि विभाग द्वारा पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई थी। यह व्यापारियों को "सी"/"एफ" प्रपत्रों के दुरूपयोग का एवं रियायतों/छूटों का अनैतिक लाभ उठाने का खुला निमंत्रण देता है।

3.7 प्रपत्रों की प्रतिलिपि के प्रति अनुमोदित रियायतें/छूट

3.7.1 मै. इंडिया एजेन्सीज बनाम अतिरिक्त वाणिज्यिक कर आयुक्त (दिसम्बर 2004) एवं मै. दिल्ली आटोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिक्री कर आयुक्त (1997) 104 एसटीसी 75 (एससी) के मामलों में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कर की रियायती दर का दावा करने के लिए मूल "सी" प्रपत्रों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिससे कि कर की अदायगी से बचने के विचार से प्रपत्रों में मिलीभगत एवं धोखाधड़ी के द्वारा उनके दुरूपयोग को रोका जा सके। केरल के उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि प्रपत्र "सी" की मूल प्रति को पेश करना अनिवार्य है एवं प्रपत्र "सी" की प्रतिलिपि प्रस्तुत करना मूल प्रपत्र "सी" का विकल्प नहीं है। जे एन जेतीवा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1195) 11 एमटीजे 491 (एमएएच ट्रिब) के मामले में ट्रिब्यूनल ने यह निर्णय दिया कि पूर्व प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है एवं छायाप्रति स्वीकार्य नहीं है।

3.7.2 हमने कई मामलों में देखा जहां छूट/रियायतें प्रपत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत किये बिना ही अनुमोदित की गई थी। कुछ उदाहरणात्मक मामलों का उल्लेख नीचे किया जाता हैः

3.7.3 **जम्मू एवं कश्मीर** में हमने चार सर्कलों में देखा कि निर्धारण वर्ष 2005-06 से 2007-08 के लिए 2008-09 एवं 2009-10 के मध्य निर्धारण अधिकारी ने 34 व्यापारियों को बिना मूल घोषणा प्रपत्र पेश करने पर जोर दिए "सी" एवं "एफ" प्रपत्रों की प्रतिलिपि पर कर की रियायती दरें/छूट अनुमोदित की थी। प्रपत्रों की प्रतिलिपि पर छूट का अनुदान स्वीकार्य नहीं था और निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जाना चाहिए था। इन मामलों में ₹ 422.88 करोड़ के अन्तर्राज्यीय बिक्री/स्टॉक हस्तांतरण में ₹ 99.93 करोड़ का मात्रा में ब्याज सहित कर शामिल था।

3.7.4 **छत्तीसगढ़** में हमने सीटीओज धमतरी एवं कोरबा तथा एसी, दुर्ग, रायगढ और एवं रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि लोहा एवं इस्पात, लकड़ी, मशीनरी भागों और कोयले के क्रय एवं विक्रय में लगे छः व्यापारियों ने ₹ 3.79 करोड़ के विक्रय मूल्य के रिटर्न के साथ प्रपत्र "सी" के उनके "प्रतिलिपि" भाग प्रस्तुत किये थे। नियमों के अनुसार प्रपत्रों का "प्रतिलिपि" अस्वीकृत की जानी चाहिए थी एवं प्रपत्र "सी" के बिना अन्तर-राज्यीय बिक्री मानते हुए इस लेन देन पर ₹ 23.89 लाख का कर लगाया जाना चाहिए था। हालांकि, यह पाया गया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया था।

3.7.5 **मेघालय** में, एसटी, नोंगपोह एवं जोवाई में हमने देखा कि दो व्यापारियों ने अन्तर्राज्यीय व्यापार की प्रक्रिया में ₹ 2.57 करोड़ मूल्य का कोयला, लोहा एवं इस्पात असम के व्यापारियों को बेच दिया था एवं सात प्रपत्र "सी" प्रस्तुत किये थे। निर्धारण अधिकारी ने व्यापारियों का कर निर्धारण रियायती दरों पर किया था। लेकिन हमारी जांच से पता चला है कि व्यापारियों ने निर्धारण अधिकारी को प्रपत्र का "मूल" चिन्हित भाग प्रस्तुत करने के बजाए "प्रतिलिपि" चिन्हित भाग प्रस्तुत किया था। प्रपत्र के "प्रतिलिपि" भाग की ऐसी अनियमित स्वीकृत सही नहीं थी एवं इन प्रपत्रों पर रियायती दर पर ₹6.28 लाख की राशि का कर अनुमोदित करने से पहले मूल प्रपत्र "सी" की जांच की जानी आवश्यक थी।

3.7.6 हिमाचल प्रदेश में, दो एईटीसी कार्यालयों (बीबीएन और सिरमौर) में, अभिलखों की हमारी जांच में पता चला कि निर्धारण वर्षों 2004-05 से 2006-07 के लिए मार्च 2007 से दिसम्बर 2009 तक सात व्यापारियों के निर्धारण को अंतिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारी ने प्रपत्र "एफ" की प्रतिलिपि की घोषणाओं के प्रति ₹ 6.73 करोड़ की राशि के स्टॉक हस्तांतरण पर अन्तर्राज्यीय बिक्री में कटौती की अनुमति दी थी। प्रपत्रों की प्रतिलिपि पर छूट की अनियमित स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 50 लाख के ब्याज सहित ₹ 1.29 करोड़ का कर नहीं लगाया गया।

3.7.7 ओडिशा में हमने पूरी रेंज एवं पांच सर्कलों में देखा कि निर्धारण अधिकारी ने छः व्यापारियों को ₹1.01 करोड़ के बिक्री टर्नओवर पर 10 घोषणा प्रपत्रों के प्रतिलिपि के प्रति कर की रियायती दर की अनुमति दी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.80 लाख का कम कर लगाया गया।

3.8 निर्धारित अवधि से परे हुए संव्यवहार को कवर करने वाले प्रपत्र

3.8.1 सीएसटी (पंजीकरण एवं टर्नओवर) नियम इस शर्त के साथ "सी" घोषणा प्रपत्रों को तिमाही आधार पर प्रस्तुत करने का प्रावधान करते हैं कि एक एकल घोषणा प्रपत्र दो समान व्यापारियों के बीच वित्तीय वर्ष में एक तिमाही में संपन्न हुए सभी संव्यवहारों को कवर कर सकता है। इसी प्रकार नियम "एफ" घोषणा प्रपत्रों को मासिक आधार पर प्रस्तुत करने का प्रावधान करते हैं एवं एक एकल घोषणा एक विशेष माह के संव्यवहारों को कवर कर सकती है।

3.8.2 तमिलनाडु में इन प्रावधानों के उल्लंघन में हमने देखा कि, 14 निर्धारण सर्कलों में, 35 निर्धारितियों के संबंध में, एक तिमाही से अधिक संव्यवहारों को कवर करने वाले 73 प्रपत्र "सी" स्वीकार किये गए थे एवं केवल एक तिमाही से संबंधित संव्यवहारों पर रियायती दर लगाने तक सीमित रहने के बजाए, ₹18.70 करोड़ के पूरे टर्नओवर पर रियायती दर पर कर लगाया गया था। इसी प्रकार से छः निर्धारण सर्कलों में 17 निर्धारितियों के संबंध में ₹ 87.40 करोड़ के एक माह से ज्यादा समय में हुए संव्यवहारों को कवर करने वाले 72 घोषणा प्रपत्र "एफ" स्वीकृत किये गए थे एवं एक माह से संबंधित संव्यवहारों पर छूट तक सीमित करने के बजाए छूट की अनुमति दी गई थी।

3.8.3 हिमाचल प्रदेश में चार निर्धारण अधिकारी के अभिलेखों की हमारी जांच में पता चला कि निर्धारण वर्ष 2004-05 से 2008-09 के लिए अगस्त 2008 एवं जुलाई 2010 के मध्य 11 व्यापारियों के संबंध में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारियों ने ₹ 31.35 करोड़ मूल्य के स्टॉक के हस्तांतरण पर 33 "एफ" प्रपत्रों के प्रति कर की छूट की अनुमति दी थी। चूंकि व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रपत्र "एफ" एक कैलेण्डर मास से ज्यादा के संव्यवहार को कवर करते थे, प्रत्येक प्रपत्र में एक माह से परे के संव्यवहार वैध घोषणाओं द्वारा कवर नहीं किये गए थे अतः कर के लिए उत्तरदायी थे।

3.8.4 आंध्र प्रदेश में 19 सर्कलों एवं पांच वृहद करदाता इकाईयों (एलटीयूज) में हमने देखा कि 27 मामलों में जहां फरवरी 2008 एवं मार्च 2010 के मध्य निर्धारण पूरा हो चुका था, एक कैलेन्डर मास से ज्यादा के संव्यवहारों को कवर करने वाले "एफ" प्रपत्रों में छूट की अनुमति दी गई थी। इन "एफ" प्रपत्रों पर एक माह से अधिक के संव्यवहार अस्वीकार करने योग्य थे एवं ₹ 20.30 करोड़ मूल्य के इन संव्यवहारों पर ₹ 2.27 करोड़ का कर लगाया जाना था। हमने आगे देखा कि 20 सर्कलों एवं दो एलटीयूज में 35 मामलों के संबंध में, मार्च 2008 एवं मार्च 2010 के बीच निर्धारणों को अन्तिम रूप देते

समय एक वित्तीय वर्ष में एक तिमाही से अधिक के संव्यवहारों को कवर करने वाले "सी" प्रपत्रों पर कर की रियायती दरें मंजूर की गई थीं। इसके परिणामस्वरूप ₹43 .97 लाख का कम कर लग पाया।

3.8.5 पश्चिम बंगाल में 11 मामलों में एक कैलेण्डर मास से अधिक के संव्यवहारों को कवर करने वाले "एफ" प्रपत्रों पर ₹ 550.38 करोड़ के स्टॉक हस्तांरतण पर अनुमति दी गई थी। वास्तविक स्वीकार्य राशि ₹ 544.71 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 60.43 लाख के कर से संबंधित ₹ 5.67 करोड़ की अतिरिक्त छूट स्वीकार हुई। इसी प्रकार दो व्यापारियों के मामले में प्रपत्र "सी" के विवरण में दिखाई गई राशि से ज्यादा रियायत की अनुमति दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.59 लाख के कर से संबंधित ₹ 4.22 करोड़ की रियायती बिक्री की अतिरिक्त स्वीकृत हुई थी।

3.8.6 ओडिशा में दो रेन्जों एवं छः सर्कलों में हमने पाया कि, निर्धारण अधिकारियों ने 11 व्यापारियों को अप्रैल 2006 एवं मई 2009 के मध्य विभिन्न अवधियों से संबंधित ₹ 15.57 करोड़ मूल्य की वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय बिक्री टर्नओवर/शाखा हस्तांतरण पर "सी" एवं एफ" प्रपत्रों में 35 घोषणाओं के प्रति कर की छूट/रियायतों की अनुमति दी थी जोकि अवैध पाए गए थे क्योंकि वे अधिनियम के प्रावधानों में निर्धारित अवधियों से अधिक संव्यवहारों को कवर करते थे एवं इसलिए स्वीकार्य नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.17 करोड़ का कर कम लगाया गया था।

3.8.7 छत्तीसगढ़ में एसी-I (डिवी.-I), बिलासपुर, एसी-II, दुर्ग एवं सीटीओ, अम्बिकापुर के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि अप्रैल 2005 से मार्च 2007 के अवधि के लिए बीडी पत्तों के क्रय एवं विक्रय एवं लोहा एवं इस्पात के निर्माण एवं बिक्री में लगे तीन व्यापारियों ने ₹ 3.52 करोड़ का माल बेचा था जिनका निर्धारण फरवरी 2009 एवं फरवरी 2010 के मध्य किया गया था। आगे जांच से पता चला कि आठ "सी" प्रपत्रों में एक वित्तीय वर्ष में एक तिमाही से अधिक के संव्यवहार शामिल थे। तथापि निर्धारण अधिकारियों इन अवैध प्रपत्रों की जांच करने में विफल रहे थे जिसके कारण ₹ 30.90 लाख का कर कम लगाया गया था।

3.8.8 गोवा में तीन वार्ड कार्यालयों की लेखापरीक्षा जांच में 8 व्यापारियों द्वारा एक कैलेण्डर मास से अधिक के लेन-देन को कवर करने वाले ₹ 2.20 करोड़ के कर से संबंधित अवैध "एफ" प्रपत्रों पर अनियमित छूट के नौ मामलों का पता चला।

3.8.9 कर्नाटक में 10 निर्धारण प्रभारों में हमने देखा कि निर्धारण वर्ष 2005-06 से 2007-08 के लिए सीएसटी अधिनियम के तहत निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारियों ने अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में एक कैलेण्डर मास से अधिक के संव्यवहारों को कवर करने वाले घोषणा प्रपत्र "एफ" ₹ 545.06 करोड़ के टर्नओवर के लिए स्वीकृत किये थे। अतः घोषणा प्रपत्रों की जांच के बिना छूट की स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 61.36 करोड़ का कर नहीं लगाया गया था।

3.9 प्रपत्रों की विलम्ब से प्रस्तुति पर अनुमोदित रियायतें

3.9.1 सीएसटी (पंजीकरण एवं टर्नओवर) नियमावली, 1957 के नियम 12(7) के अनुसार प्रपत्र "सी" अथवा प्रपत्र "एफ" की घोषणा अवधि जिससे कि घोषणा अथवा प्रमाण-पत्र संबंधित है, समाप्त होने के बाद तीन माह में विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए बशर्ते कि यदि विहित प्राधिकारी संतुष्ट है कि व्यक्ति के पास इस सूचना को पूर्वोक्त समय के भीतर प्रस्तुत न कर पाने के पर्याप्त कारण थे,

प्राधिकारी ऐसी घोषणा की प्रस्तुति को अतिरिक्त समय में स्वीकार कर सकता है क्योंकि प्राधिकारी यह अनुमति दे सकता है। किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य (1999) 113 एसटीसी 496 (मद्रास) के मामले में यह निर्णय लिया गया था निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया मूल निर्धारण सभी व्यावहारिक प्रयोजनों एवं अपेक्षित राहत के लिए अन्तिम था।

3.9.2 **राजस्थान** में छः निर्धारण अधिकारियों के निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने देखा कि निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारियों ने "सी" 14 मामलों में एवं "एफ" प्रपत्रों के आठ मामले जोकि तीन माह के निर्धारित अवधि के समाप्त होने के बाद चार से लेकर 606 दिनों के विलम्ब के साथ प्रस्तुत किये गए थे, चार से लेकर 606 दिनों के विलम्ब के साथ विलम्ब के कारण को दर्ज किये बिना अस्वीकार किये थे। इसके परिणामस्वरूप व्यापारियों को ₹ 58.07 करोड़ की कर की अनियमित रियायत/छूट मिली। इसके अतिरिक्त ₹ 20.93 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था। हमने आगे 18 निर्धारण अधिकारियों में देखा कि 103 मामलों में प्रपत्र को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्ज किए बिना, ₹ 18.52 करोड़ (₹ 14.34 करोड़ का कर एवं ₹ 4.18 करोड़ का ब्याज) की मांग निर्धारण के बाद 92 निर्धारितियों द्वारा घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करने पर घटा दी गई थी।

3.9.3 **मेघालय** में "सी" प्रपत्रों की नमूना जांच के दौरान हमने देखा कि चार क्षेत्रीय कार्यालयों में 78 व्यापारियों ने 2006-07 एंव 2009-10 के बीच ₹ 291.04 करोड़ के प्रपत्र "सी" देर से प्रस्तुत किये। प्रपत्रों को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि 9 माह से 40 माह के बीच की थी। हमने पाया कि ज्यादातर मामलों में विलम्ब हुआ क्योंकि व्यापारियों नें प्रपत्र निर्धारण के अंतिम समय में प्रस्तुत किये थे जो कि तीन माह की अवधि से पूरी तरह से परे था।

3.9.4 इसी प्रकार एसटी नोंगपोह एवं जोवाई में सात व्यापारियों ने 2006-07 एवं 2009-10 के मध्य 219 "एफ" प्रपत्रों का प्रयोग करते हुए अपने एजेंट/मुखिया को ₹ 192.85 करोड़ मूल्य के माल का अन्तर्राज्यीय स्टॉक हस्तांतरण किया था। इन मामलों में भी व्यापारियों के 9 मास से लेकर 40 मास के विलम्ब से "एफ" प्रपत्र प्रस्तुत किये थे।

3.9.5 उपरोक्त मामलों में निर्धारण अधिकारियों ने बिना किन्हीं दर्ज कारणों के तीन मास की निर्धारित अवधि से ज्यादा में "सी" एवं "एफ" प्रपत्र स्वीकार किये थे, जोकि नियमों का उल्लंघन था।

3.9.6 प्रपत्रों की विलम्बित प्रस्तुति कर योग्य टर्नओवर की चोरी एवं बचाव के जोखिमों से भरा है, इसके अतिरिक्त, खामियों/अनियमितताओं/अधूरे प्रपत्रों/जाली प्रपत्रों का समय पर पता नहीं लग पाता। विलम्बित संशोधन के परिणामस्वरूप विशेषकर व्यापारी द्वारा व्यापार को बंद करने की स्थिति में राजस्व की हानि होती है।

3.10 प्रपत्रों के बिना अनुमोदित रियायतें/छूट

3.10.1 सीएसटी निर्धारण को पूरा करते समय निर्धारण अधिकारी से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि वह कर की रियायती दर जारीकर्ता राज्य के संबंधित निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी केवल वास्तविक एवं वैध सांविधिक प्रपत्रों के आधार पर ही अनुमोदित की जानी है। सीएसटी अधिनियम की धारा 8(1) के साथ पठित धारा 8(4) (ए) के तहत विक्रेता व्यापारी कर की रियायती दर का लाभ उठाने

का हकदार नहीं होगा जब तक वह क्रेता व्यापारी/एजेंट द्वारा निर्धारित ब्यौरे वाला विधिवत भरा एवं हस्ताक्षरित "सी"/"एफ" प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

3.10.2 **केरल** में हमने देखा कि 17 इकाइयों में 80 निर्धारियों के मामले में ₹ 545.82 करोड़ की अन्तर-राज्यीय बिक्री की टर्नओवर राशि का निर्धारण "सी" प्रपत्रों की प्रस्तुति के बिना ही कर की रियायती दर पर किया गया था। इस संबंध में ₹ 92.91 करोड़ के कर के साथ ब्याज एवं शास्ति की कम उगाही हुई। इसके अतिरिक्त 15 कार्यालयों में 53 निर्धारितियों के मामले में ₹ 799 करोड़ राशि की वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय हस्तांतरण पर "एफ" प्रपत्रों की प्रस्तुति के बिना ही छूट दी गई थी। इस संबंध में ब्याज एवं शास्ति सहित ₹ 123.83 करोड़ के कर की कम उगाही हुई थी।

3.10.3 **दिल्ली** में व्यापारी फाइलों की जांच के दौरान हमने देखा कि निम्न 1221 मामलों में निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए व्यापारियों ने शाखा हस्तांतरण/परेषण बिक्री/रियायती दर के आधार पर दो प्रतिशत की दर से कर की छूट पर ₹ 17844.90 करोड़ पर छूट/कर की रियायती दर का दावा किया। हमारी जांच ने संकेत दिया कि व्यापारियों ने उपरोक्त मामलों में विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों तक आवश्यक सांविधिक प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये थे। हमने यह भी देखा कि व्यापारियों में से कुछ ने सांविधिक प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की थी। हालांकि विस्तारित तिथि की समाप्ति के बाद भी व्यापारी प्रपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहे थे। विभाग ने इन व्यापारियों के निर्धारण के लिए कार्यवाही छूट अस्वीकृत नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1255.64 करोड़ के कर की अनियमित छूट दी गई थी। इसके अतिरिक्त, अनियमित दावों के ब्याज एवं शास्ति भी उद्ग्राह्य थी। विवरण निम्न तालिका में दिया जाता है:

संव्यवहार का विवरण	मामलों की संख्या	संव्यवहार का मूल्य	देय कर (₹ करोड़ में)
84 वार्डों में व्यापारियों ने शाखा हस्तांतरण/परेषण बिक्री के समर्थन में निर्धारित "एफ" प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया था	457	12011.35	925.35
97 वार्डों में व्यापारियों ने निर्धारित "सी" प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये थे।	764	5833.55	330.29

3.10.4 **पंजाब** में हमने पाया कि निर्धारण वर्ष 2005-06 से 2008-09 के लिए तीन व्यापारियों के 2010-11 के दौरान निर्धारण को अंतिम रूप देते समय एवं वर्ष 2006-07 एवं 2008-09 के लिए दो व्यापारियों के वार्षिक विवरण के अनुसार, निर्धारण अधिकारी ने "एफ" प्रपत्रों में निर्धारित घोषणाओं की प्रस्तुति के बिना ही ₹ 33.84 करोड़ के शाखा हस्तातंरण पर कटौती अनुमत की। घोषणा प्रपत्रों के समर्थन के बिना कटौती अनुमत करने के परिणामस्वरूप ₹ 4.23 करोड़ का कर नहीं लगाया। इसी प्रकार निर्धारण वर्ष 2001-2002 एवं 2004-05 से लेकर 2008-09 के लिए अप्रैल 2009 एवं मार्च 2011 के मध्य 10 व्यापारियों के निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारियों ने "सी" प्रपत्रों में निर्धारित घोषणाओं के समर्थन के बिना ही ₹ 97.14 करोड़ की अन्तर्राज्यीय बिक्री का निर्धारण सीएसटी की रियायती दर पर किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.31 करोड़ के कर की कम उगाही हुई।

3.10.5 सीएसटी नियमावली के नियम 12(7) के प्रावधान की तहत रियायत/छूट के दावे को प्रमाणित करने के लिए प्रपत्र " सी " एवं "एफ " की घोषणाएं निर्धारित प्राधिकारी को जिस अवधि से घोषणा संबंधित है, के समाप्त होने के बाद तीन मास के अन्दर प्रस्तुत की जानी चाहिए। **बिहार** में सीसीटी ने (अगस्त 2006) एक परिपत्र जारी करके सभी निर्धारण अधिकारियों को, जहां भी व्यापारी ने तीन माह की निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रपत्र " सी " एवं " एफ " की निर्धारित घोषणाएं प्रस्तुत नहीं की थी वहां ब्याज के साथ कर लगाने का निर्देश दिया था। हालांकि 17 सर्कलों में हमने देखा कि 48 व्यापारियों ने 2006-10 की अवधि के दौरान " सी "/ " एफ " प्रपत्रों में निर्धारित घोषणाओं के साथ अपने दावों को समर्थित किये बिना ही ₹ 108.51 करोड़ मूल्य की विभिन्न वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय स्टॉक हस्तांतरण/बिक्री के लिए छूट/रियायतें प्राप्त की थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कटौतियां/छूट प्रासंगिक " सी " एवं "एफ " प्रपत्रों द्वारा प्रमाणित थी, निर्धारण अधिकारी द्वारा रिटर्न की जांच करने की आवश्यकता थी। निर्धारण अधिकारी द्वारा इन अप्रमाणित दावों को अस्वीकृत करने में विफलता के परिणामस्वरूप सीएसटी अधिनियम के तहत ₹ 5.23 करोड़ का कर नहीं लगाया गया। यह सीसीटी के पूर्वोक्त अनुदेश का उल्लंघन भी था। इसके अतिरिक्त, व्यापारी ब्याज अदा करने के लिए भी उत्तरदायी थे।

3.10.6 पाटलीपुत्र सर्कल में हमने देखा कि सात व्यापारियों ने 2007-09 की अवधि के दौरान ₹ 133.41 करोड़ मूल्य की विभिन्न वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय स्टॉक हस्तांतरण/बिक्री पर " सी " एवं " एफ " प्रपत्रों में निर्धारित घोषणाओं के साथ अपने दावों को समर्थित किये बिना ही छूट/रियायत प्राप्त की थी। ये दावे निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किये जाने योग्य थे एवं इन मामलों में ₹ 6.24 करोड़ का कर उद्ग्राह्य था।

3.10.7 **मेघालय** में एसटी नोंग्पोह में हमने देखा कि 14 औद्योगिक इकाइयों ने अन्तर्राज्यीय व्यापार की प्रक्रिया में ₹ 120.95 करोड़ मूल्य की वस्तुएं बेची थीं। तथापि, लिखित में ऐसा कुछ नहीं था जो यह दिखा सके कि ये अन्तर्राज्यीय बिक्रियां किसी घोषणा प्रपत्रों/दस्तावेजी प्रमाणों द्वारा समर्थित थीं। चूंकि ₹ 10.91 करोड़ की छूट एसटीज द्वारा निर्धारण को अंतिम रूप देते समय स्वीकृत की गई थी, इसे सत्यापित नहीं किया जा सका। इसी तरह से एसटी विलियम नगर में जनवरी 2011 में हमने देखा कि दो व्यापारियों ने जनवरी 2008 और सितम्बर 2009 के बीच ₹ 15.99 करोड़ मूल्य का कोयला अन्तर्राज्यीय व्यापार की प्रक्रिया में बेचा एवं रियायती दर पर कर अदायगी का दावा किया। निर्धारण अधिकारी ने इसी के अनुसार अप्रैल 2008 एवं दिसम्बर 2009 के मध्य व्यापारी का निर्धारण किया था। चूंकि ये प्रपत्र अभिलेख पर नहीं मिले, इसलिए उनकी शुद्धता सुनिश्चित की जा सकी।

3.10.8 **तमिलनाडु** में एफटीएसी -II, कोयम्बटूर एवं एग्मोर-II निर्धारण सर्कलों में निर्धारण अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि दो व्यापारियों के संबंध में ₹ 13.24 करोड़ का बिक्री टर्नओवर प्रपत्र "सी " की घोषणाओं द्वारा कवर नहीं किया गया था। हालांकि, उपरोक्त बिक्री टर्नओवर पर कर की रियायती दरें स्वीकृत की गई थीं जिसके परिणामस्वरूप ₹ 80.42 लाख का कर कम लगाया गया था।

3.10.9 **छत्तीसगढ़** में एसी, राजनदगांव के अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि खाद्य तेल, सोडियम नाइट्रेट, फेरो धातु एवं खनन मशीनरी के निर्माण एवं बिक्री में लगे तीन व्यापारियों का अप्रैल 2004 से मार्च 2007 की अवधि के लिए अप्रैल 2007 एवं जून 2009 के मध्य निर्धारण किया गया था। इन व्यापारियों ने ₹ 10.53 करोड़ की बिक्री पर कर की रियायती दरों का लाभ उठाया था। जांच के दौरान

मामले के अभिलेखों में कोई घोषणा प्रपत्र नहीं पाया गया था एवं इसके बावजूद नि.अ. ने इन मामलों में कर की रियायती दर की अनुमति दी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.02 करोड़ का कर नहीं लगाया गया।

3.10.10 **झारखण्ड** में तीन वाणिज्यिक कर सर्कलों में चार व्यापारियों के मामले में हमने देखा कि निर्धारण अधिकारियों ने 2003-07 की अवधि के लिए मार्च 2008 एवं अप्रैल 2009 मध्य निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 11.50 करोड़ मूल्य के राज्य से बाहर के स्टॉक हस्तांतरण पर कर की अदायगी से छूट की अनुमति दी थी जबकि ये संव्यवहार प्रपत्र "एफ" की घोषणाओं द्वारा समर्थित नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप छूट की गलत स्वीकृति हुई एवं फलस्वरूप ₹ 1.34 करोड़ का कर नहीं लगाया गया।

3.10.11 **ओडिशा** ने तीन सर्कलों में हमने देखा कि हालांकि दो व्यापारियों ने "सी" प्रपत्र की घोषणाएं प्रस्तुत नहीं की थी एवं दो व्यापारियों का 1 अप्रैल 2005 एवं 31 मार्च 2007 के मध्य की कर अवधि से संबंधित ₹ 1.55 करोड़ मूल्य के माल की अन्तर्राज्यीय बिक्री के संबंध में एक तरफा निर्धारण हुआ था, निर्धारण अधिकारियों ने (मार्च एवं नवम्बर 2009) कर की रियायती दरें स्वीकृत की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.26 लाख का कर कम लगाया गया था। इसके अतिरिक्त ₹ 7.35 लाख की शास्ति भी लगायी जानी थी।

3.10.12 **सिक्किम** में सीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 एवं 2006-07 से 2008-09 के लिए 2007-08 से 2009-10 के दौरान ₹ 1.84 करोड के सकल टर्नओवर के लिए चार इलायची व्यापारियों का निर्धारण किया गया एवं तद्नुसार कर लगाए गए। हालांकि व्यापारियों के निर्धारण अभिलेखों की जाँच करते समय यह देखा गया कि ₹ 80.45 लाख के उनके अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों के समर्थन में कोई सी प्रपत्र उपलब्ध नहीं था। "सी" प्रपत्रों के आभाव में व्यापारी वर्ष 2004-05 एवं 2006-07 से 2008-09 के लिए क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 4 प्रतिशत के दर से निर्धारित किये जाने के लिए उत्तरदायी थे।

3.10.13 सीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत, **हिमाचल प्रदेश** बिक्री कर रियायत योजना के अन्तर्गत छूट के लिए पात्र औद्योगिक इकाइयां अपनी अन्तर्राज्यीय बिक्रियों पर कर की अदायगी से छूट का दावा कर सकती हैं बशर्ते कि बिक्रियां पंजीकृत व्यापारियों को की गई हो एवं "सी" प्रपत्र की घोषणाओं द्वारा समर्थित हो। एईटीसीज, मण्डी एवं सिरमौर के निर्धारण अभिलेखों की हमारी जांच में पता चला कि वर्ष 2003-04 से 2006-07 के लिए चार औद्योगिक इकाइयों के निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय जिन्हें हिमाचल प्रदेश बिक्रीकर/बीएटी रियायत योजना के तहत राज्य में कर की अदायगी से छूट की अनुमति दी गई थी, उन औद्योगिक इकाइयों को ₹ 53.03 करोड़ मूल्य की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर की अदायगी से छूट की अनुमति दी गई थी जबकि ये संव्यवहार "सी" प्रपत्रों द्वारा समर्थित नहीं थे जैसा कि सीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक था। अतः घोषणा प्रपत्रों के बिना छूट की स्वीकृति अनियमित थी एवं इसके फलस्वरूप ₹ 4.75 करोड़ के ब्याज के साथ ₹ 11.05 करोड़ का कर नहीं लगाया गया।

3.10.14 **आंध्र प्रदेश** में 17 सर्कलों की निर्धारण फाइलों की जांच के दौरान हमने देखा कि 26 मामलों में जबकि ₹ 37.96 करोड़ मूल्य की अन्तर्राज्यीय बिक्री के समर्थन में निर्धारित "सी" प्रपत्रों में घोषणाएं नहीं थी, नि.अ. ने वर्ष 2004-05 से 2008-09 के लिए सितम्बर 2007 एवं मार्च 2010 के मध्य निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय रियायती दरों पर कर लगाया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 83.48 लाख का कर कम लगाया गया था।

3.10.15 पश्चिम बंगाल में एक व्यापारी के मामले में हमने देखा निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत किये गए "एफ" प्रपत्र के आधार पर स्वीकार्य ₹ 1367.88 करोड़ के स्टॉक हस्तांतरण के प्रति ₹ 1475.55 करोड़ की अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 107.67 करोड़ के स्टॉक हस्तांतरण की अतिरिक्त स्वीकृति हुई जो "एफ" प्रपत्रों द्वारा समर्थित नहीं थी एवं ₹ 8.61 करोड़ का कर कम लगाया गया था।

3.10.16 असम में चार निर्धारण अधिकारियों द्वारा नौ व्यापारियों को 2005-06 से 2007-08 के अवधि के दौरान बिना "सी" प्रपत्रों के समर्थन के ₹ 3.74 करोड़ की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर की रियायती दर की अनुमति दी गई। इसके फलस्वरूप ₹ 37 लाख का कर एवं ब्याज नहीं लगाया गया। समान रूप से पांच निर्धारण अधिकारियों ने सात व्यापारियों को 2004-05 से 2008-09 की अवधि के दौरान बिना "एफ" प्रपत्रों के ₹ 42.86 करोड़ मूल्य की वस्तुओं के शाखा हस्तांतरण के दावे को स्वीकार किया जिससे ₹ 7.06 करोड़ का कर एवं ब्याज नहीं लगाया गया।

3.10.17 जम्मू एवं कश्मीर में हमने देखा कि तीन सर्कलों में 13 व्यापारियों ने ₹ 33.95 करोड़ मूल्य की वस्तुओं के लिए "सी" एवं "एफ" प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये थे परन्तु कर की अदायगी से छूट प्राप्त की थी। इसके फलस्वरूप ब्याज के साथ ₹ 8.29 करोड़ के कर की दर गलत छूट/रियायत प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त दो सर्कलों में (जी एवं आई जम्मू), दो व्यापारियों ने, जिनका वर्ष 2008-10 में निर्धारण किया गया था, 2005-07 के दौरान ₹ 33.40 लाख मूल्य की बिक्रियों के लिए घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये थे। हालांकि छूट का दावा किया गया एवं निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुचित रूप से स्वीकार किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.84 लाख के कर की वसूली नहीं की गई। इसके अतिरिक्त जम्मू के वाणिज्यिक कर सर्कलों ("सी" एवं "जी") में हमने देखा कि दो व्यापारियों को कर के भुगतान से छूट दी गई थी जिन्होंने 2005-07 के दौरान ₹ 2.25 करोड़ मूल्य की वस्तुओं के स्टॉक हस्तांतरण के समर्थन में "एफ" प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये थे। निर्धारण अधिकारी ने जून 2008 एवं मार्च 2010 के मध्य निर्धारण को अंतिम रूप देते समय बिना घोषणा प्रपत्र प्राप्त किये छूट की अनुमति दी थी। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 44.16 लाख के प्रभाव वाले कर की छूट गलत तरीके से दी गई थी।

3.11 माल वितरण के सबूत के बिना छूट की मंजूरी

3.11.1 सीएसटी अधिनियम 1956 की धारा 6 ए के अन्तर्गत किसी अन्य स्थान पर ऐसे माल के हस्तातंरण या उसके एजेंट या प्रमुख को जैसा भी मामला हो परन्तु बिक्री के लिए नहीं वरन् कर की छूट हेतु माल के संचलन को साबित करने का भार व्यापारी पर होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए उन्हें दिए गए समय के अन्दर ही यथावत् भरे हुए तथा व्यवसाय के दूसरे के मुख्य अधिकारी द्वारा हस्तांतरित प्रपत्र "एफ" में घोषणा और ऐसे माल के प्रेषण के सबूत निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है और अगर व्यापारी ऐसी घोषणा को प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो इस अधिनियम के सभी उद्देश्यों के लिए ऐसे माल के संचलन बिक्री के लिए ही समझे जाएगें।

3.11.2 राजस्थान में हमने पाया कि प्रपत्र "एफ" के साथ प्रमाण प्रस्तुत न करना सामान्य बात थी और प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में निर्धारण अधिकारियों को छूट की नामंजूरी के लिए निर्देश जारी नहीं किये गये थे। एक निर्धारिती द्वारा सर्कल विशेष-III कोटा में प्रस्तुत किए गए 65 प्रपत्र "एफ" की जाँच से पता चला कि ₹ 186.09 करोड़ के माल के प्रेषण के साक्ष्य प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं थे। फिर

भी निर्धारण अधिकारी ने सम्बंधित वर्ष के लिए व्यापारी के निर्धारण को अंतिम रूप देने के समय अनियमित रूप से इन प्रपत्रों को स्वीकार किया। इन मामलों में कर मे छूट की मंजूरी ₹ 23.26 करोड़ थी जिसकी जाँच की आवश्यकता है।

3.11.3 **हिमाचल प्रदेश** में हमने दो निर्धारण अधिकारी प्रभारों (शिमला और सोलन) में पाया कि दो मामलों में दो व्यापारियों ने अपूर्ण प्रपत्र "एफ" के आधार पर ₹ 127.51 करोड़ के शेयर हस्तांतरण पर छूट का लाभ उठाया था। हमारी संवीक्षा से पता चला कि वांछित विवरण जैसे व्यापारी का नाम और पता और आरसी संख्या एवं लॉरी की ट्रीप शीट या रेलवे रसीद या डाक रसीद या माल रसीद की संख्या और तारीख या कोई अन्य दस्तावेज जोकि परिवहन के साधनों का संकेत करता हो या तारीख जिस पर अंतरिती माल की प्राप्ति की गई हो, का उल्लेख नहीं किया गया था। शिमला के एक मामले में व्यापारी ने वर्ष 2008-09 के दौरान हुए लेन-देन को प्रपत्र "एफ" में दर्शाए गए हस्तांतरण के महीने और पते को मिटा कर दोबारा लिखा। उपर्युक्त विवरणों के अभाव में, इन फॉर्मो को प्रथम दृष्टया अस्वीकृत किया जाना चाहिए था और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ₹ 127.51 करोड़ के माल हस्तांतरण पर कर लगाया जाना चाहिए था। निर्धारण अधिकारियों के द्वारा इन सभी फॉर्मो की अनुचित जाँच के परिणामस्वरूप ₹ 11.85 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 27.77 करोड़ का कर नहीं लगाया गया।

3.12 कर का अपवंचन

3.12.1 अन्तर-राज्यीय व्यापार में राजस्व के निःसरन से बचने के लिए एक प्रभावी तरीका चेकपोस्ट जाँच प्रणाली है। **तमिलनाडु** में हमने राज्य के राजस्व हितों की रक्षा के क्रम में प्रमुख तेल कम्पनियों के अंतर-राज्यीय लेन-देन को मोनिटरिंग करने में प्रणाली की पर्याप्तता प्रभावकारिता का अध्ययन किया।

इस राज्य से पेट्रोलियम उत्पादो के वास्तविक संचलन को सुनिश्चित करने हेतु हमने वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान दो प्रमुख तेल कम्पनियों द्वारा पुदुचेरी के क्रेता व्यापारियों को पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर-राज्यीय बिक्री का दोतरफा जाँच संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी की सीमा पर स्थित वाणिज्य कर चेकपोस्ट के अभिलेखों के प्रति किया।

चैकपोस्ट पर रखे गए संचलन रजिस्टरों एवं स्वचालित चैक पोस्ट माड्यूल में जमा विवरणों से हमने पाया कि कुछ लेन-देनों को छोड़कर पेट्रोलियम पदार्थो के उत्पादों की अन्तर-राज्यीय बिक्री से सम्बंधित बाकी सारे लेन-देन, जिसकी संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी में प्रेषित करने की घोषणा की गई थी, चैक पोस्ट रजिस्टरों में वाहनों के आवगमन के प्रमाण के रूप में दर्ज नहीं थे जिससे पता चलता है कि सारा माल राज्य से बाहर नहीं गया था।

संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी में पेट्रोलियम उत्पादों के प्रेषण से संबंधित जानकारी और वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए दो तेल कम्पनियों के चेक पोस्ट के संदर्भ में आवागमन की उल्लिखित संख्या का विवरण आगे तालिका में दिया गया हैः

कम्पनी का नाम	यू.टी. पुदुचेरी में माल का संचलन		चेक पोस्ट रिकॉर्ड के अनुसार प्रवेश	
	नम्बर	मूल्य (₹ करोड़ में)	नम्बर	मूल्य (₹ करोड़ में)
मै. इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड	30,862	1,170.64	383	14.63
मैसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	17,491	754.26	753	102.09

हमने तमिलनाडु के अन्दर हुई माल की बिक्री और तमिलनाडु तथा संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी में प्रचलित पेट्रोलियम उत्पादों के कर दरों में व्यापक भिन्नता का फायदा उठाने व अन्तर-राज्यीय बिक्री के रूप में चोरी से माल बेचने की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया, जो इस प्रकार थेः

माल	तमिलनाडु		पुदुचेरी	
	अवधि	दर	अवधि	दर
डीजल आयल	1.4.2007 से 5.6.2008	23.43 %	1.4.2007 से 6.11.2009	12.5 %
	6.6.2008 से	21.43 %	7.11.2009 से	14 %
पेट्रोल	1.4.2007 से	30 %	1.4.2007 से 6.11.2009	12.5 %
			7.11.2009 से	15 %

वाणिज्यिक कर विभाग के प्रवर्तन विंग ने अक्टूबर/नवम्बर 2010 के दौरान पुदुचेरी के लिए बाधित तेल टैंकरों के आवागमन पर प्रधान सचिव तथा वाणिज्यिक कर आयुक्त के निर्देश के आधार पर हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्ष के अनुसरण में अचानक जाँच की और यह पाया कि 26 तेल टैंकर जोकि डीजल/मोटर स्प्रिट ले जा रहे थे, उनमें से 24 वाहनों ने तमिलनाडु सीमा का चैकपोस्ट भी पार नहीं किया था। प्रवर्तन विंग ने उनके द्वारा की गई अचानक जाँच के दौरान कर तथा शुल्क के माध्यम से ₹ 14.28 लाख की राशि एकत्र की। इसके अलावा पुदुचेरी में स्थित दुकानों पर दैनिक बिक्री रिकार्ड के असामान्य मामले, पुस्तक स्टॉक की अधिकता तथा टैंक क्षमता की अधिकता जैसे मामले भी मिले।

हमारे द्वारा यह बताए जाने के बाद तमिलनाडु सरकार ने पेट्रोलियम व्यापारियों द्वारा अपवंचनात्मक व्यापार कार्यों के लोग होने के संदर्भ में हमारी लेखापरीक्षा को स्वीकार (मई 2011) करते हुए कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों में "ट्रांजिट पास" प्रणाली लाने के लिए व बीच में छोड़ने की बुराई को रोकने के लिए तमिलनाडु मूल्य वर्धित कर अधिनियम में संशोधन के लिए प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

3.12.2 **हरियाणा** में विक्रेता व्यापारी के निर्धारण रिकॉर्ड की दोतरफा जाँच तमिलनाडु के एक व्यापारी द्वारा अंतर-राज्यीय क्रय के संदर्भ मे प्रस्तुत उपयोगिता लेखने के प्रति करने के दौरान हमने पाया कि व्यापारी ने दावे किए थे और निर्धारण वर्ष 2006-07 में 2009-10 के लिए, ₹ 1.33 करोड़ की बिक्री पर रियायती दर लगायी गयी थी (फरवरी 2010) जबकि तमिलनाडु के क्रेता व्यापारी ने इसी प्रपत्र के प्रति ₹ 4.21 करोड़ की खरीद दर्शायी थी। इस प्रकार, विक्रेता व्यापारी द्वारा ₹ 2.88 करोड़ की बिक्री को छुपाया गया था। विभाग द्वारा घोषणा प्रपत्र का सत्यापन नहीं करने से ₹ 23.09 लाख के कर का कम निर्धारण किया गया, इस परिकल्पना के आधार पर कि यह माल राज्य में स्थानीय रूप से बेचा गया था। इसके अलावा, अधिनियम के तहत जुर्माना भी लगाया जाना था। उत्पाद शुल्क तथा कराधान विभाग ने इन तथ्यों को स्वीकार किया।

3.13 अंतर-राज्यीय बिक्री का कम लेखांकन

3.13.1 **कर्नाटक** में पाँच निर्धारण प्रभारों में 11 व्यापारियों के रिटर्नों की जाँच में हमने पाया कि उनके द्वारा भरे हुए तथा प्रस्तुत प्रपत्र "सी" में दर्ज अंतर-राज्यीय बिक्री वर्ष 2005-06 से 2007-08 की अवधि के लिए मासिक तथा वार्षिक रिटर्नो मे दिखायी गयी अंतर-राज्यीय बिक्री से ₹ 1.20 करोड़ अधिक थी। यह दर्शाता है कि 2008-09 से 2009-10 के बीच रिटर्न के आधार पर मांगों को बढ़ाते तथा स्वीकार करते समय निर्धारण अधिकारियों ने व्यापारियों द्वारा भरे रिटर्न के साथ घोषणापत्र में वर्णित आंकडों को नहीं मिलाया था। इस प्रकार 2005-06 से 2007-08 तक की अवधि के लिए ₹ 1.20 करोड़ के मूल्य की बिक्री जिसमें ₹ 4.46 लाख का कर अंतर्ग्रस्त था का निर्धारण नहीं हुआ। इसके अलावा, चूंकि व्यापारियों ने अपने रिटर्न में बिक्री को छुपाया था ब्याज तथा जुर्माना भी उद्ग्राहय था।

निर्धारण में अन्य गलतियाँ

3.14 कर की गलत दर का लगाया जाना

3.14.1 **झारखण्ड** में छः वाणिज्यिक कर मंडलों में 15 व्यापारियों के मामलों में हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने फरवरी 2008 और अप्रैल 2010 के बीच 2006-08 की अवधि के लिए निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, प्रपत्र "सी" में घोषणा प्रस्तुत न करने के कारण ₹ 579.30 करोड़ के कर योग्य कारोबार पर रियायती दर अस्वीकृत कर दी परन्तु गलती से ₹ 47.22 करोड़ के कर के बजाय ₹ 23.24 करोड़ कर लगाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.98 करोड़ का कर कम लगाया गया।

3.14.2 **मेघालय** में हमने एसटी, विलियम नगर के अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया कि दो व्यापारियों ने अन्तर-राज्यीय व्यापार के संदर्भ में अप्रैल और मई 2008 के बीच में ₹ 3.33 करोड़ मूल्य का कोयला बेचा और अपनी बिक्री के समर्थन में प्रपत्र "सी" में घोषणाएँ प्रस्तुत की। तथापि, एसटी द्वारा जुलाई 2008 में व्यापारियों का निर्धारण करते समय उनके द्वारा देय कर की गणना गलती से तीन प्रतिशत की बजाय दो प्रतिशत की दर से की जिसके कारण ₹ 3.33 लाख के कर का कम निर्धारण किया गया।

3.14.3 **राजस्थान** में हमने विशेष सर्कल, अलवर में देखा कि एक व्यापारी ने पूर्वोक्त बिक्री के समर्थन में प्रपत्र "सी" जमा किए बिना अतंर-राज्यीय व्यापार के दौरान ₹ 3.25 करोड़ का माल बेचा। हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने विशिष्ट कर के निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (मार्च 2010) 9.5 प्रतिशत के सही कर के अन्तर के बजाए एक प्रतिशत लगाया। इस प्रकार प्रपत्र "सी" के बिना बिक्री पर कर के रियायती दर के अनियमित निर्धारण से ₹ 9.38 लाख के ब्याज के अलावा ₹ 27.59 करोड़ का कम निर्धारण किया गया। जब हमने इस पर ध्यान दिलाया तो ब्याज सहित ₹ 37.52 लाख की मांग की गई।

3.14.4 वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्किल बी, भिवाड़ी के एक दूसरे मामले में 2009-10 की अवधि के लिए हमने पाया कि एक व्यापारी (मै. स्वास्तिक तेल मील, भिवाड़ी) ने वर्ष 2007-08 के दौरान प्रपत्र "सी" की घोषणा में वनस्पति घी पर एक प्रतिशत की दर पर में ₹ 10.33 करोड़ की अंतर-राज्यीय बिक्री की। निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (मार्च 2010) निर्धारण अधिकारी ने घोषणापत्रों को प्रस्तुत न करने पर लागू तीन प्रतिशत कर के अन्तर के बजाय एक प्रतिशत की दर पर कर लगाए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 20.65 लाख के कर तथा ₹ 5.91 लाख का कम ब्याज लगाया गया। जब हमने इस पर ध्यान दिलाया तो कर तथा ब्याज से संबंधित ₹ 27.40 लाख की मांग की गई।

3.14.5 **उत्तर प्रदेश** में डीसी-5 सीटी गाजियाबाद में हमने पाया कि एक व्यापारी ने वर्ष 2003-04 के दौरान ₹ 1.51 करोड़ की दवाईयों के स्टॉक मुम्बई डिपो को प्रपत्र "एफ" में घोषणा के प्रति हस्तांतरित किया था। व्यापारी को 2003-04 के दौरान किए गए लेन-देन के लिए कोई छूट अनुमत नहीं थी क्योंकि सीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत उसने पंजीकरण प्रमाणपत्र 2 जून 2004 को प्राप्त किया था। मार्च 2006 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारी ने इस तथ्य की जांच नहीं की और छूट दे दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.15 लाख के कर की अनियमित छूट दी गई।

3.14.6 डीसी कानपुर के एक अन्य मामले में हमने देखा कि वर्ष 2006-07 के दौरान एक व्यापारी ने लगभग ₹ 4.31 करोड़ के आयात लाइसेंस की अंतर-राज्यीय बिक्री की, जोकि प्रपत्र "सी" में दर्शाया नहीं गया था। इसलिए व्यापारी पर ₹ 43.10 लाख कर की देयता थी। मार्च 2009 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारी ने कर नहीं लगाया।

3.15 ब्याज/शास्ति नहीं लगाया जाना

3.15.1 **झारखण्ड** में हमने चार वाणिज्यिक कर सर्कल में पाया कि कोयला और लोहे के व्यापार में लगे 13 व्यापारियों ने ₹ 57.50 करोड़ के रियायती दर के कर पर वर्ष 2006-08 की अवधि के दौरान ₹ 1481.10 करोड़ की अन्तर-राज्यीय बिक्री पर लाभ प्राप्त किया। चूंकि निर्धारण के समय व्यापारियों ने प्रपत्र "सी" में घोषणा को प्रस्तुत नहीं किया था, मार्च 2009 व अप्रैल 2010 के बीच निर्धारण को अंतिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारियों ने ₹ 120.89 करोड़ का कर लगाया। यद्यपि कर पूरी दर पर लगाया गया था निर्धारण अधिकारियों ने ₹ 63.39 करोड़ की बकाया राशि पर ब्याज और जुर्माना नहीं लगाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 53.17 करोड़ के ब्याज और जुर्माना नहीं लगाया गया।

3.15.2 **पश्चिम बंगाल** में कॉरपोरेट डिवीजन (सीडी 2012) में हमने पाया कि 2004-05 की निर्धारण अवधि के लिए जून 2007 में एक व्यापारी का निर्धारण करते समय निर्धारण अधिकारी ने जाली प्रपत्र "एफ" के प्रति ₹ 12.79 करोड़ के माल के हस्तांतरण का दावा पाया और इसे एक अंतर-राज्यीय बिक्री की तरह लेते हुए हस्तांतरण पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगाया। निर्धारण अधिकारी ने पाया कि माल गन्तव्य राज्य तक पहुंचने से पहले ही बेच दिया जाता था। हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरित के बीच संबंध प्रधान तथा एजेट की तरह नहीं थे परंतु विक्रेता और क्रेता की तरह थे। यद्यपि निर्धारण अधिकारी ने इन तथ्यों का निर्धारण में उल्लेख यह सिद्ध करने के लिए किया कि व्यापारी का उद्देश्य कर का अपवंचन करना था, उसने न तो ₹ 1.92 करोड़ की न्यूनतम शास्ति लगाई और न ही ऐसा करने के लिए कोई कारण रिकार्ड किया।

3.15.3 **आंध्र प्रदेश** में हमने देखा कि चार व्यापारियों ने वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए जाली प्रपत्र प्रस्तुत किया था तथा जानबूझकर कर अपवंचन का प्रयास किया पर, देय जुर्माना नही लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 49.13 करोड़ का जुर्माना नहीं लगाया गया।

3.15.4 **कर्नाटक** में हमने एसीसीटी, एलवीओ-035, बैंगलोर में नमूना जांच के सीएसटी निर्धारण के दौरान पाया कि वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए व्यापारी की निर्धारण संवीक्षा को अंतिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारी ने प्रपत्र "सी" न भरने के लिए ₹ 1.24 करोड़ का कर लगाया और वैट प्रपत्र 180 में मांग नोटिस जारी किया। तथापि, निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज तथा जुर्माना लगाने में चूक हुई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 69.32 लाख की जुर्माना और ब्याज नहीं लगाया गया।

अध्याय IV
क्रेता व्यापारियों का निर्धारण

अध्याय-IV
क्रेता व्यापारियों का निर्धारण

4.1 इस अध्याय में हमने कुछ चुनिंदा मामले प्रस्तुत किए हैं, जहाँ प्रणाली में निहित कमियाँ जैसे व्यापारियों द्वारा रिटर्न/उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की मानिटरिंग न होना और राज्य के सीटीडीज के साथ उन मामलों की दोतरफा जाँच न करना जहाँ पर विक्रेता व्यापारी आधारित थे, का क्रेता व्यापारियों द्वारा कर से बचने के लिए दोहन किया गया।

4.2 जाली प्रपत्र

4.2.1 हमने कुछ मामले पाये जहाँ अंतर-राज्यीय खरीद ऐसे घोषणा प्रपत्रों के आधार पर की गयी थी जिसके संबंध में संबंधित सीटीडीज द्वारा यह पुष्टि की गयी कि वे उनके द्वारा जारी नहीं किये गये थे। इस प्रकार, जाली प्रपत्र का उपयोग करके बेईमान व्यापारियों द्वारा अंतर-राज्यीय खरीद की गई, जिनको सीटीडीज द्वारा पकड़ा नहीं जा सका।

4.2.2 **महाराष्ट्र** में नागपुर डिवीजन में हमने छः राज्यों (गोवा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु) के एसटीडीज से एकत्र आँकड़ों की दोतरफा जाँच में पाया कि महाराष्ट्र में 68 मामलों में 39 व्यापारियों ने 2004-05 से 2009-10 की अवधि के दौरान ₹ 15.94 करोड़ की कीमत का माल खरीदा था। अंतर-राज्यीय खरीद महाराष्ट्र के क्रेता व्यापारियों द्वारा विक्रेता व्यापारियों को 68 प्रपत्र "सी" उपलबध कराने के आधार पर की गई थी। हमने खरीद के विवरण की जाँच औरगांबाद, धुले, नागपुर, नासिक के डिवीजन कार्यालयों में केन्द्रीय रिपोजिटरी में उपलब्ध स्टॉक रजिस्टर और संबंधित फाइलों के आधार पर किया और पाया कि ये प्रपत्र "सी" राज्य के एसटीडी द्वारा जारी नहीं किए गए थे। इस तथ्य की संबंधित डिवीजनों के द्वारा भी पुष्टि की गई थी। इससे संकेत मिलता है कि राज्य में व्यापारियों द्वारा प्रमाणित प्रपत्र "सी" पर यह खरीद नहीं की गई थी। इन जाली प्रपत्र के आधार पर की गई खरीद की अच्छी तरह से जाँच की जरूरत है।

हम कुछ अन्य मामलों का विवरण निम्नलिखित पैराग्राफ में दे रहे हैं।

4.2.3 **झारखण्ड** में हमने पाया कि 13 वाणिज्यिक कर सर्कलों में पंजीकृत 25 व्यापारियों द्वारा 2006-09 के बीच 17 प्रपत्र "एफ" और 42 प्रपत्र "सी" के तहत खाद्य तेल, मोटर पार्ट, स्नेहक, दवा, खाद्य उत्पाद, इलेक्ट्रानिक सामान, आदि सामान 20 निर्माताओं से प्राप्त किया गया था। संबंधित

वाणिज्यिक कर सर्कल द्वारा बनाए गए बहीखातों से हमने पाया कि ये प्रपत्र इन व्यापारियों को जारी नहीं किए गए थे। जून 2008 और मार्च 2011 के बीच निर्धारण को अंतिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारी भी इन व्यापारियों का पता नहीं लगा सके, जैसा कि 2.3 पैरा में बताया गया है, क्योंकि रिटर्न के साथ घोषणापत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। फलस्वरूप ₹ 10.38 करोड़ के कारोबार को निर्धारण में शामिल नहीं किया जा सका और ₹ 0.95 करोड़ की अनिवार्य शास्ति सहित ₹ 1.42 करोड़ का कर नहीं लगाया गया।

4.2.4 हमने यह भी पाया कि 53 प्रपत्र "सी" तथा चार प्रपत्र "एफ" और के प्रति तीन राज्यों (आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान) के 19 निर्माताओं से वर्ष 2003-06 के दौरान नौ वाणिज्यिक कर सर्कलों में पंजीकृत 21 व्यापारियों द्वारा खाद्य तेल, मार्बल और सीमेंट क्लिंकर की प्राप्ति की गयी। सम्बंधित वाणिज्यिक कर सर्कल के लेजर से हमें पता चला कि ये प्रपत्र उन व्यापारियों को जारी नहीं किए गए थे। सितम्बर 2004 और मार्च 2009 के बीच निर्धारण को अंतिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारी उन चूककर्त्ता व्यापारियों का पता नहीं लगा सके। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.16 करोड़ के कारोबार को निर्धारण में शामिल नहीं किया जा सका और ₹ 2.53 करोड़ की अनिवार्य शास्ति सहित ₹ 3.46 करोड़ का कर नहीं लगाया गया।

4.2.5 एक अन्य मामले में हमने पाया कि 2006-07 के दौरान एक जाली प्रपत्र "सी" के आधार पर एक वाणिज्यिक कर सर्कल हजारीबाग में पंजीकृत व्यापारी ने ओडिशा से ₹ 1.81 लाख मूल्य के चावल खरीदे। निर्धारण को जुलाई 2009 में अंतिम रूप दिया गया। झारखण्ड में चावल कर से मुक्त होने के कारण राजस्व की हानि का पता नहीं लगाया जा सकता था।

4.2.6 **राजस्थान** में व्यापारी/एजेंट द्वारा अन्तर-राज्यीय बिक्री/हस्तातंरण से संबंधित "सी" एवं "एफ" प्रपत्रों का छः राज्यों (छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, नागालैंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के व्यापारियों द्वारा अन्तर-राज्यीय खरीद/हस्तांतरण के संबंध में घोषणा पत्रों के उपयोग में लाने के प्रति हमारी दोतरफा जाँच से पता चला कि दस व्यापारियों/एंजेटों ने जाली प्रपत्र के प्रति ₹ 1.67 करोड़ राशि की सीएसटी में 16 प्रपत्र (15 प्रपत्र "सी" और एक प्रपत्र "एफ") की छूट/रियायती दर का दावा किया था जोकि व्यापारियों को जारी नहीं किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.15 लाख का सीएसटी कम लगाया गया था। इसके अलावा ₹ 8.08 लाख की शास्ति भी उद्ग्राहय थी।

4.2.7 **नागालैंड** में सीओटी ने 16.07.2001 की अधिसूचना द्वारा 3,95,783 प्रपत्र "सी" को 11.06.2001 से अप्रचलित और अवैध घोषित किया था और अधिसूचना को अन्य राज्यों के कर विभाग में अनुपालन के लिए पृष्ठांकित किया गया था।

4.2.8 हमारी अन्य राज्यों के घोषणापत्रों की दोतरफा जांच से पता चला कि 2007-08 की अवधि के दौरान नागालैंड के एक पंजीकृत व्यापारी ने झारखण्ड से ₹ 10.80 करोड़ मूल्य का माल लाने के लिए चार प्रपत्र "सी" का उपयोग किया था। हमारी जाँच से आगे पता चला कि व्यापारी द्वारा उपयोग किए गए ये प्रपत्र "सी" जाली थे क्योंकि असली प्रपत्र किसी व्यापारी को जारी नहीं किए गए और इसके बजाय एस.टी. वोखा द्वारा आयकर आयुक्त; नागालैंड (दिसम्बर 2000) को वापस कर दिए गए थे। इस

प्रकार व्यापारी ने चार जाली प्रपत्र "सी" का उपयोग करके ₹ 10.80 करोड़ के कारोबार की खरीद को छुपाया और ₹ 1.35 करोड़ की कर अपवंचना की। इसके अलावा व्यापारी पर ₹ 4.05 करोड़ की शास्ति भी उद्ग्राहय थी।

4.3 घोषणापत्रों के दुरूपयोग के कारण कर की चोरी

4.3.1 हमने कई मामलें पाए जहाँ माल उन फर्मो द्वारा आयात किया गया जिनके नाम पर प्रपत्र जारी नहीं किया गया या जहाँ पर आयात किए माल की व्यापारियों द्वारा कर के उद्देश्य से घोषणा नहीं की गई। उपयोगी प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने हेतु दबाव नहीं डालने के कारण या निर्धारण की विस्तृत जाँच न करने के कारण यह सीटीडी के ध्यान में नहीं आए।

हमनें कुछ मामलों को नीचे उजागर किया है:

4.3.2 जैसाकि इस रिपोर्ट में पहले पैरा 2.10.23 में कहा गया है **अरूणाचल प्रदेश** में, विभाग आधारभूत जानकारी जैसे मुद्रित प्रपत्रों की संख्या या प्रपत्रों के शुरूआती स्टॉक आदि नहीं दे सका जिससे सीटीडी के कमजोर नियंत्रण का पता चलता हैं। परिणामस्वरूप अरूणाचल प्रदेश में हमने कुछ मामलों को देखा जहाँ कर का अपवंचन था। निम्नलिखित पैराग्राफ में हमनें कुछ उदाहरण दिए हैं।

4.3.3 हमने पाया कि सीएसटी अधिनियम के तहत खोनसा इकाई कार्यालय में पंजीकृत दो व्यापारियों मै. चकबन क्रूशिंग यूनिट और मै. तेजम इंटरप्राइजेज ने राज्य के बाहर से माल खरीदने के लिए निर्धारण अधिकारी से प्रपत्र "सी" घोषणापत्र प्राप्त किए। व्यापारियों ने घोषणापत्रों के समर्थन में कोई उपयोग प्रमाणपत्र नहीं दिया। असम से प्राप्त घोषणापत्रों की दोतरफा जाँच के दौरान हमने पाया कि इन व्यापारियों ने जारी प्रपत्र "सी" का उपयोग करके 2003-04 और 2004-05 के दौरान गुवाहटी के एक व्यापारी मै. लाफार्ज इंडिया (प्रा) लिमिटेड से ₹ 2.49 करोड़ मूल्य के सीमेंट का आयात किया था। मैं. लाफार्ज इंडिया (प्रा) लिमिटेड के रिकार्ड के अनुसार मै. चकबन क्रशिंग यूनिट को जारी दो प्रपत्र किसी दूसरी फर्म द्वारा उपयोग कर लिए गए जबकि मैं. तेजम एंटरप्राइजिज़ को जारी दो प्रपत्रों का मैं. टी.जे एनटरप्राइजिज़ द्वारा क्रमशः ₹ 1.81 करोड़ तथा ₹ 67.22 लाख के सींमेट खरीदने के लिए उपयोग किया गया। एस.टी. खोनसा ने सूचित किया कि दोनों व्यापारी जिनके नाम के प्रपत्र उपयोग किए गए थे, वे पंजीकृत नहीं थे। मैं. चकबन क्रशिंग यूनिट और मैं. तेजम एनटरप्राइजिज द्वारा कर अपवंचन के लिए अपनायी गयी धोखाधड़ी की प्रक्रिया सीटीडी के ध्यान में नहीं आयी। इस तरह, व्यापारियों ने अरूणाचल प्रदेश बिक्री कर अधिनियम के तहत ₹ 2.49 करोड़ के दायर कारोबार को छुपाया और ₹ 19.89 लाख का कर अपवंचन किया गया। इसके अलावा ₹ 27.83 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

4.3.4 एक इकाई में हमने एक मामला देखा जहाँ सीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारियों को माल के आयात के लिए 11 प्रपत्र "एफ" जारी किए गए थे। व्यापारी ने न तो अरूणाचल प्रदेश माल अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन दिया और न ही विभाग ने उसे पंजीकृत करने के लिए कोई कदम उठाया। हमने पाया कि एक व्यापारी ने उत्तर प्रदेश के व्यापारी से दो प्रपत्र "एफ" के उपयोग

द्वारा 2005-06 के दौरान ₹ 3.40 करोड़ के मूल्य का मक्खन आयात किया जोकि निर्धारण अधिकारी के ध्यान में नहीं आया। चूंकि व्यापारी राज्य कर अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं थे, उन्होंने मक्खन के पूर्वोक्त आयात पर स्वीकार्य कर के भुगतान के साथ कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 42.53 लाख के कर का अपवचंन हुआ। इसके अलावा ₹ 51.04 लाख का ब्याज और ₹ एक लाख की शास्ति भी उद्ग्रहणीय थी।

4.3.5 हमने कर अधीक्षक ईटानगर जोन-II, के रिकॉर्ड की नमूना जाँच के दौरान यह भी पाया कि एक व्यापारी एपीजीटी तथा सीएसटी अधिनियम दोनों के तहत पंजीकृत था और व्यापारी को प्रपत्र "एफ" राज्य के अन्दर माल के आयात के लिए जारी किए गए थे। व्यापारी ने लेखापरीक्षा की तारीख (मई 2010) तक उपयोग हुए प्रपत्र की जानकारी प्रस्तुत नहीं की थी। हमने एक असम आधारित व्यापारी के साथ पूर्वोक्त व्यापारी के रिकॉर्ड की दोतरफा जाँच की और यह पाया कि उसे जारी किए प्रपत्र "एफ" का उपयोग एक अपंजीकृत व्यापारी के नाम पर हुआ तथा 2006-07 व 2007-08 के बीच ₹ 1.85 करोड़ मूल्य का कर योग्य माल आयात किया गया। एक व्यापारी ने कर देयता से बचने के लिए एक अपंजीकृत व्यापारी के नाम पर माल का आयात किया और ₹ 1.85 करोड़ के दायर कारोबार को छुपाया। इस तरह के प्रपत्र "एफ" के दुरूपयोग के परिणामस्वरूप कम से कम ₹ 7.40 लाख के कर का अपवंचन हुआ। इसके अलावा ₹ 4.30 लाख का ब्याज और ₹ 14.80 लाख की शास्ति भी उद्ग्रहणीय थी।

4.3.6 इसी तरह, हमने लेखापरीक्षा कार्यालय, असम, गुवाहटी से एसटी तेजू के अधिकार के अन्तर्गत दो व्यापारियों द्वारा वर्ष 2006-07 व 2007-08 के दौरान दो असम आधारित व्यापारियों से प्रपत्र "सी" की पाँच घोषणाओं का उपयोग करके ₹ 82.65 लाख के मूल्य का कर योग्य माल खरीदने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। हमने एसटी, तेजू के रिकॉर्ड की दोतरफा जाँच की और पाया कि पूर्वोक्त दो क्रेता व्यापारी वहाँ पर पंजीकृत नहीं थे। प्रपत्र "सी" के जारी रजिस्टर की आगे जाँच पर हमने देखा कि प्रपत्र "सी" एसटी तेजू के अधिकार , के तहत पंजीकृत चार भिन्न व्यापारियों को जारी किए गए थे। इस प्रकार, इन चार पंजीकृत व्यापारियों ने घोषणापत्रों का दुरूपयोग किया और अपंजीकृत व्यापारियों के नाम पर ₹ 82.65 लाख के मूल्य का कर योग्य माल आयात किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.33 लाख के कर और ₹ 5.69 लाख के ब्याज का अपवंचन हुआ। इसके अलावा ₹ 20.66 लाख की शास्ति भी उद्ग्रहणीय थी।

4.3.7 **नागालैण्ड** में एनई चार्ज सर्कल, सिक्किम में पंजीकृत एक व्यापारी द्वारा निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किए घोषणापत्रों की दोतरफा जाँच से पता चला कि दो क्रेता व्यापारियों (एसटी, वोखा के तहत पंजीकृत मै. क्योंग हार्डवेयर और एसीटी दीम्मापुर के अन्तर्गत पंजीकृत मै. झीमोमी एनटरप्राइजिज) ने 25 प्रपत्र "एफ" का उपयोग करके 2007-09 के दौरान ₹ 2.62 करोड़ का माल आयात किया। दोतरफा जाँच में यह पता चला कि उपयोग किए गए प्रपत्र विभाग द्वारा जून 2001 (जैसाकि पैरा 2.10.18 में वर्णित है) में अप्रचलित धोषित कर दिए गए थे। विभाग ने यह भी कहा (नवम्बर 2011) कि प्रपत्र इन व्यापारियों को जारी नहीं किए गए थे। इस तरह अप्रचलित प्रपत्र के उपयोग के परिणामस्वरूप दो व्यापारियों द्वारा ₹ 2.62 करोड़ के माल का अनियमित आयात हुआ। व्यापारियों ने इन आयातों को

उनकी रिकार्ड में शामिल नहीं किया, इस प्रकार, नागालैण्ड वैट की ₹ 32.81 लाख की राशि का भी अपवंचन किया गया।

4.3.8 **मेघालय** में एसटी, सर्कल-I, शिलांग के रिकॉर्ड की नमूना जॉच के दौरान एक मामले में हमने पाया कि एक व्यापारी मेघालय के वैट अधिनियम और सीएसटी अधिनियम दोनों के तहत सब्जियों, फलों, प्याज, चायपत्ती, दाले, खाद्य तेल के खरीद व बिक्री के लिए पंजीकृत था। तेजपुर बिक्री कर यूनिट कार्यालय, असम में पंजीकृत एक अन्य व्यापारी के रिकॉर्ड के साथ एक व्यापारी द्वारा जारी प्रपत्र "सी" की दोतरफा जांच में हमें पता चला कि व्यापारी ने प्रपत्र "सी" में दो घोषणाओं का उपयोग करके जनवरी 2007 तथा मार्च 2008 के बीच तेजपुर के व्यापारी से ₹ 18.96 लाख का सीमेंट खरीदा था। हालांकि व्यापारी द्वारा इस बिक्री का खुलासा नहीं किया गया और कोई कर अदा नहीं किया गया था। ₹ 18.96 लाख के इस कारोबार को छिपाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.37 लाख के कर का अपवंचन हुआ। इसके अलावा वह ₹ 1.58 लाख के ब्याज और जानबूझकर बिक्री को छुपाने के लिए ₹ 4.74 लाख की शास्ति के भुगतान का भी उत्तरदायी था।

4.3.9 **झारखण्ड** में हजारीबाग और पलामू वाणिज्यिक कर सर्कल में हमने देखा कि 6 व्यापारियों ने 2005-06 से 2007-08 की अवधि के दौरान ₹ 3.32 करोड़ का खाद्य तेल खरीदने के लिए 11 प्रपत्र "सी" उपयोग किए परन्तु निर्धारण अधिकारी ने कहा कि व्यापारी सर्कल में पंजीकृत नहीं थे और उन्हें प्रपत्र जारी नहीं किए गए थे। इस प्रकार प्रपत्र प्रथम दृष्टया जाली थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 19.89 लाख की अधिकतम शास्ति को शामिल करके ₹ 33.15 लाख की कर राशि नहीं लगाई गई।

4.3.10 **तमिलनाडु** में हमने 15 निर्धारण सर्कल में पंजीकृत 18 व्यापारियों द्वारा अन्य राज्य से रियायती दर पर माल की खरीद/स्टॉक हस्तांतरण पर माल की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पाँच प्रपत्र "सी" और 45 प्रपत्र "एफ" के विवरण की जांच के दौरान पाया कि सम्बंधित व्यापारियों को घोषणा प्रपत्र जारी नहीं किए गए थे। इसी प्रकार व्यापारियों द्वारा माल का क्रय अवैध घोषणा प्रपत्र का उपयोग करके किया गया था।

4.3.11 **जम्मू और कश्मीर** में हमारे द्वारा एकत्र चार राज्यों (गोवा, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) के घोषणा प्रपत्रों के आँकड़ों के अनुसार 2005-06 और 2007-09 में राज्य के चार सर्कल में पंजीकृत चार व्यापारियों द्वारा जारी सात प्रपत्र "सी" के आधार पर ₹ 7.70 करोड़ के मूल्य के माल की अन्तर-राज्यीय खरीद की थी। व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत खपत विवरण के साथ इन घोषणा प्रपत्रों की हमारी जाँच में सम्बंधित निर्धारण अधिकारी से पता चला कि ₹ 7.62 करोड़ के लिए जारी प्रपत्र घोषणा प्रपत्र में वर्णित नामों से अलग अन्य व्यापारियों के नाम पर जारी किए गए थे।

4.3.12 ऐसी खरीद पर क्रेता व्यापारियों द्वारा कर के अपवंचन की सम्भावना की जाँच की जरूरत हैं।

4.4 पंजीकरण प्रमाणपत्र में शामिल न किए गए माल की खरीद

4.4.1 सीएसटी अधिनियम की धारा 7(4) के तहत, पंजीकरण प्रमाण पत्र में संशोधन तभी किया जा सकता है जब पंजीकृत व्यापारी आरसी में अतिरिक्त मद शामिल करने के लिए पंजीकरण प्राधिकारी को एक आवेदन फाइल करे। अधिनियम की धारा 10 (सी) के अनुसार, यदि कोई भी पंजीकृत व्यापारी माल के किसी भी वर्ग की खरीद करते समय झूठा प्रतिनिधित्व करता है कि ऐसे वर्ग का माल उसकी आरसी में शामिल है, तो अधिनियम की धारा 8 (2) के तहत कर की राशि के योग से अधिकतम डेढ़ गुणा जुर्माना देने का उत्तरदायी होगा। हर पंजीकृत व्यापारी को "सी" प्रपत्र के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र जिसमें उनके द्वारा खरीदे हुए माल के मूल्य तथा माल के प्रकार दिखाए गए हो जमा करना आवश्यक है। तमिलनाडु राज्य बनाम अख्तर (1998) 108 एसटीसी 510 (मद्रास उच्च न्यायालय डीबी) के मामले में न्यायालय ने भी फैसले को बरकरार रखा कि पंजीकरण प्रमाण पत्र में अउल्लिखत माल की खरीद सी प्रपत्र के प्रति करना एक अपराध है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

कुछ निदर्शी मामलें निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए हैं :

4.4.2 **मेघालय** में हमने देखा कि एसटीज़ शिलांग, जोवाइ, नोंगपोह और तुरा में 21 व्यापारियों ने वर्ष 2005-06 से 2009-10 के बीच 194 "सी" प्रपत्रों का इस्तेमाल करते हुए कर योग्य माल (मोटर वाहन, निर्माण सामग्री आदि) का आयात किया जिसकी कीमत ₹ 7.47 करोड़ थी। व्यापारियों द्वारा भरे हुए "सी" प्रपत्रों के प्रति सत्यापन पर हमने पाया कि खरीदा हुआ माल राज्य के क्रेता व्यापारी की आरसी में शामिल नहीं था। व्यापारी "सी" प्रपत्रों का दुरूपोग कर पा रहे थे क्योंकि निर्धारण अधिकारियों द्वारा उपयोग विवरणों को प्रस्तुत करने पर जोर नहीं दिया गया था।

4.4.3 **तमिलनाडु** के निर्धारण सर्किल तिरूथुराएपुंडी में वर्ष 2007-08 में एक व्यापारी ने गोवा के एक व्यापारी से ₹ 51.05 लाख का ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रपत्र "सी" द्वारा खरीदा हालांकि वह वस्तु पंजीकरण प्रमाणपत्र में शामिल नहीं थी। इसलिए निर्धारिती "सी" प्रपत्र की घोषणाओं के प्रति घोषणा प्रपत्र के दुरूपयोग के लिए ₹ 3.06 लाख जुर्माना लगाया जाना था।

4.4.4 **उत्तर प्रदेश** मे हमने पाया कि वर्ष 2005-06 से 2007-08 (दिसम्बर 2007 तक) में इन व्यापारियों ने ₹ 2.19 करोड मूल्य का माल प्रपत्र "सी" में घोषणाओं के प्रति खरीदा जो कि उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र में कवर नहीं था। निर्धारण अधिकारी ने जनवरी 2009 और मार्च 2010 के बीच निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 30.42 लाख का अधिकतम जुर्माना नहीं लगाया।

4.5 रिटर्नों की त्रुटिपूर्ण जांच

4.5.1 अधिकांश राज्यों में सीएसटी अधिनियम/नियम या विभागीय अनुदेशों में अपेक्षित है कि व्यापारी घोषणा प्रपत्रों का उपयोग विवरण नए घोषणा प्रपत्र के लिए आवेदन के समय जमा करें। इस प्रकार के उपयोग विवरण निर्धारण अधिकारियों द्वारा रिटर्नों/निर्धारणों की जांच के समय सत्यापन के लिए केस रिकार्डों में रखे जाने चाहिए।

4.5.2 नागालैंड में नियमित लेखापरीक्षा के दौरान जून 2011 में हमने कोहिमा, नागालैंड में पंजीकृत एक व्यापारी मैसर्स किम हुंडई, जो मध्यम मोटर वाहन, मोटर वाहनों के चेचिस, स्पेयर पार्टस और सहायक सामग्री आदि का व्यापार कर रहा था, के अभिलेख से पाया कि मेघालय के वाणिज्यिक कर विभाग ने जनवरी 2008 में बताया था कि वर्ष 2004-05 के दौरान ₹ 8.10 करोड़ मूल्य का माल मैसर्स किम हुंडई द्वारा शेयर हस्तांतरण के रूप में मेघालय से स्थानांतरित किया गया था। हमने कहा कि इस लेनदेन को 2004-05 (जून 2011) के खातों में नहीं लिया गया है, जिसकी प्रतिक्रिया में, विभाग ने जुलाई 2011 में व्यापारी को ₹ 97.27 लाख का मांग-पत्र जारी किया।

वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए घोषणा प्रपत्रों की दोतरफा जांच के दौरान हमने कोहिमा, नागालैंड में पंजीकृत मैसर्स किम हुंडई, मेघालय के निर्धारण अभिलेख से पाया कि मैसर्स किम हुंडई, कोहिमा, नागालैंड ने मैसर्स किन हुंडई, मेघालय से ₹ 8.11 करोड़ के वाहनों के आयात के लिए 10 "एफ" प्रपत्र जारी किए थे। इस व्यापारी के निर्धारण अभिलेख और रिटर्नों की छानबीन से पता चला कि यह राशि व्यापारी के खातों में नहीं दिखाई गई थी। निर्धारण अधिकारी ने उपयोग विवरण और घोषणा पत्र की दोतरफा जांच किए बिना ही व्यापारी द्वारा 2004-05 में दायर रिटर्न के अनुसार देय कर का निर्धारण कर दिया।

व्यापारी की रिटर्नों को स्वीकार करते हुए निर्धारण अधिकारी के घोषणा प्रपत्रों के उपयोग की दोतरफा जांच में विफलता के परिणामस्वरूप व्यापारी द्वारा ₹ 8.11 करोड़ का टर्नओवर छुपाया गया तथा ₹ 1.01 करोड़ के कर की चोरी हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 3.04 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जाना था।

हमारे बताए जाने पर (सितम्बर 2011) विभाग ने अपनी पहले की कार्यवाही के विपरीत बताया कि प्रपत्रों का व्यापारी द्वारा प्रयोग नहीं किया गया था तथा इसलिए विभाग ने दुरूपयोग से बचाव के आधार पर मै. किम हुन्डई कोहिमा को अप्रैल 2004 में उसके पंजीकरण से मई 2009 तक जारी सारे 51 प्रपत्र "एफ" को अप्रचलित तथा अवैध घोषित कर दिया था। विभाग का उत्तर सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान घोषणा प्रपत्रों की मूल प्रतियों के प्रति सत्यापन से पता चला कि है प्रपत्र मैसर्स किम हुंडई, कोहिमा द्वारा जारी किए गए थे।

विभाग का एक ओर मांग बढ़ाना और दूसरी ओर पहले से जारी और व्यापारी द्वारा उपयोग किए "एफ" प्रपत्र को अप्रचलित और अमान्य घोषित करना कुछ भी नहीं बस व्यापारी के दुराचार को छुपाने का एक प्रयास था। विभाग ने व्यापारी को न तो उपयोग प्रमाणपत्र और न ही प्रपत्र वापस करने को कहा।

4.5.3 बिहार वैट अधिनियम की धारा 25 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत कर निर्धारण प्राधिकारी को चाहिए कि व्यापारियों द्वारा भरी गई रिटर्न को निर्धारित चेकलिस्ट से सुनिश्चित कर नियत तारीख की समाप्ति के भीतर इस उद्देश्य से जांच ले कि कटौती का दावा उसी प्रकार तथा निर्धारित प्रपत्र द्वारा प्रमाणित है जैसा कि तत्समय प्रवृत्त अधिनियम या अन्य किसी कानून में निर्दिष्ट है।

4.5.4 हमने देखा कि रिटर्न की छानबीन करते समय घोषणा प्रपत्र के उपयोग विवरण की जांच के लिए कोई भी व्यवस्था/चैकलिस्ट निर्धारित नहीं की गई है। यह व्यापारियों द्वारा माल के गैर/कम लेखांकन के जोखिम से भरा हुआ है जो वे प्रपत्र "सी" और "एफ" में घोषणाओं का प्रयोग करके आयात करते हैं जिसका विवरण द्वितीय अध्याय के पैरा 2.33.5 में किया गया है। यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिहार वैट अधिनियम के तहत व्यापारी के नियमित/अनिवार्य निर्धारण के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

4.5.5 **केरल** में, वैट आरंभ होने के फलस्वरूप, केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और टर्नओवर) नियमावली 1957 को रिटर्नों के साथ "सी" और "एफ" प्रपत्रों की घोषणा और प्रमाणपत्र के प्रस्तुतीकरण से संबंधित समय के समाप्त होने के बाद तीन माह की समय अवधि को तय करने के लिए संशोधित किया गया था। 24 अप्रैल 2007, से संशोधित केवीएटी नियमावली के तहत व्यापारियों को वार्षिक रिटर्न के साथ रिटर्न की अवधि के दौरान जारी किए गए सांविधिक प्रपत्रों की एक विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

4.5.6 घोषणा प्रपत्रों का उपयोग विवरण हमें प्रस्तुत की गई फाइलों में नहीं पाया गया था। हालांकि लेखापरीक्षा निर्धारित वर्ष की समाप्ति के एक से दो वर्ष के बाद की गई थी। यह संकेत देता है कि रिटर्न की जांच/कर लेखा आयोजन के समय उपयोगिता प्रमाणपत्र तत्परता से सत्यापित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

4.5.7 **असम** में हमने देखा कि रिटर्नों की जांच/निर्धारण विशुद्ध रूप से क्रेता व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत रिटर्न के आधार पर बिना उपयोग विवरणों की जांच के की जा रही थी। यह उक्त जांच सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा बनाई गई प्रणाली का उल्लंघन है और इसके परिणामस्वरूप स्थानीय कर का उद्ग्रहण नहीं होता/कम उद्ग्रहण होता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि 18 व्यापारियों ने अपने वार्षिक रिटर्न में वर्ष 2005-06 और 2008-09 के बीच विभिन्न अवधियों में ₹ 241.62 करोड़ के कारोबार का खुलासा किया जो कि रिटर्नों/निर्धारणों की जांच के दौरान निर्धारण अधिकारियों ने स्वीकार किया था। इन व्यापारियों द्वारा उपयोग में लाई गई विवरणियों की जांच से हमें पता चला उन्होंने वास्तव में ₹ 260.36 करोड़ के मूल्य वाला माल खरीदा, इस प्रकार, ₹ 18.74 करोड़ के खरीद के कारोबार को छुपाया गया था जो कि निर्धारण अधिकारियों द्वारा पता लगाया जा सकता था अगर उन्होंने उपयोग विवरणियों की जांच की होती। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.46 करोड़ के कर तथा ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ।

4.5.8 घोषणा पत्रों की दोहरी जांच के दौरान यह देखा गया कि नागालैंड में पंजीकृत दो व्यापारियों द्वारा 11 "एफ" प्रपत्रों और तीन व्यापारियों द्वारा तीन "सी" प्रपत्र का प्रयोग ₹ 9.16 करोड़ मूल्य के माल को आयात करने के लिए किया गया था। इन पांच व्यापारियों के निर्धारण अभिलेख और रिटर्नों की जांच से पता चला कि व्यापारियों के खातों में ₹ 9.16 करोड़ की राशि नहीं दिखाई गई थी। निर्धारण अधिकारियों ने उपयोग विवरण और घोषणा पत्र की दोतरफा जांच किए बिना ही व्यापारियों द्वारा 2004-05 से 2008-09 के दौरान दायर रिटर्नों के अनुसार देय कर का निर्धारण कर दिया।

4.5.9 व्यापारियों की रिटर्नों को स्वीकार करते समय घोषणा प्रपत्रों के उपयोग का प्रतिसत्यापन करने में निर्धारण अधिकारी की विफलता के कारण इन पांच व्यापारियों द्वारा ₹9.16 करोड़ के कारोबार को

छुपाया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹1.17 करोड़ के कर की चोरी हुई। इसके अलावा ₹3.51 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जाना था।

4.5.10 सीएसटी (**दिल्ली**) की नियमावली 2005 के नियम 4 में यह प्रावधान कि हर व्यापारी जो अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में बिक्री को प्रभावित करता है वह प्रपत्र डीवीएटी-51 में निर्धारित सांविधिक प्रपत्रों के साथ प्रत्येक तिमाही के अंत से तीन महीने के अंदर मिलान रिटर्न प्रस्तुत करेंगे। अभिलेखों की जांच से पता चला निर्धारण अधिकारी डीवीएटी-51 और सांविधिक प्रपत्रों को जमा करने की तिथियों को समय-समय पर नेमी रूप में बढ़ा रहे थे जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

अवधि	तिमाही	भुगतान तिथि	विस्तारित अवधि
2005-06	पहली	30-09-2005	30-04-2007
	दूसरी	31-12-2005	
	तीसरी	31-03-2006	19-02-2008
	चौथी	30-06-2006	
2006-07	पहली	30-09-2006	30-04-2007
	दूसरी	31-12-2006	
	तीसरी	31-03-2007	
	चौथी	30-06-2007	15-03-2008
2007-08	पहली	30-09-2007	05-09-2008
	दूसरी	31-12-2007	
	तीसरी	31-03-2008	20-12-2008
	चौथी	30-06-2008	05-01-2009
2008-09	पहली	30-09-2008	31-12-2009
	दूसरी	31-12-2008	
	तीसरी	31-03-2009	
	चौथी	30-06-2009	
2009-10	पहली	30-09-2009	31-12-2010
	दूसरी	31-12-2009	
	तीसरी	31-03-2010	
	चौथी	30-06-2010	

यह विस्तार अधिनियम की भावना और प्रावधानों के खिलाफ है और इससे सीएसटी अधिनियम के तहत निर्धारण की प्रक्रिया में विलम्ब होता है।

4.6 घोषणा प्रपत्र जारी करके खरीदे हुए माल का लेखाकरण नहीं/कम किया जाना

4.6.1 प्रति सत्यापन के दौरान ऐसे कई मामले हमारे सामने आए जहां या तो खरीदे हुए माल का लेखाकरण नहीं किया गया था या कम लेखाकरण किया गया था लेकिन इन मामलों पर सीटीडी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। उदाहरण के लिए **जम्मू और कश्मीर** में हमने चार राज्यों (बिहार, दिल्ली, गोवा और राजस्थान) द्वारा प्राप्त "सी" प्रपत्र के आंकड़ो का व्यापारियों के निर्धारण अभिलेख से प्रति सत्यापन

किया और हमने पाया कि राज्य के दो व्यापारियों ने ₹ 36.96 लाख के मूल्य का माल प्रपत्र "सी" के आधार पर खरीदा लेकिन इस खरीद का व्यापारियों के खातों (क्रय विवरणियों) में लेखाकरण नहीं किया गया था।

4.6.2 नागालैंड में घोषणा प्रपत्रों के सत्यापन से पता चला कि दो व्यापारियों द्वारा दो "सी" प्रपत्रों का प्रयोग करते हुए आसाम और राजस्थान से ₹ 27.91 लाख मूल्य के माल का आयात किया गया था। हमने पाया कि व्यापारियों ने इन दो "सी" प्रपत्रों का प्रयोग करते हुए किये गये माल के आयात का खुलासा अपने खातों में नहीं किया जोकि विभाग द्वारा जून 2001 में अवैध घोषित कर दिए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹27.91 लाख की खरीद के कारोबार को छुपाया गया और ₹ 3.49 लाख के कर की चोरी हुई। इसके अलावा इन दो व्यापारियों पर ₹ 10.47 लाख का जुर्माना लगाया जाना था। इनमें से एक व्यापारी का पंजीकरण प्रमाणपत्र 2007 में रद्द कर दिया गया था।

4.6.3 हरियाणा के एक क्रेता व्यापारी के निर्धारण अभिलेख का राजस्थान के विक्रेता व्यापारी के निर्धारण अभिलेख के साथ प्रति सत्यापन करने पर पता चला कि डीईटीसी फरीदाबाद (पश्चिम) के नियंत्रणाधीन एक व्यापारी ने अपनी ₹ 4.01 करोड़ की खरीद का लेखाकरण अपने बही खाते में नहीं किया और इस प्रकार ₹ 4.33 करोड़ की खरीद को छुपाया (2007-2008 से 2009-10 के दौरान आठ फीसदी लाभ जोड़ने के बाद जैसा कि निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए गया था)। निर्धारण अधिकारी की दूसरे राज्यों से सूचना के प्रति-सत्यापन में विफलता के कारण अधिनियम के अधीन ₹ 2.16 करोड़ (₹ 1.62 करोड़ के जुर्माने सहित) के कर का कम निर्धारण हुआ। बाद में जून 2011 में हमने जब मामले को बताया तो निर्धारण अधिकारी ने मामले के पुनः निर्धारण किया और जुलाई 2011 में ₹ 2.10 करोड़ के अतिरिक्त कर की मांग की।

4.6.4 गुजरात में हमारे प्रति सत्यापन से पता चला कि गुजरात के 12 क्रेता व्यापारियों ने 22 "सी" प्रपत्रों जो कि उन्हें विभाग ने जारी किए थे, के आधार पर ₹ 2.70 करोड़ के मूल्य का माल व्यापारियों से खरीदा। तथापि, इन व्यापारियों ने अपने खाते में केवल ₹ 67.56 लाख की अंतर-राज्यीय खरीद दिखाई। इस प्रकार, व्यापारियों ने ₹ 2.02 करोड़ की कम अंतर-राज्यीय खरीद दिखाई। इसका सत्यापन उपयोग प्रमाणपत्र, विभाग के निर्गम रजिस्टर और क्रेता व्यापारियों के पास उपलब्ध "सी" प्रपत्रों के प्रतिपर्ण से किया गया था। इस प्रकार क्रेता व्यापारियों ने कारोबार को इस हद तक छिपाया था। विभाग द्वारा गलती पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि उसने प्रपत्रों का प्रति सत्यापन नहीं किया था। व्यापारियों द्वारा बिक्री के दमन के कारण 8.08 लाख का कम कर लगाया गया।

अध्याय V
निष्कर्ष और सिफारिशें

अध्याय-V
निष्कर्ष और सिफारिशें

5.1 निष्कर्ष

5.1.1 अंतर-राज्यीय व्यापार में घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता के अध्ययन से निम्नलिखित कमियों का पता चलाः

≈ राज्य सरकारों को विक्रेता व्यापारियों द्वारा ली जा रही रियायतों/छूट पर कर के खर्च और उसके कारण राज्य के राजस्व के होने वाली हानि की सीमा के बारे में पता नहीं था चूंकि ऐसा तंत्र भी नहीं बनाया गया था जिससे इन लाभों का निर्धारण सम्भव हो।

≈ कुछ राज्य सीएसटी प्राप्तियों का अलग बजट अनुमान तैयार नहीं कर रहे थे जोकि अच्छी बजट प्रथाओं के अनुरूप नहीं था।

≈ कुछ राज्यों में सीएसटी अधिनियम और राज्य सीएसटी नियमों या वैट अधिनियम और सीएसटी नियमों में असंगतता थी।

≈ कुप्रथाओं में लिप्त व्यापारियों को काली सूची में नहीं डाला गया और इस तरह के व्यापारियों का डेटाबेस नहीं बनाया गया था जो इस तरह के उच्च जोखिम वाले निर्धारिती की गतिविधियों की बेहतर निगरानी करने में सक्षम होता।

≈ वाणिज्यिक कर विभागों ने अन्य राज्यों के सांविधिक प्रपत्रों के नमूनों का अनुरक्षण नहीं किया जोकि उन्हें नकली प्रपत्रों का पता लगाने में सक्षम बनाता।

≈ कुछ राज्यों में प्रपत्रों की छपाई के लिए योजना में कमी थी, प्रपत्रों की बिना वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना ही प्रपत्रों की थोक में छपाई की जा रही थी जिसके परिणामस्वरूप प्रपत्रों का विशाल भंडार जमा हो रहा था, जो उन्हें चोरी और दुरूपयोग, साथ-साथ प्राकृतिक कारणों से विनाश के प्रति असुरक्षित बना रहा था। जीएसटी के अवश्यम्भावी आगमन और परिणामस्वरूप सीएसटी के उन्मूलन के साथ ये प्रपत्र भी अप्रचलित हो जाएंगे।

≈ प्रपत्रों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया और प्रपत्रों को संग्रहित करने के तरीके में कमजोरियों के साथ उनके दुरूपयोग का सहवर्ती जोखिम था।

≈ प्रपत्र (क) निर्धारण अधिकारियों द्वारा जारी कर दिए गए पाए गए थे यद्यपि प्रस्तुत नहीं किए गए थे; (ख) कालक्रम के अनुसार जारी नहीं किए गए पाए गए थे जिससे सही ढंग से प्रपत्रों का लेखा रखना कठिन था, प्रतिपादन नहीं हो सका; (ग) उन व्यापारियों को जारी किए गए पाए गए थे जिनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया था या उस माल के लिए जारी गए थे जिसका व्यापार करने के लिए वह व्यापारी हकदार नहीं था क्योंकि उन वस्तुओं का पंजीकरण प्रमाणपत्र में उल्लेख नहीं था।

≈ पंजीकरण प्रमाणपत्र के रद्द होने के बाद अप्रयुक्त घोषणा प्रपत्र वापस नहीं लिए गये थे जिससे इन प्रपत्रों के उपयोग से आयातित माल के कराधान की कठोरता से बचने का जोखिम था। कुछ राज्यों में जहां प्रपत्रों को स्वचालित रूप सें जारी करना शुरु हुआ है, पहले से जारी मुद्रित प्रपत्रों को वापस नहीं मांगा गया था जिससे उनके दुरूपयोग की गुंजाइश थी।

≈ वाणिज्यिक कर विभागों ने अवैध या अप्रचलित प्रपत्रों के नमूने परिचालित नहीं किए जिससे कि दूसरे राज्यों को इन प्रपत्रों को पहचानने में कठिनाई आ रही थी। कुछ मामलों में दोषपूर्ण, खोए हुए और चोरी हुए प्रपत्रों की अधिसूचनाएं जारी नहीं की गई थी।

≈ टिनएक्सिस ने परिकल्पित लाभ नहीं दिया है क्योंकि ज्यादातर राज्यों में डेटा प्रविष्टि में बहुत काम बाकी था। परिणामस्वरूप, इसका पंजीकृत व्यापारियों के सेंट्रल रिपोज़िटरी के रूप में और निर्धारण अधिकारियों को निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय अन्तर्राज्यीय लेन-देन के व्यापारियों द्वारा जारी किए और उनके द्वारा प्रयोग न किए गए विवरण के सत्यापन हेतु एक त्वरित तथा सरल तन्त्र प्रदान करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सका। व्यापारियों की सूचना भी टिनएक्सिस पर अपलोड नहीं की गयी थी। प्रणाली का उपयोग भी बहुत से राज्यों में काफी कम पाया गया था।

≈ कई राज्यों में प्रति सत्यापन के लिए वैकल्पित तंत्र जैसे एक प्रवर्तन विंग/सत्यापन सेल/जांच ब्यूरो नहीं बनाया गया था। जहां ऐसे तंत्र थे, उनके कामकाज में सुधार की संभावना थी।

≈ गैर-सत्यापन के परिणामों का प्रभाव बड़ी संख्या में उन मामलों में पड़ा जहां नकली प्रपत्रों पर रियायत की अनुमति दी गई थी, क्रेता व्यापारी द्वारा दिए गए खरीद आंकड़ों और विक्रेता व्यापारी द्वारा प्रदर्शित बिक्री के आंकड़ों या बेची हुई वस्तुओं की प्रकृति में भिन्नता थी।

≈ प्रपत्रों के दुरूपयोग के कई उदाहरण थे जैसे दूसरे व्यापारी को जारी किए प्रपत्रों का उपयोग करना और प्रपत्रों में अधिलेखित करके मिटा के/आंकड़े डाल कर हेरा-फेरी करना आदि।

≈ निर्धारण अधिकारियों ने समुचित परिश्रम नहीं किया क्योंकि कई मामलों में अप्रचलित/दोषपूर्ण या डुप्लिकेट प्रपत्रों में रियायत/छूट की अनुमति दी गई पाई गई थी हालांकि प्रपत्रों में निर्धारित समय से ज्यादा का लेनदेन कवर या माल के प्रेषण का कोई सबूत नहीं था। कई मामलों में रियायत की अनुमति दी गई जबकि प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए या देरी से जमा किए गए थ। जहां आवश्यक था ब्याज और जुर्माना लगाना जैसे निवारक उपाय नहीं किए गए थे, जोकि अपराधियों को एक गलत संदेश दे सकते थे।

5.2 सिफारिशें

5.2.1 आंतरिक नियंत्रण तंत्र की कमजोरियों को, जिनका बेईमान व्यापारी लाभ उठा रहे हैं, सरकारी राजस्व के नुकसान को बचाने के लिए तुरंत दूर करना चाहिए। हम सिफारिश करते है कि राज्य सरकारें अपने राज्यों के राजस्व के हित में निम्नलिखित कदमों को लागू करने पर विचार करें:

≈ अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य में शामिल व्यापारियों का डेटाबेस बनाया जाए;

≈ संदिग्ध व्यापारियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक प्रोफाइल तैयार की जाए और जो अंतर-राज्यीय लेनदेन में जाली प्रपत्रों का प्रयोग कर रहे हो उन्हें कालीसूची में डालें;

≈ घोषणा प्रपत्रों के मामलों की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए ठीक से आकलन के बाद ही घोषणा पत्रों की छपाई करें;

≈ छपे हुए, जारी किए घोषणा प्रपत्रों और अन्त स्टॉक का उचित अभिलेख बनाए;

≈ सुनिश्चित करें कि व्यापारियों को घोषणा प्रपत्र केवल पूर्व जारी किए हुए घोषणा प्रपत्रों के उपयोग का विवरण प्राप्त होने के बाद ही जारी करें;

≈ घोषणा प्रपत्रों को ध्यान में रखने के लिए घोषणा प्रपत्रों को अनियमित रूप से जारी न करके कालक्रम के अनुसार जारी करें;

≈ सांविधिक प्रपत्रों को ऑन-लाइन जारी करना तुरंत आरम्भ किया जाए;

≈ टिनएक्सिस की वेबसाइट में व्यापारियों का विवरण और जारी किए गए सांविधिक प्रपत्रों का विवरण तुरंत अपलोड करें;

- ≈ छूट/रियायत की अनुमति देने से पहले टिनएक्सिस की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटाबेस से व्यापारियों द्वारा जमा किए गए घोषणा प्रपत्रों का सत्यापन करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करें;

- ≈ अंतर-राज्यीय लेनेदेने के जांच तंत्र को मजबूत बनाना चाहिए जहाँ कहीं भी इनका गठन किया गया है और उनके कामकाज पर निगरानी रखनी चाहिए;

- ≈ संबंधित राज्यों से सत्यापन के लिए घोषणा प्रपत्रों के नमूनों को लेने के लिए एक प्रणाली स्थापित करें;

- ≈ प्रत्येक व्यापारी द्वारा सीएसटी रिटर्न को जमा कराना सुनिश्चित करें और अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य में शामिल कर व्यापारी का निर्धारण कर; और

- ≈ निर्धारण पूरा होते समय त्रुटिपूर्ण/अधूरे प्रपत्रों की वजह से अनियमित छूट के विस्तार से बचने के लिए एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र स्थापित करें;

5.3 राज्य सरकारों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई

5.3.1 हमारी निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप कुछ राज्य सरकारों ने हमारी सिफारिशों पर काम किया और वाणिज्यिक कर विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने की दिशा में कुछ सकारात्मक कदम उठाए।

5.3.2 **त्रिपुरा** में व्यापारियों द्वारा प्रपत्र "सी " के दुरूपयोग से बचने के लिए सीटीडी ने निर्देश जारी किए (अक्टूबर 2011) कि रिक्त प्रपत्रों की जगह केवल भरे हुए प्रपत्र ही जारी किए जाएंगे।

5.3.3 **बिहार** में सरकार ने दिसम्बर 2011 में विस्तृत निर्देश जारी किए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय प्रप्रत्रों के सत्यापन के लिए जांच ब्यूरो के तहत एक प्रपत्र सत्यापन सेल का गठन, व्यापारियों की तिमाही रिटर्न जिसमें रियायत/छूट के दावे किये गये है की जाँच आगामी तिमाही के अन्तिम दिन तक किया जाना, दावें जो घोषणा प्रपत्रों से समर्थित नहीं है पर कर लगाना, छूट या रियायत देने से पहले टिनएक्सिस वेबसाइट से सत्यापन करना, जारी किये गये घोषणा प्रपत्रों से सम्बंधित जानकारी टिनएक्सिस की वेबसाइट पर समय से अपलोड करना, प्रपत्रों के स्टॉक तथा उनके उचित लेखांकन को सत्यापित करना, शामिल था।

5.3.5 झारखंड में सरकार ने बताया कि लेखापरीक्षा आपत्ति का अनुसरण करते हुए जुलाई 2011 में सीएसटी (झारखण्ड) नियावली में एक नया नियम 4 ए समाविष्ट किया गया है इसके अनुसार प्रत्येक तिमाही से संबंधित सीएसटी प्रपत्रों को आगामी तिमाही के बाद आने वाले माह के 20 तारीख तक जमा किया जाना अपेक्षित है।

(आत्रेयी दास)

प्रधान निदेशक

नई दिल्ली

दिनांक : 29 अक्टूबर 2012

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक : 30 अक्टूबर 2012

अनुबन्ध

अनुबन्ध "क"

वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक राज्यवार सीएसटी संग्रहण
(पैरा 1.5.4. देखे)

(₹ करोड़ में)

राज्य	2006-07	2007-08	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत	2008-09	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत	2009-10	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत	2010-11	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत
आन्ध्र प्रदेश	1,244.41	1,433.08	(+) 15.2	1,255.19	(-) 12.4	1,362.07	(+) 8.52	1701.61	(+)24.9
असम	उपलब्ध नही			341.75		309.32	(-9)	उपलब्ध नहीं	
बिहार	70.06	44.28	(-) 36.8	37.05	-16.3	1227.80		29.58	9.5
छत्तीसगढ़	702.34	521	(-) 25.8	664.16	(+) 27.5	681	(+) 2.5	745.83	(+) 9.5
दिल्ली	10.58.10	1017.72	(-) 3.8	967.46	(-) 4.9	1050.80	8.6	उपलब्ध नही	
गोवा	61.54	59.62	(-) 3.1	59.49	(-) .2	78.05	(+)31.2	97.36	(+) 24.7
गुजरात	2520.11	1905.50	(-)24.4	1666.79	(-12.5)	2548.59	(+) 52.9	4666.68	(+) 83.1
हरियाणा	15.41	13.57	(-) 11.9	11.20	(-) 17.5	10.90	(-) 2.7	12.64	(+)16
हिमाचल प्रदेश	93.29	113.18	(+) 21.3	139.32	(+) 23.1	199.29	(+) 43.1	295.80	(+) 48.4
जम्मू एवं कश्मीर	उपलब्ध नही								
झारखंड	614.14	636.09	(+) 3.6	570.58	(-) 10.3	647.41	(+) 13.5	792.29	(+) 22.4

कर्नाटक	1498.87	1262.09	(-) 15.8	1048.77	(-) 16.9	936.96	(-) 10.7	874.10	(-) 6.71
केरल	339.66	1016.21	(+) 199.2	425.38	(-) 58.1	292.94	(-) 31.2	310.42	(+) 6
मध्य प्रदेश	565.84	556.93	(-) 1.6	519.77	(-) 6.7	569.99	(+) 9.7	682.72	(+) 19.8
महाराष्ट्र	2547.66	2384.58	(-) 6.4	2875.23	(+) 20.6	2505.32	(-) 12.9	3548.25	(+) 41.6
मणिपुर	2.69	0.43	(-) 84.01	5.50	(+) 946.51	23.29	(+) 324	13.50	(-42.03)
मेघालय	28.04	18.01	(-) 35.8	10.76	(-) 40.3	22.96	(+) 113.4	85.11	(+) 270.7
मिजोरम	.01	.007	(-30)	.01	(+)42.86	.008	(-)20	.01	(+) 25
नागालैण्ड	3.52	3.27	(-) 7.1	4.37	33.63	5.36	22.65	5.43	1.49
ओडिशा	722.48	551.27	(-) 23.7	534.61	(-)3	493.77	(-) 7.64	585.52	(+) 18.6
पंजाब	319.21	328.45	(+) 2.9	269.17	(-) 8	313.18	(+) 16.35	374.49	(+) 16.4
राजस्थान	448.56	404.90	(-) 9.7	462.48	(+) 14.2	482.15	(+) 4.3	738.35	(+) 53.1
सिक्किम	4.67	5.99	(+) 28.3	4.55	(-) 24	7.65	(+) 68.1	8.50	(+) 11.1
तमिलनाडु	2261.91	1722.24	(-) 23.9	1645.65	(-) 4.4	1675.78	(+) 1.8	2250.67	(+) 34.3
त्रिपुरा	2.45	2.28	(-) 6.9	1.82	(-) 20.2	2.45	(+) 34.6	3.51	(+) 43.4
उत्तर प्रदेश	688.99	1384.97	(+) 101	1438.05	(+) 3.8	1397.53	(-) 2.8	1967.80	(+) 40.8
उत्तराखंड	142.37	132.63	(-) 6.84	168.24	(+) 26.9	262.51	(+) 56	316.63	(+) 20.6
पश्चिम बंगाल	799.20	797.54	(-).2	821.02	(+) 3	862.21	(+) 5	1059.19	(+) 22.8

अनुबन्ध "ख"

राज्य सीटीडी मुख्यालय के साथ टिनएक्सिस की संबद्धता

(पैरा 2.25.2 देखे)

राज्य सीटीडी मुख्यालय के साथ टिनएक्सिस की संबद्धता (18-01-2012 को)			
क्रम संख्या	राज्य का नाम	संबद्धता स्तर	पिछली गतिविधि की तारीख
1	आन्ध्र प्रदेश	जुड़ा हुआ	13/01/2012
2	अरूणाचल प्रदेश	जुड़ा हुआ	28/09/2011
3	असम	जुड़ा हुआ	12/01/2012
4	बिहार	जुड़ा हुआ	27/09/2011
5	चण्डीगढ़	जुड़ा हुआ	29/12/2011
6	छत्तीसगढ़	जुड़ा हुआ	28/09/2011
7	दादर और नागर हवेली	जुड़ा हुआ	17/08/2011
8	दमन एवं दीव	जुड़ा हुआ	17/08/2011
9	दिल्ली	जुड़ा हुआ	06/12/2011
10	गोवा	जुड़ा हुआ	15/08/2011
11	गुजरात	जुड़ा हुआ	17/08/2011
12	हरियाणा	जुड़ा हुआ	22/09/2011
13	हिमाचल प्रदेश	शुरू नही हुआ	उपलब्ध नही
14	जम्मू एवं कश्मीर	शुरू नही हुआ	उपलब्ध नही
15	झारखण्ड	जुड़ा हुआ	28/09/2011
16	कर्नाटक	जुड़ा हुआ	15/08/2011
17	केरल	जुड़ा हुआ	12/01/2012

18	मध्य प्रदेश	जुड़ा हुआ	17/08/2011
19	महाराष्ट्र	जुड़ा हुआ	17/08/2011
20	मणिपुर	जुड़ा हुआ	28/09/2011
21	मेघालय	जुड़ा हुआ	28/09/2011
22	मिजोरम	जुड़ा हुआ	28/09/2011
23	नागालैण्ड	जुड़ा हुआ	28/09/2011
24	ओडिशा	जुड़ा हुआ	18/01/2012
25	पुदुचेरी	जुड़ा हुआ	13/01/2012
26	पंजाब	जुड़ा हुआ	06/12/2011
27	राजस्थान	जुड़ा हुआ	29/12/2011
28	सिक्किम	जुड़ा हुआ	28/09/2011
29	तमिलनाडु	जुड़ा हुआ	01/08/2011
30	त्रिपुरा	जुड़ा हुआ	28/09/2011
31	उत्तर प्रदेश	जुड़ा हुआ	27/09/2011
32	उत्तराखंड	जुड़ा हुआ	27/09/2011
33	पश्चिम बंगाल	जुड़ा हुआ	28/09/2011

अनुबन्ध "ग"

टिनएक्सिस पर व्यापारियों और सांविधिक प्रपत्रों के आँकड़ो का अन्तिम अद्यतनीकरण
(18.1.2012 तक की स्थिति)
(पैरा 2.26.2 देखें)

क्रम संख्या	राज्य	व्यापारी मास्टर आँकड़े	सी प्रपत्र		एफ प्रपत्र	
			जारी	उपयोग	जारी	उपयोग
1	आन्ध्र प्रदेश	16.1.2012	16.1.2012	16.1.2012	16.1.2012	16.1.2012
2	अरूणाचल प्रदेश		12.10.2010	आँकड़े उपलब्ध नही	आँकड़े उपलब्ध नही	आँकड़े उपलब्ध नही
3	असम	5.1.2012	5.1.2012	4.10.2011	5.1.2012	29.8.2011
4	बिहार	11.8.2011	11.8.2011	11.8.2011	11.8.2011	11.8.2011
5	छत्तीसगढ़	11.8.2011	10.8.2011	आँकड़े उपलब्ध नही	10.8.2011	आँकड़े उपलब्ध नही
6	दिल्ली	9.1.2012	9.1.2012	9.1.2012	11.1.2012	10.1.2012
7	गोवा	6.9.2011	12.9.2011	12.9.2011	12.9.2011	12.9.2011
8	गुजरात	4.1.2012	5.1.2012	5.1.2012	5.1.2012	5.1.2012
9	हरियाणा	21.9.2011	8.11.2011	आँकड़े उपलब्ध नहीं	8.11.2011	आँकड़े उपलब्ध नही
10	हिमाचल प्रदेश	16.12.2011	4.7.2009	29.6.2009	19.2.2009	आँकड़े उपलब्ध नही
11	जम्मू एवं कश्मीर		आँकड़े उपलब्ध नहीं	आँकड़े उपलब्ध नहीं	आँकड़े उपलब्ध नहीं	आँकड़े उपलब्ध नहीं
12	झारखण्ड	12.12.2011	आँकड़े उपलब्ध नहीं	आँकड़े उपलब्ध नहीं	आँकड़े उपलब्ध नहीं	आँकड़े उपलब्ध नहीं
13	कर्नाटक	11.8.2011	11.8.2011	30.11.2011	13.8.2011	आँकड़े उपलब्ध नहीं

14	केरल	16.1.2012	16.1.2012	16.1.2012	16.1.2012	16.1.2012
15	मध्य प्रदेश	17.1.2012	17.1.2012	5.1.2012	17.1.2012	आँकड़े उपलब्ध नहीं
16	महाराष्ट्र	6.1.2012	13.1.2012	13.1.2012	6.1.2012	6.1.2012
17	मणिपुर	21.10.2012	21.1.2010	28.9.2010	21.1.2012	आँकड़े उपलब्ध नहीं
18	मेघालय	16.1.2012	16.1.2012	16.1.2012	आँकड़े उपलब्ध नहीं	आँकड़े उपलब्ध नहीं
19	मिजोरम		8.11.2010	8.11.2010	आँकड़े उपलब्ध नहीं	आँकड़े उपलब्ध नहीं
20	नागालैण्ड		1.4.2011	28.7.2009	1.4.2011	आँकड़े उपलब्ध नहीं
21	ओडिशा	30.8.2011	2.9.2011	2.9.2011	2.9.2011	7.9.2011
22	पुदुचेरी	13.1.2012	13.1.2012	13.1.2012	13.1.2012	13.1.2012
23	पंजाब	9.11.2011	1.11.2011	31.10.2011	1.11.2011	4.11.2011
24	राजस्थान	16.1.2012	16.1.2012	5.10.2011	16.1.2012	10.10.2011
25	सिक्किम	11.1.2011	11.1.2011	11.1.2011	आँकड़े उपलब्ध नहीं	आँकड़े उपलब्ध नहीं
26	तमिलनाडु	31.8.2011	5.9.2011	12.9.2011	6.9.2011	13.9.2011
27	त्रिपुरा	2.2.2011	2.2.2011	आँकड़े उपलब्ध नहीं	2.2.2011	आँकड़े उपलब्ध नहीं
28	उत्तर प्रदेश		आँकड़े उपलब्ध नहीं	आँकड़े उपलब्ध नहीं	आँकड़े उपलब्ध नहीं	आँकड़े उपलब्ध नहीं
29	उत्तराखंड	5.5.2008	24.10.2008	आँकड़े उपलब्ध नहीं	आँकड़े उपलब्ध नहीं	आँकड़े उपलब्ध नहीं
30	पश्चिम बंगाल	14.9.2011	6.1.2012	10.1.2012	5.1.2012	5.1.2012

अनुबन्ध "घ"

राज्य सीटीडी अधिकारियों द्वारा टिनएक्सिस का उपयोग
(पैरा 2.28.1 देखे)

राज्य सीटीडी अधिकारियों द्वारा टिनएक्सिस का उपयोग 1.4.2006 से 18.1.2012 की अवधि हेतु आँकड़े			
क्रम संख्या	राज्य का नाम	दौरों की सं.	समय विवरण (घंटों में)
1	आन्ध्र प्रदेश	1378	2775
2	अरूणाचल प्रदेश	28	3
3	असम	1331	492
4	बिहार	764	304
5	चण्डीगढ़	113	344
6	छत्तीसगढ़	601	1319
7	दादर एवं नगर हवेली	29	4
8	दमन एव ंदीव	46	2
9	दिल्ली	348	298
10	गोवा	575	2320
11	गुजरात	542	1662
12	हरियाणा	1117	2862
13	हिमाचल प्रदेश	657	1601
14	जम्मू एवं कश्मीर	1829	3154
15	झारखण्ड	168	320

16	कर्नाटक	1369	5122
17	केरल	970	1248
18	मध्य प्रदेश	3975	23788
19	महाराष्ट्र	6831	19640
20	मणिपुर	9	0
21	मेघालय	116	14
22	मिजोरम	45	9
23	नागालैण्ड	39	3
24	ओडिशा	1359	2955
25	पुदुचेरी	523	856
26	पंजाब	410	1139
27	राजस्थान	928	2106
28	सिक्किम	10	0
29	तमिलनाडु	38519	165793
30	त्रिपुरा	6	0
31	उत्तर प्रदेश	430	549
32	उत्तराखंड	153	493
33	पश्चिम बंगाल	2090	7686

अनुबन्ध "ड."

दोतरफा जाँच से पता लगे जाली प्रपत्र

(पैरा 3.2.2 देखें)

क्रम संख्या	राज्य	व्यापारियों की संख्या	प्रपत्रों की संख्या	छूट/रियायत का अनियमित दावा	राज्य जहाँ क्रेता व्यापारी /परेषिती स्थित थे
1.	आन्ध्र प्रदेश	4 14	136 'एफ' प्रपत्र 30 "सी" प्रपत्र	239.45 करोड़ 1.47 करोड़	छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल
2.	असम	10	33 सी/एफ प्रपत्र	9.30 करोड़	अरूणाचल प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, मेघालय और पश्चिम बंगाल
3.	बिहार	4 9	6 सी/एफ प्रपत्र 14 सी/एफ प्रपत्र	1.55 करोड़ 1.47 करोड़	छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखण्ड, नागालैण्ड, राजस्थान और सिक्किम
4.	छत्तीसगढ़	20 5	51 सी प्रपत्र 39 एफ प्रपत्र	4.77 करोड़ 11.96 करोड़	आन्ध्र प्रदेश, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हरियाणा, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश
5.	दिल्ली	4 1	6 सी प्रपत्र 4 एफ प्रपत्र	55.13 लाख 35.60 लाख	मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र
6.	गुजरात	40	50 सी प्रपत्र	6.39 करोड़	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश
7.	हरियाणा	4 6 1	9 सी/एफ प्रपत्र 36 सी/एफ प्रपत्र 1 सी प्रपत्र	3.57 करोड़ 12.15 करोड़ 49.98 लाख	अरूणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दिल्ली दिल्ली
8.	हिमाचल प्रदेश	4	4 सी प्रपत्र	36.81 लाख	उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,और यू.टी. चण्डीगढ़

9.	जम्मू और कश्मीर	12	46 सी प्रपत्र	26.88 करोड़	दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश
10.	कर्नाटक	9	31 सी प्रपत्र	57.46 लाख	महाराष्ट्र
11.	मध्य प्रदेश	2	4 सी प्रपत्र	1.60 करोड़	छत्तीसगढ़, दिल्ली और हरियाणा
12..	महाराष्ट्र	3 4 1	3 सी प्रपत्र 5 सी प्रपत्र 12 एफ प्रपत्र	1.46 करोड़ 10.41 करोड़ 5.11 करोड़	मध्य प्रदेश और दिल्ली अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश आन्ध्र प्रदेश
13.	मणिपुर	1	1 सी प्रपत्र	5.77 लाख	महाराष्ट्र
14.	मेघालय	2 1 3	5 सी प्रपत्र 11 एफ प्रपत्र 12 सी प्रपत्र	1.51 करोड़ 2.39 करोड़ 1.86 करोड़	मणिपुर मिजोरम मिजोरम
15.	ओडिशा	11	11 सी और 7 एफ प्रपत्र	51.67 लाख	छत्तीसगढ़
16.	पंजाब	3 1	7 एफ प्रपत्र 1 सी प्रपत्र	94.38 लाख 18.00 लाख	दिल्ली दिल्ली
17.	राजस्थान	8	15 सी और 1एफ प्रपत्र	1.67 करोड़	छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, नागालैण्ड,पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
18.	तमिलनाडु	4 15 1	5 एफ प्रपत्र 28 सी प्रपत्र 2 एफ प्रपत्र	3.31 करोड़ 17.67 करोड़ 57.85 लाख	महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र आन्ध्र प्रदेश आन्ध्र प्रदेश
19.	उत्तर प्रदेश	1 1	5 एफ प्रपत्र 2 सी प्रपत्र	1.27 करोड़ 34.88 करोड़	मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश
20.	पश्चिम बंगाल	4	4 सी प्रपत्र	35.08 लाख	छत्तीसगढ़, झारखण्ड, राजस्थान और सिक्किम

अनुबन्ध "च "

प्रपत्रों का दुरूपयोग
(पैरा 3.3.2 देखें)

राज्य	व्यापारियों की संख्या	प्रपत्रों की संख्या	छूट/रियायत का अनियमित दावा	जिस राज्य से जारी हुआ	दोष की प्रकृति
बिहार	8	25 सी/एफ	9.29 करोड़	दिल्ली, मेघालय, नागालैण्ड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल	उस राज्य के संबधित सर्कल से अन्य व्यापारियों को जारी किया गया था या उन व्यापारियों ने जिन्हें सर्कल से घोषणा पत्र जारी किया गया था, अपनी उपयोगिता प्रमाणपत्र में दर्शाया है कि फॉर्म दूसरे व्यापारी को जारी किया गया था।
दिल्ली	6	7 सी	1.45 करोड़	असम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश	उन व्यापारियों को प्रपत्र जारी नहीं किया था जिन्होंने कर की रियायती दर का दावा किया था, किन्तु अन्य व्यापारियों को जारी किया गया था।
हरियाणा	6	13सी/एफ	6.56 करोड़	दिल्ली, ओड़िशा	जिन्हें जारी हुआ दर्शाया गया था उनके अलावा अन्य व्यापारियों द्वारा प्रयुक्त।
हिमाचल प्रदेश	2	2 सी	93.13 लाख	मेघालय, पंजाब	प्रपत्र अन्य व्यापारियों को जारी किए गए थे न कि उन व्यापारियों को जिन्होंने अन्तर्राज्यीय बिक्री पर रियायत का लाभ उठाया था।
	2	4 एफ	67.67 लाख	दिल्ली, पंजाब	दूसरे व्यापारियों को जारी किए गए न कि उन व्यापारियों को जिन्होंने छूट का लाभ उठाया था।
	4	4 सी	36.81 लाख	उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, यूटी चण्डीगढ़	इन लेन देन में शामिल व्यापारी या तो अस्तित्वहीन थे या उनको प्रपत्र जारी नहीं किए गए थे।
जम्मू एव कश्मीर	6	16सी	10.23 करोड़	दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दादर एवं नगर हवेली, पश्चिम बंगाल	"सी " प्रपत्र में दर्शाए गए नाम जिनके आधार पर विक्रेता व्यापारियों को रियायत दी गई थी वह क्रेता व्यापारियों द्वारा उनके लेखों में दर्शाए गए नामों से नहीं मिलते।

	5	25 एफ	40.79 करोड़	पंजाब, यूटी चण्डीगढ़	विभाग द्वारा परेषितियों के नाम पर प्रपत्र जारी नहीं किए गए परन्तु अन्य परेषितियों को जारी दिखाया गया।
मध्य प्रदेश	1	1 सी	0.09 लाख	हिमाचल प्रदेश	उन व्यापारियों को जिन्होने प्रपत्र का उपयोग किया, उनके अलावा अन्य व्यापारियों को प्रपत्र जारी किए गए थे।
मेघालय	2	9 एफ	23.81 करोड़	पश्चिम बंगाल	दूसरे व्यापारियों की जारी किए गए।
ओड़िशा	6	8 सी	3.72 करोड़	आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल	क्रेता व्यापरियों के अलावा अन्य व्यापारियों को फॉर्म जारी किए गए या क्रेता व्यापरियों ने संबंधित "सी " प्रपत्र में विनिर्दिष्ट कर की छूट/ रियायत का दावा करने वाले व्यापारियों के अलावा अन्य व्यापारियों को प्रपत्र जारी किया था।
राजस्थान	19	29 सी/एफ	10.29 करोड़	छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल	विक्रेता व्यापारियों द्वारा जिन्हें वास्तव में माल बेचा गया दर्शाया गया था, उनके अलावा दूसरे व्यापारियों को जारी किया गया था।
उत्तर प्रदेश	2	2 सी/एफ	1.97 करोड़	दिल्ली, उत्तराखंड	अन्य व्यापारियों को उन राज्यों के सीटीडीज द्वारा जारी और न कि उत्तर प्रदेश के उन व्यापारियों को जिन्होंने दावा किया और जिन्हें कर की रियायती दरों या कर से छूट की अनुमति दी गई थी।

अनुबंध "छ"

प्रपत्रों में फेरबदल

(पैरा 3.4.2)

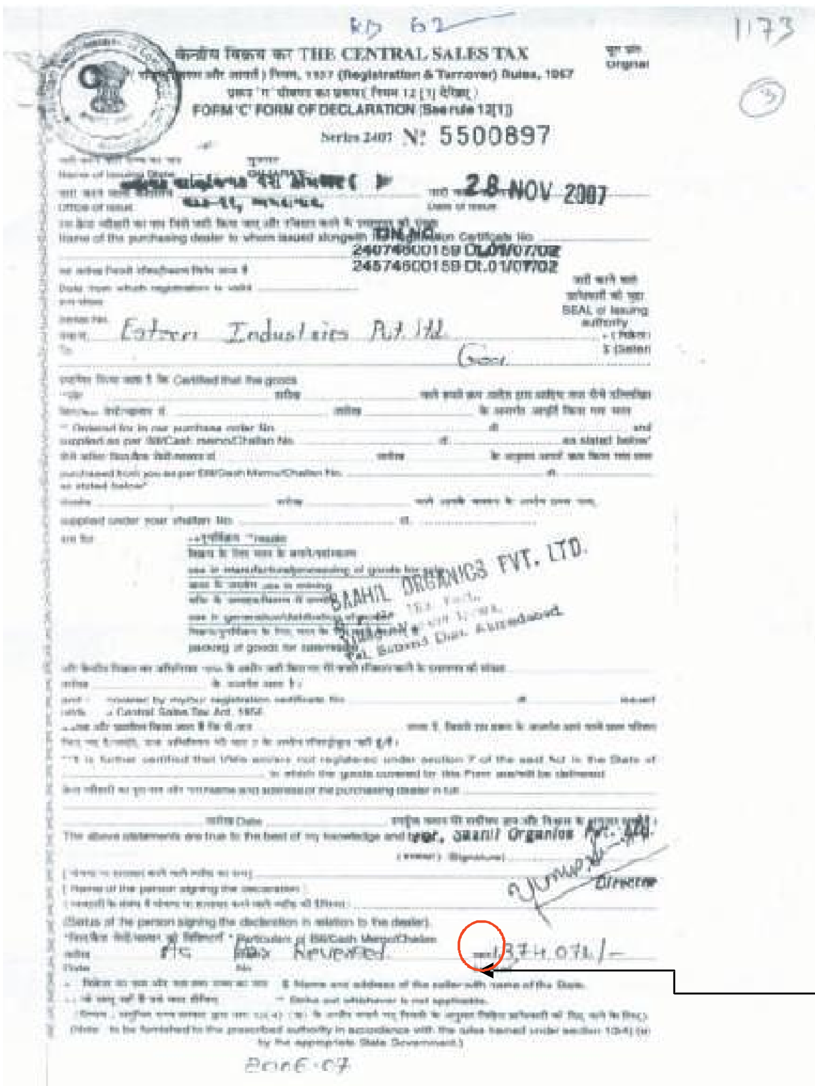

केन्द्रीय विक्रय कर THE CENTRAL SALES TAX

(Registration & Turnover) Rules, 1957

FORM 'C' FORM OF DECLARATION (See rule 12(1))

Original

Series 2407 No 5500897

Date of issue 28 NOV 2007

Name of the purchasing dealer to whom issued alongwith his Registration Certificate No.

24074600159 Dt.01/07/02

24574600159 Dt.01/07/02

SEAL of issuing authority

To Esteem Industries Pvt. Ltd.

Goa

Certified that the goods

SAAHIL ORGANICS PVT. LTD.

The above statements are true to the best of my knowledge and belief.

For, Saahil Organics Pvt. Ltd.

(Signature)

Director

(Name of the person signing the declaration)

(Status of the person signing the declaration in relation to the dealer)

Particulars of Bill/Cash Memo/Challan

Ris. Bill Reverted

13,74,071/-

2006-07

राशि में "1" अंक पहले जोड़ दिया गया है।

विक्रेता व्यापारी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र में हेरा-फेरी

Bill No.	Date	Amount
2812	04/10/06	1,24,306/-
2811	04/10/06	1,37,864/-
3200	31/10/06	1,22,218/-
3397	11/11/06	1,47,344/-
3398	11/11/06	1,41,471/-
3527	20/11/06	1,21,753/-
3526	20/11/06	53,219/-
3621	27/11/06	1,27,104/-
3804	06/12/06	1,48,961/-
3854	08/12/06	1,23,818/-
4051	20/12/06	1,26,016/-
		1,374,074/-

For, Saahil Organics Pvt. Ltd.

Director

कर की रियायती दर का दावा करने के लिए विक्रेता व्यापारी द्वारा प्रस्तुत सी प्रपत्र की उल्टी साईड। संख्या 1 को दस स्थानों पर बिक्री राशि से पहले जोड़ दिया गया जिससे ₹ 3.74 लाख के स्थान पर ₹ 13.74 लाख की बिक्री का दावा किया गया।

GOA

K6

Saghil Organics Pvt.Ltd.
GST TIN NO.24074600159
CST TIN NO.24574600159

"C" forms paid List

Sr.No.	Party Name	"C" Forms No.	Amount	Year
1	Pashabhai B. Patel & Co.	5500876	201000	2005-06
2	Hitesh Enterprises	5500877	18906	2005-06
3	Hitesh Enterprises	5500878	23010	2005-06
4	R.S.Enterprise	5500879	40400	2005-06
5	R.S.Enterprise	5500880	84000	2005-06
6	Ultima Chemicals	5500881	8470	2005-06
7	Ultima Chemicals	5500882	4180	2005-06
8	Ultima Chemicals	5500883	30415	2006-07
9	Ultima Chemicals	5500884	72617	2006-07
10	Grand Organics Pvt.Ltd.	5500885	72617	2006-07
11	Grand Organics Pvt.Ltd.	5500886	150351	2006-07
12	Grand Organics Pvt.Ltd.	5500887	125859	2006-07
13	Sri Balaji Industries	5500888	168896	2006-07
14	Hitesh Enterprises	5500889	47362	2006-07
15	R.S.Enterprise	5500890	84000	2006-07
16	Mata Polymers Pvt.Ltd.	5500891	242565	2007-08
17	Srinivas Chemical Industries P.Ltd	5500892	40828	2006-07
18	Soofi Traders	5500893	22535	2006-07
19	Esteem Industries Pvt.Ltd.	5500894	112446	2006-07
20	Indo Minerals Suuply Agency	5500895	60797	2006-07
21	Chemex Chemicals	5500896	23317	2005-06
22	Esteem Industries Pvt.Ltd.	5500897	374074	2006-07
23	Grand Organics Pvt.Ltd.	5500898	15988	2006-07
24	Rado Colour Industries	5500899	1607	2006-07
25	Time Mauser Industries Pvt.Ltd.	5500900	19774	2005-06
26	Esteem Industries Pvt.Ltd.	5500901	182181	2006-07
27	Nova Chem Industries	5500902	4056	2006-07
28	Nova Chem Industries	5500903	3994	2006-07
29	Boisure Chemicals Pvt.Ltd.	5500904	22682	2006-07
30	Boisure Chemicals Pvt.Ltd.	5500905	9073	2006-07
31	Boisure Chemicals Pvt.Ltd.	5500906	9073	2006-07
32	Boisure Chemicals Pvt.Ltd.	5500907	18158	2006-07
33	Karmah Impex	5500908	276880	2005-06
34	Karmah Impex	5500909	121070	2005-06
35	Karmah Impex	5500910	54990	2005-06
36	Nehavish Pharma	5500911	716270	2005-06
37	Shreeji Dye Chem	5500912	567300	2005-06
38	Shreeji Dye Chem	5500913	315360	2005-06
39	Shreeji Cal Chem Pvt.Ltd.	5500914	1188564	2005-06
40	Sri Ganesh Industries	5500915	132072	2007-08
41	Shreeji Dye Chem	5500916	534125	2005-06
42	Shreeji Cal Chem Pvt.Ltd.	5500917	794282	2005-06
43	Shreeji Cal Chem Pvt.Ltd.	5500918	1221110	2005-06
44	Shreeji Dye Chem	5500919	100500	2006-07
45	Spectra Specialities	5500920	24135	2004-05
46	Spectra Specialities	5500921	20323	2005-06
47	Manali Petrochemicals Ltd.	5500922	40889	2004-05
48	Mata Polymers Pvt.Ltd.	5500923	48298.5	2007-08
49	Mata Polymers Pvt.Ltd.	5500924	31363.5	2007-08
50	Archie Dye Chem	5500925	37620	2006-07
	Total		8608258	

क्र.सं. 22 स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि ₹ 3,74,074 की खरीद गोवा के व्यापारी से की गई थी।

क्रेता व्यापारी द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र

© भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.saiindia.gov.in